SARVA SHIKSHA ABHIYAN

सर्वशिक्षा अभियान

(S.S.A.)

परसपेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद - कन्नौज

अनुक्रमणिका

कन्नौज

क्र०सं०	अध्याय	पृष्ठ संख्या
१.	जनपद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि	
२.	शैक्षिक परिदृश्य	
३.	नियोजन प्रक्रिया	
४.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	
५.	समस्यायें एवं रणनीतियाँ	
६.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार - १ (नवीन विद्यालय)	
७.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार - II (ई०जी०एस०/ए०आई०ई०)	
८.	ठहराव में वृद्धि	
९.	शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि	
१०.	परियोजना का स्वरूप एवं क्रियान्वयन	
११.	परियोजना की लागत	

अध्याय - 1

जनपद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जनपद कन्नौज मूल रूप से फर्रूखाबाद जनपद का ही एक भाग है वर्ष 1997 में फर्रूखाबाद जनपद के सात विकास खण्डों की सम्मिलि कर जनपद की संरचना की गई, जिसका मुख्यालय कन्नौज बनाया गया ऐतिहासिक दृष्टि से कन्नौज का अपना एक अलग एवं महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

यद्यपि ईसा पूर्व छठी शताब्दी से पहले कन्नौज का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। फिर भी इस युग के महत्वपूर्ण ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता है जिससे इसके महत्वपूर्ण नगर होने के संकेत मिलते हैं। मौखीर वंश के शासक ईशान वर्म्मन ने 554 ई0 में इसे अपनी राजधानी बनाया और स्वयं महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर यहां के राज्य सिंहासन पर बैठा। यहीं से यह नगर भारत के मानचित्र पर शक्ति पुंज के रूप में सामने आया।

गुप्त साम्राज्य ने राजमहिषी राज्य श्री को बन्दी गृह में डाल दिया। इसी कम में राज्य श्री ने देश को अराजकता से बचाने के लिये अपने बड़े भाई हर्षबर्धन से कन्नौज का राज्यभार सम्भालने का अनुरोध किया। 606 ई0 से 647 ई0 तक कन्नौज एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। सम्राट हर्ष के समय यहां आये चीनी यात्री हवेन सांग के विवरण से तत्कालीन कन्नौज के वैभव, सीपतय एवं मूर्तिकला पर प्रकाश पड़ता है। चालुक्य नरेश के अभिलेख में हर्ष का विवरण प्राप्त है।

आठवीं शती के प्रारम्भ में (725-752) यशोवर्मन की वैभव शाली कहानी वाकूपति के गौड़वाही के ग्रन्थ में अंकित है। यशोवर्मन के बाद 783 ई0 में प्रतिहारों का राज्य स्थापित हो गया। इस वंश में नागभट्ट द्वितीय (815-33) समभ्रद (833-36) मिहिर भोज (836-85) महेन्द्र पाल (885-910 ई0) का नाम इतिहास में अंकित है।

सन् 1018 ई0 में महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रतिहारों का राज्य स्थापित हुआ। 11 वीं शती ई0 के अन्त में यहाँ की राज सत्ता गाहड़ वाले वंश के नयी उभरी शक्ति के अधिकार में आ गयी। इस वंश के प्रतापी शासकों गोबिन्द चन्द्र, विजय चन्द्र और उस के बाद जयचन्द्र ने कन्नौज पर अपना राज्य स्थापित रखा। इस वंश का राज्य काल 1110 से 1194 ई0 तक रहा। सन् 1194 ई0 में मोहम्मद गौरी से युद्ध में सम्राट जयचन्द्र ने इटावा के करीब चन्द्रावार के मैदान में वीर गति पायी। उस की मृत्यु के बाद कन्नौज के वैभव का सूर्यास्त हो गया।

मध्य काल में लोदी, अफगान एवं मुगल शासकों ने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। कन्नौज भी इन शासकों के अधीन रहा। मुस्लिम शासकों के अन्तिम समय इब्राहीम शर्की तथा नवाब बहादुर खाँ (शाहजहाँपुर) का भी राज्य कन्नौज सहित निकटवर्ती क्षेत्रों पर स्थापित रहा। यह स्थिति 1857 तक रही और बाद में यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।

पुरातत्व महत्व के भवनों में गोवर्धनी देवी मन्दिर, क्षेमकली, चिन्तामणि सूर्यकुण्ड, गौरीशंकर, सन्दोह देवी, अजयपाल मन्दिर,

विश्वनाथ मन्दिर, जामा मस्जिद बालापीर, मखदूम जहानियाँ, चन्दनपीर का मजार आदि प्रसिद्ध हैं। जयचन्द्र के किले के भग्नावशेष आज भी विद्मान हैं।

भौगोलिक परिदृश्य

जनपद कन्नौज तीन तहसीलों, कन्नौज, छिवरामऊ तथा तिर्वा पर आधारित है। जनपद का मुख्यालय गंगा नदी के पश्चिमी तट से लगभग 3 किलोमीटर दूर सरायमीरा उपनगर में स्थित है। अन्य दूसरी तहसीलों में छिवरामऊ एवं तिर्वा ईसन व काली नदियों के दोनों ओर स्थित है। कन्नौज के उत्तर में हरदोई पूर्व में कानपुर पश्चिम में फर्रूखाबाद तथा दक्षिण में इटावा जनपद है।

यहाँ की जलवायु मैदानी है। प्रदेश के मध्य क्षेत्र की जलवायु तथ कन्नौज की जलवायु में निकटतम अनुकूलता हैं। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेन्टीग्रेड तथा निम्नतम 5 डिग्री सेन्टीग्रेड रहता है। जनपद में 50 से 100 से0मी0 तक वर्षा होती है। क्षेत्रीय धरातलीय स्थिति समतल है। जनपद की अधिकांश भूमि उपजाऊ है। वर्तमान समय में जनपद को जनसंख्या अनुमानतः 13 तथा 14 लाख के बीच है।

गेहूँ, चावल, मक्का, विभिन्न दालें तथा तिलहन की उपजें संतोषजनक हैं। अधिकांश लोगों का व्यवसाय कृषि है। उद्योग धन्धों की कमी है। कन्नौज नगर में इत्र तेल का व्यवसाय मुख्य आय श्रोत है। इस के अतिरिक्त बीड़ी, अगरबत्ती तथा कृषि उपयोगी यन्त्रों का निर्माण भी जनपद में होता है।

प्रशासनिक व्यवस्था:

प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु जनपद को तीन तहसीलों तथा सात विकास खण्डों में विभक्त किया गया है। कन्नौज तथा जलालाबाद तहसील कन्नौज के अन्तर्गत, उर्मदा तथा हसेरन तहसील तिर्वा तथा सौरिख छिबरामऊ और तालग्राम तहसील छिबरामऊ के अन्तर्गत आते हैं जनपद में 81 न्याय पंचायत 441 ग्राम पंचायत या ग्राम सभाएं है। तीन नगर पालिका परिषद कन्नौज, छिबरामऊ, तिर्वागंज एवं पाँच नगर परिषदें सिकन्दरपुर, गुरसहायगंज, समधन, तालग्राम, सौरिख है तथा 134 वार्ड है।

सारणी-1.1 (क)

प्रशासनिक संगठन

राजस्व ग्रामों की संख्या	नगरों की संख्या	न्याय पंचायतों की संख्या
754	08	81

ग्राम सभाओं की संख्या	विकास खण्डों की संख्या	तहसीलों की संख्या
441	07	03

आबाद ग्राम/बस्तियों की संख्या	गैर आबाद क्षेत्र	कुल योग
2026	65	2091

सारणी-1.1 (ख)

क्रम	व्लाक का नाम	नगर पालिका परिषद	नगर परिषद	वार्ड सं0	न्याय पंचायत सं0	ग्राम पंचायत सं0	राजस्व ग्राम की सं0	आवाद ग्राम/वस्तियां	गैर आवाद	कुल ग्राम/वस्तिय
1.	छिबरामऊ	01	-	25	11	73	165	204	40	244
2.	तालग्राम	01	01	25+10	17	83	132	357	03	360
3.	सौरिख	01	-	13	13	78	108	522	0	522
4.	जलालावाद	-	-	-	09	51	93	206	14	220
5.	कन्नौज	-	03	25+10+16	13	66	103	258	06	264
6.	हसेरन	-	01	10	10	55	96	256	01	257
7.	उमर्दा	-	-	-	08	35	57	223	01	224
8.	नगर क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग-	03	05	134	81	441	754	2026	65	2091

नोट- तिर्वा-13, छिबरामऊ-25, गुरसहायगंज-25, तालग्राम-10, समधन-16

जनसंख्या घनत्व सारिणी 1.2

क्रम सें0	विवरण	500 से कम	500 से 999	1000 से 1499	1500 से 1999	2000 से 4999	5000 से अधिक
1	ग्रामों की सं0	137	206	231	75	118	22
2	जन सं0 प्रतिशत	1.99	29.8	19	10.9	17.1	32

भूमि का विभाजन तथा उपयोग

जनपद का सम्पूर्ण अभिलेख क्षेत्र 207098 हेक्टेयर है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में 4631 हेक्टेयर वन क्षेत्र है जबकि शेष 14032 हेक्टेयर शुद्ध कृषि भूमि है।

सारणी 1.3

क्रम संख्या	श्रेणी	क्षेत्रफल हेक्ट0	सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिशत . . . . .
1	सम्पूर्ण अभिलेखित क्षेत्र	207098	100
2	वन क्षेत्र	4631	2.23
3	गैर कृषि भूमि	39227	18.94
4	कृषि भूमि	14032	67.75
5	सिंचित भूमि	158788	-
6	सिंचित भूमि का प्रतिशत	-	-
7	एक से अधिक फसलों का क्षेत्र	83988	76.67

फसलों का विवरण

जनपद में आलू, गेहूँ, मक्का, उर्द तथ अरहर मूँग की खेती की जाती है। जनपद में लगभग 50 कोल्ड स्टोरेज हैं छिबरामऊ के विकास खण्ड सौरिखमें खड़िनी ग्राम में चावल निकालने की वहुत बड़ी फैक्ट्री है।

ढाँचागत सुविधाएं

यातायात तथा संचार व्यवस्था

जनपद कन्नौज में रेल तथा सड़क परिवहन की समुचित सुविधायें उपलब्ध हैं। लगभग 40 किमी0 रेल मार्ग इस जनपद से होकर निकला है। जिस पर 9 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। जी0टी0 रोड इस जनपद का मुख्य मार्ग है।

इस राष्ट्रीय मार्ग का 70 किलोमीटर लम्बा मार्ग इस जनपद में है। पूर्व में गाँगूपुर से पश्चिम में प्रेमपुर तक यह मार्ग जनपद कन्नौज की सीमा के अन्तर्गत आता हैं।

जनपद के सभी सात ब्लाक सम्पर्क मार्गों द्वारा जी0टी0 रोड से जुड़े हुये हैं। प्राथमिक शिक्षा को दृष्टिगत रखें तो अभी भी यह क्षेत्र पिछड़े हुये क्षेत्र की श्रेणी में आता है। जनपद में 21 पोस्ट आफिस नगरीय क्षेत्रों में जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इनकी संख्या 105 है। दूरभाष का विस्तारण पर्याप्त है। जनपद में अनगिनत पी0सी0ओ0 हैं जहां एस0टी0डी0 तथा आई0एस0डी0 सुविधा उपलब्ध हैं इसके

अतिरिक्त नगर कन्नौज में फैक्स, तथा इन्टरनेट सुविधायें भी उपलब्ध हैं।

विद्युत व्यवस्था

लगभग 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतीकरण किया जा चुका है। नगरीय क्षेत्रों में यह सुविधा शत प्रतिशत है। जनपद में अनुसूचित वर्ग की सभी बस्तियों में विद्युतीय सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। विद्युत का अधिकतर उपभोग कृषि, कोल्ड स्टोरेज तथा इत्र उद्योग में किया जाता है।

सिंचाई

जनपद में सिंचाई के संसाधनों में अधिक संख्या व्यक्तिगत तथा सरकारी ट्यबवेल्स की है। उर्मदा विकास खण्ड में नहरों की सविधा भी उपलब्ध है।

बैंक

वाणिज्य बैंकों की संख्या 20 है जिनमें 12 नगरीय क्षेत्रों में तथा 8 ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसके अतिरिक्त 8 शाखायें अन्य बैंकों की हैं। ग्रामीण बैंकों की संख्या 45 है। इन बैंकों के माध्यम से लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र को बैंक सुविधा प्राप्त हैं।

आर्थिक स्थिति

व्यवसायिक स्वरूप

जनपद में विभिन्न व्यवसाय तथा कार्यों से जुड़े हुये लोगों को सात भागों सें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। निम्न तालिका से स्थिति का विवरण प्रेषित है।

सारणी 14

क्रम सं0	श्रेणी	कामगारों का प्रतिशत
1	कृषक	64.5
2	कृषि-मजदूर	12.0
3	अन्य प्रारम्भिक व्यवसाय	0.4
4	गृह-उद्योग	2.3
5	गृह उद्योग के अतिरिक्त धन्धे	6.2
6	व्यापार एवं वाणिज्य	5.4
7	अन्य	9.2
	योग	100

स्त्रोत - सांख्यिकी पत्रिका जनपद कन्नाज (1999)

भू-स्वामित्व का स्वरूप

जनपद की भूमि पर स्वामित्व को निम्न सारिणी द्वारा दर्शाया जा सकता है।

भू-स्वामित्व की विभाजन सारिणी 1.5

स्वामित्व की क्षेत्र	संख्या	क्षेत्रफल	स्वामित्व का प्रतिशत
0.5 हेक्टे0 से कम	112137	25124	55.9
0.5 हेक्टे0 से 1 हेक्टे0	44912	30886	22.4
1 हेक्टे0 से 2 हेक्टे0	28085	38083	14.22
2 हेक्टे0 से 4 हेक्टे0	11646	31045	5.8
4 हेक्टे0 से 10 हेक्टे0	3318	18333	1.6
10 हेक्टे0 से अधिक	166	2367	0.08
योग	**200264**	**14538**	**100.00**

स्त्रोत : सांख्यिकी पत्रिका जनपद कन्नौज से (1999)

उद्योग धन्धे

उद्योग अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 50 उद्योग इकाइयाँ पंजीकृत हैं। इन इकाईयों में 2070 व्यक्ति कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 1960 लघु उद्योग इकाइयाँ हैं जिनमें 20,000 कर्मी हैं। इत्र, मोमबत्ती, अगरबत्ती, इत्रदान, प्लास्टिक तथा अल्यूमिनियम की वस्तुओं के निर्माण में क़न्नौज का विशिष्ट स्थान है। विकास खण्ड तालग्राम का लगभग सम्पूर्ण क्षेत्र बीड़ी निर्माण कार्य से सम्बद्ध हैं विदेशी मुद्रा अर्जित करने में कन्नौज का प्रमुख योगदान है।

उपर्युक्त आर्थिक स्वरूप का यह तात्पर्य कदापि नहीं की जनपद सम्पन्न तथा सुख सुविधाओं से आच्छादित है। यहाँ की 1/3 जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। रोजगार से वंचित लोगों की भी एक बड़ी संख्या है। शैक्षिक दृष्टि से भी यह जनपद, पिछड़ा हुआ हैं।

जनसंख्या

जनपद की जनसंख्या का सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है। तालिका में विकास खण्डवार पुरूष महिला जनसंख्या तथा अनुसूचित वर्ग की जनसंख्या का विवरण भी दर्शाया गया है।

सारणी 1.6

विकास खण्डों तथा नगर क्षेत्रों की जनसंख्या

कमसं0	नाम	1991 की जनसंख्या						2001 की जनसंख्या Project					
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या		
		पु0	सं0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग
1.	उर्मदा	117928	97036	214964	22429	17921	40350	144225	118675	262900	27431	21917	49348
2.	छिबरामऊ	89373	74413	163786	15912	12906	28818	109303	91007	200310	19460	15784	3524
3.	तालग्राम	76889	64619	141588	14009	11748	25757	94035	79029	173064	17133	14368	31501
4.	सौरिख	6386	52524	116398	12808	10289	2319	79108	64237	142345	15664	12706	28370
5.	हसेरन	46791	38701	85492	7652	6195	13847	57225	47331	104556	9358	7576	16934
6.	कन्नौज	73883	62023	135906	17822	14412	32234	90359	75854	166213	21796	17626	39422
7.	जलालाबाद	63112	52904	116016	13883	11278	25161	77186	64701	141887	1379	13793	30772
	नगरीय क्षेत्र	69712	61080	13792	7761	6568	14329	85257	74701	159958	9492	8033	15525
	योग	531842	442220	974150	104515	84749	189364	735698	615535	1351233	137313	111803	249116

अध्याय – 2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

प्रगति के मार्ग में सबसे जटिल समस्या तथा बाधा मानव संसाधनों का समुचित उपयोग का न होना है। इन संसाधनों का उपयोग भली-भांति किया जा सके। इसके लिये शिक्षा एक मात्र तथा मौलिक अनिवार्यता है। शिक्षा का श्री गणेश चूँकि प्राथमिक शिक्षा से होता है और यही भविष्य की उच्च शिक्षा का आधार है अस्तु प्राथमिक स्तरीय शिक्षा पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है।

जनपद कन्नौज में सन् 2000 से जिला प्राथमिक कार्यक्रम - III (डी0पी0ई0पी0-III) चल रहा है। इसके अन्तर्गत शिक्षा की पहुँच तथा विस्तार, विद्यालयों में छात्रों की कक्षा एक से पाँच तक ठहराव, शैक्षिक सफलता वृद्धि तथा प्रबन्धक क्षमता में विकास के उद्देश्यों को सामने रखकर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना में समाज के सभी वर्गो से सम्बन्धित बालक-बालिकाओं का शत-प्रतिशत नामांकन ठहराव तथा गुणवत्ता का लक्ष्य रखा गया है। इस सम्पूर्ण परियोजना की गति प्रदान करने तथा कार्य सीमा को विस्तार देकर 6 से 14 वय वर्ग के छात्रों को सम्मिलित करने का उद्देश्य समक्ष रखकर सर्वशिक्षा के नाम से अभियान का आरम्भ इस जनपद में किया जा रहा है।

1991 एवं 2001 जनगणना के अनुसार जनपद में साक्षरता की दर निम्न सारणी के अनुसार है।

सारणी–2.1

क्रमांक	जनसंख्या विवरण	वर्ष 1991 को साक्षरता प्रतिशत	वर्ष 2001 का साक्षरता प्रतिशत
1.	कुल योग	38.5	41.60
2.	ग्रामीण	37.3	38.66
3.	नगरीय	57.32	61.00
4.	कुल पुरूष	49.36	55.73
5.	कुल महिला	25.35	26.0
6.	कुल ग्रामीण पुरूष	48.7	52.11
7.	ग्रामीण महिला	24.1	25.02
8.	नगरीय पुरूष	65.4	69.98
9.	नगरीय महिला	48.0	50.38

श्रोत-विभागीय आंकडे

सारणी - 2.2

विकास खण्डवार साक्षरता का स्तर - 2001

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	साक्षर संख्या			साक्षरता का प्रतिशत		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	उमर्दा	62153	24469	86622	48.2	23.4	37.6
2.	छिबरामऊ	48747	20646	69393	53.4	27.3	41.6
3.	तालग्राम	57983	25583	83566	46.5	22.2	34.6
4.	सैरिख	33060	13860	46920	50.3	25.7	39.3
5.	हसेरन	25466	10655	36120	53.0	27.0	41.5
6.	कन्नौज	3/8885	18304	56189	44.8	24.0	35.0
7.	जलालाबाद	28890	11199	40089	45.1	20.9	34.0
	योग (ग्रामीण)	294184	124716	418900	48.7	24.1	37.3
	योग (नगरीय)	24077	15570	39647	65.4	48.0	57.2
	महायोग	318261	140286	458547	49.6	25.5	38.5

श्रोत-विभागीय आंकड़े

सारणी - 2.3

प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्र0 सं0	ब्लाक का नाम	परीषदीय शासकीय			मान्यता प्राप्त			अमान्य संस्थायें		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	छिबरामऊ	127	08	135	32	60+3	95	27	19	46
2.	तालग्राम	107	07	114	17	26	43	23	13	36
3.	सौरिख	104	02	106	16	04	20	16	12	28
4.	जलालाबाद	87	-	87	13	-	13	9	-	9
5.	कन्नौज	110	-	110	27	23	50	22	17	39
6.	हसेरन	98	-	98	06	-	06	14	-	14
7.	उमर्दा	146	04	150	39	17	56	26	18	44
8.	नगर क्षेत्र कन्नौज	-	17	17	-	-				
	योग-	779	38	817	150	133	283	137	79	216

सारणी - 2.4

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्र0 सं0	ब्लाक का नाम	परीषदीय शासकीय			मान्यता प्राप्त			अमान्य संस्थायें		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	छिबरामऊ	17	04	21	25	33	58	03	07	10
2.	तालग्राम	17	04	21	18	15	33	03	05	08
3.	सौरिख	12	01	13	19	09	28	01	02	03
4.	जलालाबाद	14	-	14	08	-	08	02	-	02
5.	कन्नौज	14	-	14	22	06	28	04	-	04
6.	हसेरन	15	-	15	16	-	16	02	-	02
7.	उमर्दा	25	01	26	47	14	61	04	05	09
8.	नगर क्षेत्र कन्नौज	-	04	04	-	06	06	-	08	08
	योग-	114	14	128	155	83	238	19	23	42

सारणी - 2.5

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्र0 सं0	ब्लाक का नाम	परीषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	यो
1.	प्राथमिक विद्यालय	779	38	817	150	133	283	929	171	1100	137	79	21
2.	माध्यमिक विद्यालय सम्वद्ध प्राथमिक विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	114	14	128	155	83	238	259	97	366	19	23	42
4.	माध्यमिक विद्यालय सम्वद्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-
5.	केन्द्रीय विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	नवोदय विद्यालय	-	-	-	-	01	01	-	01	01	-	-	-
7.	हाईस्कूल	-	-	-	-	-	46	-	-	46	-	-	-
8.	इण्टरमीडिएट	-	-	-	-	-	32	-	-	32	-	-	-
9.	डिग्री कालेज	-	-	-	-	01	01	-	01	01	-	-	-
10.	स्नातकोत्तर कालेज	-	-	-	-	03	03	-	03	03	-	-	-
11.	विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	तकनीकी संस्थान	-	-	-	-	02	02	-	02	02	-	-	-
13.	कम्प्यूटर शिक्षा सम्वन्धी संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	01	0
14.	आंगनवाड़ी केन्द्र,	-	-	-	225	-	225	225	-	225	-	-	-
15.	ई0सी0सी0ए0 केन्द्र	70	-	70	-	-	-	70	-	70	-	-	-
16.	मकतव/मदरसे	02	03	05	-	-	-	02	03	05	09	08	1
17.	संस्कृत पाठशाला	-	-	-	02	02	04	02	02	04	01	-	0
18.	विकलांगों के विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	01	-	01	-	-	-	01	-	01	-	-	-
20.	वी0आर0सी0	07	-	07	-	-	-	07	-	07	-	-	-
21.	एन0पी0आर0सी0	81	-	81	-	-	-	81	-	81	-	-	-

छात्र नामांकन

प्राथमिक स्तर:

जनपद कन्नौज में 6 से 11 आयु वर्ग के कुल 2,37,618 बच्चे चिन्हित किये गये है जिनमें 128717 बालक 108901 बालिकाएं है। जिनमें से जून 2003 में 121623 बालक, 102104 बालिकाए विद्यालय जाने वाली थी तथा जून 2003 में 17899 बच्चे 5^{+} से 6^{+} तथा 9319 बच्चे 7 से 10^{+} आयु वर्ग के विद्यालय से बाहर थे इस प्रकार वर्ष 2003-04 में 250945 बच्चों के नामांकन का लक्ष्य था जिसमें 134374 बालक, 113224 बालिकाएं कुल 247598 का नामांकन कराया जा चुका है 3347 बच्चे अबभी बाहर है जिनमें 951 बच्चे 6 से 11 आयु वर्ग में है जिनके नामांकन का प्रयास किया जा रहा है इस प्रकार एन0ई0आर0 99.6 प्रतिशत तथा जी0ई0आर0 104.2 प्रतिशत है।

उच्च प्राथमिक स्तर:

जनपद में 11 से 14 आयु वर्ग के कुल 100060 बच्चे चिन्हित किये गये है जिनमें 56160 बालक तथा 43900 बालिकाएं है जून 2003 में 51566 बालक 40394 बालिकाएं कुल 91960 बच्चे विद्यालय जाने वाले तथा 16 से 14 वय वर्ग के 3586 बालक, 3679 बालिकांए कुल 7265 बच्चे विद्यालय के बाहर पाये गये। 3679 बच्चों में 2978 बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराया जा चुका है। 701 बच्चे अब भी विद्यालय के बाहर है जिनके नामांकन हेतु प्रयास किया जा रहा है जनपद का एन0ई0आर0 99.3 प्रतिशत तथा जी0ई0आर0 102.1 प्रतिशत है।

सारणी - 2.6

छात्र नामांकन (प्राथमिक विद्यालय)

विकास खण्ड	6-11 वय वर्ग में बच्चों की संख्या			परिषदीय विद्यालयों में नामांकन			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन			अमान्य विद्यालयों में नामांकन		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
छिबरामऊ	22700	18737	41437	13782	14554	28336	9237	4467	13704	530	378	908
तालग्राम	24112	20118	44230	13534	13253	26787	11270	7391	18661	272	169	441
सौरिख	13922	11727	25649	10967	10699	21666	3705	1369	5074	133	54	187
जलालाबाद	12758	11056	23814	11555	9990	21545	1745	1565	3310	100	60	160
कन्नौज	14915	13072	27987	13813	12900	26713	1593	460	2053	121	75	196
हसेरन	10572	8590	19162	7275	7169	14444	3668	1829	5497	146	81	227
उमर्दा	25223	21714	46937	16041	16519	32560	9656	5820	15476	409	314	723
नगर क्षेत्र कन्नौज	4515	3887	8402	1633	1537	3170	3095	2514	5609	94	57	151
योग-	128717	108901	237618	88600	86621	175221	43969	25415	69384	1805	1188	2993

247598

सारणी - 2.7

छात्र नामांकन (उच्च प्राथमिक विद्यालय)

विकास खण्ड	11-14 वय वर्ग में बच्चों की संख्या			परिषदीय विद्यालयों में नामांकन			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन			अमान्य विद्यालयों में नामांकन		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
छिबरामऊ	11240	8368	19608	1507	1462	2969	9715	6942	16657	208	115	323
तालग्राम	9050	6950	16000	1762	980	2742	7254	5981	13235	198	112	310
सौरिख	7074	5365	12439	747	772	1519	6445	4688	11133	101	90	161
जलालाबाद	5608	4620	10228	1529	1124	2653	4150	3471	7721	113	69	182
कन्नौज	6405	5255	11660	1580	1199	2779	4773	4054	8827	158	85	243
हसेरन	5040	3655	8695	1008	934	1942	3962	2677	6639	152	101	253
उमर्दा	9320	7606	16926	1967	1713	3980	7289	5913	13202	201	98	299
नगर क्षेत्र कन्नौज	2423	2081	4504	249	298	547	2199	1845	4044	76	25	101
योग-	56160	43900	100060	10349	8482	18831	45787	35671	81458	1207	665	1872

102161

सारणी - 2.8

स्कूल जाने वाले बच्चों की स्थिति

क्र0 सं0	विकास खण्ड	6-11 वय वर्ग			11-14 वय वर्ग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	छिबरामऊ	492	465	957	474	542	1016
2.	तालग्राम	2190	2089	4279	761	724	1485
3.	सौरिख	559	462	1021	438	251	689
4.	जलालाबाद	1108	991	2099	1310	513	1823
5.	कन्नौज	1387	1716	3103	902	791	1693
6.	हसेरन	287	254	541	160	148	308
7.	उमर्दा	472	340	812	242	243	485
8.	नगर क्षेत्र कन्नौज	599	480	1079	307	294	601
	योग-	7094	6797	13891	4594	3506	8100

सारणी - 2.9

जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 प्राथमिक स्तर

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	कुल नामांकन अनुपात प्राथमिक (जी0ई0आर0)			शुद्ध नामांकन अनुपात (एन0ई0आर0)		
		बालक (%)	बालिका (%)	योग (%)	बालक (%)	बालिका (%)	योग (%)
1.	छिबरामऊ	103.74	103.53	103.65	99.90	99.54	99.71
2.	तालग्राम	104.00	103.45	103.75	99.80	99.45	99.64
3.	सौरिख	106.34	103.37	106.64	99.82	99.44	99.65
4.	जलालाबाद	105.10	105.06	105.04	99.50	98.88	99.21
5.	कन्नौज	104.10	102.78	103.48	99.70	98.98	99.37
6.	हसेरन	104.89	105.69	105.25	99.76	99.50	99.65
7.	उमर्दा	103.50	104.32	103.88	99.93	99.70	99.82
8.	नगर क्षेत्र कन्नौज	106.81	105.68	106.28	99.73	98.30	99.24
	योग-	104.39	103.97	104.20	99.79	99.37	99.6

सारणी - 2.10

जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 उच्च प्राथमिक स्तर

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	कुल नामांकन अनुपात प्राथमिक (जी0ई0आर0)			शुद्ध नामांकन अनुपात (एन0ई0आर0)		
		बालक (%)	बालिका (%)	योग (%)	बालक (%)	बालिका (%)	योग (%)
1.	छिबरामऊ	101.69	101.80	101.74	99.73	99.31	99.55
2.	तालग्राम	101.81	101.77	101.79	99.43	98.91	99.20
3.	सौरिख	103.10	102.89	103.00	99.73	99.24	97.54
4.	जलालाबाद	103.29	103.12	103.21	99.04	97.45	98.46
5.	कन्नौज	101.66	101.58	101.62	99.44	97.91	98.75
6.	हसेरन	101.63	101.56	101.60	99.82	99.51	99.69
7.	उमर्दा	101.47	101.55	101.51	99.88	99.59	99.75
8.	नगर क्षेत्र कन्नौज	104.20	104.18	104.17	99.38	98.22	98.85
	योग-	102.11	102.09	102.10	99.60	98.92	99.30

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचकांक जनपद- कन्नौज

वर्ष 1999-2004 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1999-2000	5980	4973	10953	54.6	45.4	100
2000-01	6838	6041	12879	53.1	46.9	100
2001-02	7609	6577	14186	53.6	46.4	100
2002-03	9409	7712	17121	55.0	45.0	100
2003-04	10349	8482	18831	55.0	45.0	100

स्रोत: कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जनपद वर्ष 1999-2000 डी0पी0ई0पी0-तृतीय परियोजना से आच्छादित है परियोजना के कार्यक्रमों से प्राथमिक स्तर से नामांकन में वृद्धि के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन में वृद्धि हुई।

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि

वर्ष	कक्षा-6	कक्षा-7	कक्षा-8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1999-2000	3905	3652	3396	10953	-
2000-01	4609	4450	3820	12879	17.5
2001-02	5077	4899	4210	14186	10.1
2002-03	7052	5369	4700	17121	20.7
2003-04	7756	5905	5170	18831	10.0

स्रोत: कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

उपरोक्त सारणी में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया है। जिसका विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-04 में क्रमशः 17.5, 10.1, 20.7 एवं 10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष	कक्षा-5	कक्षा-6	ट्रांजेक्शन दर
1999-2000	18134	3905	21.5
2000-01	18327	4609	25.1
2001-02	18342	5077	27.7
2002-03	19969	7052	35.3
2003-04		7756	38.8

स्रोत: कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

उक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कितने छात्र प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर की शिक्षा में नामांकित होते हैं जनपद में परिषदीय विद्यालय ट्रांजेक्शन दर 38.8 है। सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर से लगभग 38.8 प्रतिशत छात्र उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकित हो पाते हैं।

सारणी- 2.11

विद्या केन्द्र एवं शिक्षा केन्द्र संचालित वर्षवार विवरण

वर्ष	स्वीकृत संख्या		संचालित संख्या	
	विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र	विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र
2000-01	25	05	25	05
2001-02	25	45	25	45
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
योग-	50	50	50	50

स्रोत: कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

सारणी - 2.12

प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता

क्र0 सं0	ब्लाक का नाम	प्राथमिक विद्यालय					उच्च प्राथमिक विद्यालय			
		सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	शिक्षा मित्रों की स्वीकृत सं0	कार्यरत	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त पद	स्वीकृत मित्रों
1.	छिवरामऊ	506	424	82	19	18	102	89	13	0
2.	तालग्राम	349	234	115	34	34	98	75	23	0
3.	सौरिख	256	178	78	39	39	70	67	03	0
4.	जलालावाद	206	148	78	32	31	63	43	20	0
5.	कन्नौज	367	251	116	34	33	65	42	23	0
6.	हसेरन	269	170	99	29	29	70	36	34	0
7.	उमर्दा	494	280	214	46	45	122	110	12	0
8.	नगर क्षेत्र कन्नौज	53	34	14	0	0	19	19	0	0
	योग-	2520	1724	796	233	229	609	481	128	0

सारणी-2.13

विकास खण्डवार शिक्षक-छात्र अनुपात 2003-04 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	विद्यालय की संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या (शिक्षा मित्रों सहित)	अनुपात
1.	छिबरामऊ	135	28336	525	1:54
2.	तालग्राम	114	26787	383	1:70
3.	सौरिख	106	21666	295	1:73
4.	जलालाबाद	87	21545	258	1:83
5.	कन्नौज	110	26713	401	1:67
6.	हसेरन	98	14444	298	1:48
7.	उमर्दा	150	32560	540	1:60
8.	नगर क्षेत्र कन्नौज	17	3170	53	1:60
	योग-	817	175221	2753	1:64

सारणी-2.14

विकास खण्डवार शिक्षक-छात्र अनुपात 2003-04 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	विद्यालय की संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या (शिक्षा मित्रों सहित)	अनुपात
1.	छिबरामऊ	21	2969	102	1:29
2.	तालग्राम	21	2742	98	1:28
3.	सौरिख	13	1519	70	1:22
4.	जलालाबाद	14	2653	63	1:42
5.	कन्नौज	14	2779	65	1:43
6.	हसेरन	15	1942	70	1:28
7.	उमर्दा	26	3680	122	1:30
8.	नगर क्षेत्र कन्नौज	04	547	19	1:29
	योग-	128	18831	609	1:31

सारणी- 2.15

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता (क)

	1 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय	1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय की उपलब्धता	प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय/ई0 जी0एस0
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी जनसंख्या 300 से अधिक है।	945	351	40	40
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी जनसंख्या 300 से कम है।	532	318	20	20

स्रोत: ए0बी0एस0ए0

सारणी- 2.18

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता (ख)

	3 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय	3 किमी0 से अधिक दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय/ए0आई0ई0
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी जनसंख्या 800 से अधिक है।	500	85	85
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी जनसंख्या 800 से कम है।	1189	21	21

स्रोत: ए0बी0एस0ए0

सारणी- 2.17

प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

निम्न सारणी में जनपद के परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध कक्षा-कक्षों का विवरण दिया है

1.	प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या	817
क.	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	21
ख.	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	595
ग.	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	179
घ.	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	15
ड.	पाँ कक्षीय विद्यालयों की संख्या	04
च.	पाँच से अधिक कक्ष वाले विद्यालयों	0
	कुल उपलब्ध कक्ष	1828

स्रोत: कार्यालय अभिलेखानुसार

सारणी- 2.18

मरम्मत योग्य प्राथमिक विद्यालयों की संख्या

पुनर्निर्माण हेतु विद्यालयों की संख्या	लघु मरम्मत योग्य	वृहत मरम्मत योग्य
29	20	15
शौचालय युक्त विद्यालयों की संख्या	661	
हैण्डपम्प युक्त विद्यालयों की संख्या	773	
चहारदीवारी युक्त विद्यालयों की संख्या	46	
चहारदीवारी विहीन विद्यालयों की संख्या	771	
हैण्डपम्प विहीन विद्यालयों की संख्या	44	
शौचालय विहीन विद्यालयों की संख्या	156	

स्रोत: कार्यालय अभिलेखानुसार

सारणी- 2.19

उच्च प्राथमिक विद्यालय - कुल विद्यालयों की संख्या - 128

पुनर्निर्माण हेतु विद्यालयों की संख्या	लघु मरम्मत योग्य	वृहत मरम्मत योग्य
12	14	05

कक्षों की संख्या के अनुसार विद्यालय

एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	01
दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	04
तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	11
चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	108
पाँच कक्षीय विद्यालयों की संख्या	0
पाँच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	0
कुल उपलब्ध कक्ष	474
शौचालयों की संख्या	86
हैण्डपक्प युक्त विद्यालय	113
चहारदीवारी युक्त विद्यालय	43
शौचालय विहीन	42
हैण्डपम्प विहीन	15
चहारदीवारी विहीन	85

स्रोत: कार्यालय अभिलेखानुसार

. .सारणी .- . 2.20 .

भौतिक सुविधाओं की वांछित आवश्यकता

क्रम	मद	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		कमी	डी0पी0ई0पी0 वित्त प्राविधान	मांग	कमी	डी0पी0ई0पी0 वित्त प्राविधान	मांग
1.	नवीन विद्यालय	40	0	40	85	0	85
2.	विद्यालय पुनर्निर्माण	29	0	29	12	0	12
3.	अतिरिक्त कक्ष प्रति शिक्षक/प्रति कक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि	663	0	663	251	0	251
4.	पयेजल सुविधा	44	0	44	15	0	15
5.	शौचालय	156	0	156	42	0	42
6.	चहारदीवारी	771	0	771	85	0	85

अध्याय–3

सर्वशिक्षा अभियान योजना निर्माण प्रक्रिया

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति एवं 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने तथा समुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2010 तक समाज के प्रत्येक वर्ग के बालक–बालिका को गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराना है।

भारत सरकार की सहायता से संचालित सर्व शिक्षा अभियान के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके इसके लिए निम्न स्तर ग्राम सभाओं तक शिक्षा का विकेन्द्रीकरण करना एवं सामाजिक संस्थाओं की भी सहभागिता सुनिश्चित कराना भी एक विशेष बिन्दु हे। अभियान के माध्यम से जनपद के समस्त बच्चों को शिक्षित कर प्रदेश के विकास में महत्पूर्ण योगदान देना है।

नियोजन टीम का गठन :–

सर्व शिक्षा अभियान कार्य योजना एवं बजट का सफलतापूर्वक निर्माण करने हेतु – प्राचार्य डायट, विशेषज्ञ बेसिक शिक्ष अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, वरिष्ठ प्रवक्ता डायट, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की टीम का गठन किया गया।

गोष्ठी का आयोजन :–

सर्व शिक्ष अभियान कार्ययोजना एवं बजट तैयार करने के उद्देश्य से माह अक्टूबर के अन्तिम शनिवार को जनपद के प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर बैठकें आयोजित की गई जिनमें उस क्षेत्र के विद्यालयों के कार्यरत शिक्षक/शिक्षा मित्र, ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति के

सदस्य, ए0वी0एस0ए/एस0डी0आई0, जिला समन्वयक एन0पी0आर0सी0 सगन्वयकों ने प्रतिभाग किया। बैठक में मुख्या रूप से निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई–

1. 6–11 तथा 11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या।
2. विद्यालयों न जाने वाले बालक/बालिकाओं का विद्यालय न जाने का कारण।
3. विद्यालय न जाने वाले बालक/बालिकाओं का विद्यालय न जाने का कारण।
4. विद्यालय न जाने वाले बालक/बालिकाओं का विद्यालय न जाने का कारण।
5. नवीन विद्यालय खोलने की आवश्यकता।
6. यदि मानक आधार खोलने की आवश्यकता।
7. छात्र तथा अध्यापक अनुपात की स्थिति।
8. विद्यालयों में अध्यापकों की स्थिति तथा नियमित उपस्थिति।
9. विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति।
10. शिक्षण कार्य की स्थिति/बच्चों का स्तर।
11. बाल श्रमिकों से सम्बन्धित जानकारी।
12. विकलांग बच्चों का विवरण।
13. बालिका शिक्षा की स्थिति।
14. विद्यालयों में श्रेणी करण की स्थिति।
15. गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के उपयोग पर चर्चा।

फोकस ग्रुप डिस्कशन :

सर्व शिक्षा अभियान की योजना बनाने के पूर्व समाज के विभिन्न वर्गो की सहभारिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित फोकस ग्रूप डिस्कशन (समूह चर्चा) किये गये, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	तिथि	स्थान	प्रतिभागियो का विवरण	बैठक विचाार विमर्श में उभरे बिन्दू एवं चर्चित समस्याये आदि का संक्षिप्त विवरण अपेक्षायें / संभावित	
1.	5.11.2001 से 6.11. 2001 तक	सीनेट इलाहाबाद	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपबेसिक शिाअधिकारी, जिलासमन्वयक (प्रशिक्षण) सहा0 वित्त एवं लेखाधिकारी एवं सहायक बे0 शिक्षा अधि0	सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना निर्माण हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया।	दिनांक 10.12.2001 से 11.12.2001 को कार्य योजना निर्माण कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।
2.	12.11.2001	डी0पी0ओ0 कन्नौज	1. वि0 बे0 शि0 अधिकारी 2. समस्त ABSA/SDI 3. समस्त जिला समन्वयक 4. समस्त वी0 आर0 सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वक 5. उप 0बे0 शि0 अधिकारी	सर्व शिक्षा अभियान की योजना समझबूझ के साथ तैयार की जाय और जनपद के ग्रामीण अंचलों की मुख्य रामस्याओं को समाहित करते हुए लक्ष्य निर्धारित किये जाये।	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सर्व प्रथम सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं उसकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताया तथा विशेष परिस्थितियों जैसे विमिन्न विकास खण्डों के भट्ठा मजदूरों के बच्चों के घुमन्तू बच्चों के लिए विशेष योजना तैयार किया जाए।
3.	13.11.2001	जि0 शि0 एवं प्रशि0 संस्थान	जि0 बेसि0 शिक्षा अधिकारी 1. प्राचार्य जि0 शिक्षा एव	सर्व शिक्षा अभियान की मूलभूत समस्याये वर्षवार	1. प्रत्येक विकास खण्ड के शैक्षिक आंकड़ों का

		छिबरामऊ (कन्नौज)	प्रशि0 संस्थान 2. उप बेसिक शिक्षा अधि0 3. सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी	पर्सपेक्टिव प्लान का निर्माण एवं समस्याओं के निराकरण पर विचार	निर्धारण हेतु (माइक्रो प्लानिंग) के आधार पर तैयार करना। 2. मूलभूत समस्यायें प्रत्येक क्षेत्र से एकत्रित की जाय।
4.	16.11.2001	बी0आर0सी0 कन्नौज	1. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी 2. समन्वयक बी0आर0सी 3. सहसमन्वयक बी0आर0सी 4. समन्वयक एन0 पी0 आर0 सी0	1. अध्यापकों का गतिविधि आधारित शिक्षण पर विचार 2. विद्यालय का वातावरण आकर्षक बनाने पर विचार	1. सेवारत प्रशिक्षण में बनाये गये ज्ञान/विधियों निश्चित रूप से अध्यापक विद्यालय में प्रयोग करें। 2. कम लागत में निर्मित शिक्षण सहायक सामग्री का अवश्य प्रयोग किया जाय। 3. विद्यालय की स्वच्छता एवं बच्चों को साफ सुथरा रखनें हेतु सभी लोग मिल कर प्रयास

					करें।
5.	21.11.01	बी0 आर0 सी0 उमर्दा	1. सहा0 बे0 शि0 अधिकारी 2. समन्वयक/सह समन्वयक बी0आर0सी0 3. रसमन्वयक एन.पी.आर.सी. 4. बी. डी.सी. सदस्या 5. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1. जनसहभागिता पर विचार 2. अल्प संख्यक बच्चों के शिखा पर विचार 3. सर्वशिक्षा अभियान का प्रचार प्रसार	1. सभी जन प्रतिनिधियों ने विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अभिवाहक को प्रेरित करने का संकल्प व्यक्त किया। 2. अल्प संख्याक परिवारों का गहन सर्वेक्षण करके बच्चों का विद्यालय में दाखिला कराना सुनिश्चित किया जाय तथा उनके अभिभावक को सहयोग के लिए प्रेरित किया जाय। 3. सर्वशिक्षा अभियान की आवश्यकता एवं जनसमुदाय की सहभागिता लेकर पंजीकरण का लक्ष्य पूर्ण

						किया जाय।
6.	26.11.2001	B.R.C. तालग्राम	1. सहा0 बेसि0 शिक्षा अधिकारी/प्रति उप वि0 निरीक्षण 2. समन्वयक/सह समन्वयक BRC 3. समन्वयक NPRC 4. ग्राम प्रधानगण		1. विद्यालय परिसर को आकर्षक बनाने पर विचार 2. शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदारसीनता एवं अपेक्षित सहयोग ने मिलना।	1. विद्यालय परसिर को पेड़ पौधों (बागवानी) के द्वारा बनाया जाय। तथा विद्यालय भवन को पुताई एवं रंगाई तथा आदर्श वाक्यों से सुसज्जित किया जाए। 2. प्रचार प्रसार के माध्यम से शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता पैदा किया जाय।
7.	26.11.01	N.P.R.C केन्द्र नजरापुर	1. सहा0 बेसि0 शिक्षा अधि0 2. उप वि0 निरीक्षक	4. ग्राम प्रधान 5. अभिभाव क तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण	1. शिक्षकों का अभाव एवं अन्य कार्यो में लगाया जाना। 2. छात्र नामांकन एवं ठहराव बढाने के लिए अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित	1. 40:1 के छात्र अध्यापक अनुपात के स्तर को प्राप्त किया जाये (शिक्षा मित्रों की तैनाती) के माध्यम से पूर्ण किया जाये। 2. सामाजिक

			3. स मन्वयक BRC		करना।	सहभागिता हेतु अभिभवकों से सम्पर्क करना एवं जन सामान्य को प्रेरित किया।
8.	30.11.2001	B.R.C. छिबरामऊ	1. सहा0 बे0 शि0 अधि0 2. प्रति उप0 वि0 नि0 3. समन्वयक/सह समन्वयक B.R.C. छिबरामऊ 4. समन्वयक एन0 पी0 आर0 सी0		1. विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का अभाव 2. शिक्षा के प्रति अभिभावकों बच्चों में जागरूकता का अभाव। 3. शिक्षक के व्यवहार में कुशलता एवं व्यक्तित्वों में कमी।	1. विद्यालय भवनों का निर्माण अतिशीघ्र पूर्ण कराये जायें एवं उनमें आवश्यक साज सज्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। 2. प्रचाार प्रसार के माध्यम से शिक्षा के प्रति सामाजिक जागृति उत्पन्न की जाय। 3. बच्चों के प्रति शिक्षक द्वारा विनम्र व्यवहार किया जाय।

9.	01.12. 2001	B.R.C. सौरिख	1. सहा0 बे0 शि0 अधिकारी 2.समन्वयक सह समन्वयक बी0 आर0 सी0 3. स0 अ0 /प्र0 अ0 वि0 ख0 सौरिख	1. अध्यापक टी0 एल0 एम0 का उपयोग नहीं करते। 2. निर्बल आय वर्ग के बच्चों के समस्त गणवेश एवं पुस्तक की समस्या	1. अध्यापकों द्वारा टी0 एल0 एम0 का निर्माण किया जाये। पाठक सहगामी कियाओं पर ध्यान दिया जाय। प्राप्त प्रशिक्षणों का प्रयोग कक्षाओं को दिया जाय। 2. पोषाहार योजना की भांति गणवेश की व्यवस्था की जाय। अन्य कार्यो से मुक्त कर अध्यापकों को शिक्षण पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाय।
10.	2.12.2001	बी0 आर0 सी0 जलालाबाद	1. सहा0 बे0 शि0 अधिकारी 2. समन्वयक/ सहा0 समन्वयक बी0आर0सी0 3. अभिभावक	1.जहां विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं। मजदूर भट्टे पर ही बच्चों को ले जाते हैं। जो काम में हाथ बटाते हैं यदि बच्चों को स्कूल भेजें तो कैसे ? 2. 6–14 वयवर्ग की	1. ब्रिज कोर्स एवं समर कैम्प व्यवस्था में नि;शुल्क सामग्री उपलब्ध करायी जाय तथा मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाय। 2. रूचिपूर्ण एवं गुणवत्ता परक शिक्षा से बालिकाओं के शिक्षण हेतु प्रेरित करना।

			4. ग्राम प्रधानगण	ऐसी बालिकाओं का ग्राम पंचायत की खाली बैठक में चिन्हीकरण जो विद्यालय नहीं जाती अथवा इसका त्याग कर देती हैं।	
11.	3.12.2001	बे0 आर0 सी हसेरन	1. जिला बे0 शि0 अधि0 2. उप0 बे0 शि0 अधिकारी 3. सहा0 बे0 शि0 अधि0 4. प्रति उप वि0 नि0 5. समन्वयक/ सह समन्वयक 6. अभिभावकगण 7. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण	1. पूर्व माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता है एवं सभी विद्यालयों को पेयजल शौचालय काष्ठोपकरण उपलब्ध नहीं है। 2. शिक्षा के प्रति अविभावकों की उदासीनता एवं सहयोग न मिलना । 3. विद्यालय परिचारिका का अभाव 4. बच्चों के मनोरंजन की विद्यालय में	1. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को स्थापित किया जाय तथा शौचालय पेयजल काष्ठोपकरण की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कराया जाना आवश्यक है परन्तु बालिका शिक्षा पर ध्यान नहीं देते है। बालिकाओं की शिक्षा पर उदासीनता प्रदर्शित करते हैं ब्लाक में सभी का स्वागत करते हुए कार्यशाला में आये हुऐ सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए यह संकल्प किया कि वे विकास क्षेत्र में उन क्षेत्रों की जहां की बालिकाओं का नामांकन

				व्यवस्था का न होना। 5. गांव/न्याय पंचायत/विकास खण्ड तहसील जिला स्तर पर बच्चों के स्टेडियम की अनुपलब्धता।	अभिभावक नहीं कराते है जोर देकर उनका नामांकन कराकर शिक्षा से जोड़ने का भरसक प्रयास करेंगे। 2. सामाजिक सहभागिता हेतु प्रयास किये जाने एवं सामाजिक जागृति के द्वारा अभिभावक जन सामान्य को प्रेरित किया जाय। 3. परिचारकों के अभाव का नियुक्ति माध्यम से पूर्ण किया जाय। 4. खेलकूद एवं मनोरंजन हेतु शिक्षणोंत्तर क्रियाकलापों की सामाग्री उपलब्ध करायी जाय। 5. जिले/तहसील पर खेलकूद स्टेडियम की व्यवस्था की जाय।
12.	4.12.2001	ग्राम सुर्सी (उमदी)	प्रति उप वि0 निरीक्षक ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा	1. शिक्षा में गुणवत्ता परक शिक्षा अपेक्षित 2. आर्थिक एवं	सर्वप्रथम विकास क्षेत्र के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक आये हुए प्रतिभागियों का

			समन्वयक/सह समन्ययक न्याय पंचायत प्रभारी	सामाजिक पिछड़ापन 3. अनु जन जातीय वर्ग में बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिये जाने पर विचार 4. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता पर विचार	स्वागत करते हुए विचार गोष्ठी का सम्यक संचालन करते हुए बालिका शिक्षा पर बल दिया ततपश्चात विचार गोष्ठी में आये हुए सभी सहभागियों ने संकल्प किया किवे पूर्ण मनोयोग के साथ बालिका नामांकन पर ध्यान देकर अविभावकों में फेले अन्धविश्वास एवं उदासीनता को दूर करने का सम्यक सहयोग प्रदान करेंगें।
13.		जलालपुर पनवारा (कन्नौज)	1. उपबेसिक शिक्षा अधिकारी 2. प्रति उपविद्या0 निरीक्षक 3. ब्लाक प्रमुख 4. खण्ड विकास अधि0 5. ग्राम प्रधान	1. बिना भेदभाव के बालिका शिक्षा पर बल 2. समाज में महिलाओं की बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता 3. अभिभावकों वर्ग बालिकाओं का नामांकन विद्यालय में नही कराते है।	विकास क्षेत्र के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू आये। जिनमेंमुख्यतः बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगबालकों

			अधि0 6. प्रधानाध्यपक 7. अभिभावक	4. लिंग भेद समाप्त करना। 5. विद्यालय का वातावरण आकर्षण न होना।	की शिक्षा पर उदासीनता प्रदर्शित करते है। ब्लाक प्रमुख ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यशाला में उन क्षेत्रों की जहाँ की बालिकाओं का नामांकन अभिवाहक नहीं कराते हैं जोर देकर उनका नामाकंन कराकर शिक्षा से जोड़ने का भरसक प्रयास करेगें।
14.		जिला परियोजना कार्यालय कन्नौज	1. जिला बे0 शि0 अधि0 2. उप बे0 शिक्षा अधि 3. प्रति उप विद्याा निरीक्षक 4. ग्राम प्रधान 5. अभिभावक 6. ग्राम शिक्षा समिति	1. विद्यालय का वातावरण आकर्षक न होना। 2. अध्यापक से अन्य विभागों का कार्य कराया जाना। 3. सतत् मूल्यांकन का अभाव 4. निरीक्षण पर्यवेक्षण 5. शौचालय एवं चहारदीवारी की कमी।	समस्त सहायक बेसिक शिक्षा श्री जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए हर्ष मन से आए हुए बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। 1. बालिकाओं की शिक्षा में तथा अभिवाहकों द्वारा नामांकन न कराये जाने का मुख्य कारण विद्यालयों में चहादीवारी एवं शौचालयों का न होना प्रमुख था।

					जिसके लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी विद्यालयों को उक्त सुविधाओं से सुसज्जित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाना आवश्यक है। 2. शिक्षकों की छात्र अनुपात में कमी होने के बावजूद शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अनके कार्य कराये जाने से शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। तथा कमिक शिक्षा एवं सतत मूल्यांकन का कार्य प्रभावित होता है। इस प्रकार यह अपेक्षा की गयी है कि सरकार शिक्षकों से अन्य कार्य कम से कम लें। इसी के साथ कार्यशाला का समापन कर दिया गया।

प्राथमिक शिक्ष के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोगः-

योजना को उसके अभीष्ट लक्ष्यों तथा सफलतापूर्वक पहुँचाने के लिये सम्बन्धित विभागों से सुनियोजित सहयोग अनिवार्य है। अस्तु इस दिशा में निम्न सहयोग प्राप्त किया गया ।

(A) आई0 सी0 एस0 के साथ समन्वय सहयोग :–

जनपदीय कार्यक्रम अधिकारी समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, एन0जी0ओ0 आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ तथा विकासखण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है। आई0सी0डी0एस0 के साथ निम्न विवरण के अनुसार समन्वय स्थापित किया जाता है।

1. आँगनवाड़ी केन्द्रों का समय विद्यालय समय के अनुसार निर्धारित किया जाना।
2. आँगन बाड़ी केन्द्रें की स्थापना विद्यालय परिसर या उसके निकट आ जाती है।
3. आँगन बाड़ी केन्द्रों को सहायक शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4. केन्द्रो को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाना।
5. केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या के लिये अनुपालिक ढंग से मानदेय दिया जाना।

(B) स्वास्थ्य विभाग से समन्वय :–

परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना तथा रोगी छात्रों के बारे में उनके अभिभावकों को अवगत कर चिकित्सा व्यवस्था करना। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सकों की सेवाये प्राप्त की जायेंगी।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय :–

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों मे अनुसूचित समुदाय के छात्रों को प्रतिछात्र 30/– तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 480/– वार्षिक छात्रवत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय :–

असेवित बस्तियों में ग्राम पंचायतों के सहयोग से निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी भूमि पर विद्यालय भवन का निर्माण तथा संचालन करना।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का सहयोग :–

इस विभाग के सहयोग से विद्यालयों में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थित देने वाले छात्रों को प्रति छात्र 3 किलाग्राम मासिक पोषहार का वितरण सुनिश्चित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है।

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय :–

विकलांग छात्र–छात्राओं को विकलांग वाहन उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना।

(G) उ0प्र0 जल निगम तथा यू0पी0 एग्रों से समन्वय :–

पेयजल की व्यवस्था हेतु उपरोक्त विभागों से हैण्डपम्प की व्यवस्था करना।

(H) युवा कल्याण विभाग :–

छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित करने के लिये युवा कल्याण विभाग का सहयोग प्राप्त करना जिससे उनमें खेल भावना का विकास करना। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना।

(I) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय :–

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक समुदाय को इन दोनों विभागों से सम्पर्ककर प्रति छात्र प्रति वर्ष 300 प्रतिशत की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग समन्वय :–

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य अभिकरण से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से तथा शेष 60 प्रतिशत धनराशि DRDA से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराना।

उपरोक्त सभी विभागों से पूर्व संचालित डी0 पी0 ई0 पी0कार्यक्रम की भाँति सहयोग प्राप्त किया गया एवं प्राप्त किया जाता रहेगा।

इसके उपरांत जिला परियोजना कार्यालय में जनपद स्तर पर विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उपविद्यालय निरीक्षक, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभी ब्लाक समन्वयक, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी सभी एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों ने प्रतिभाग किया।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा सूचनायें एकत्र की गई।

1. ग्राम में 6–11 तथा 11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या।

2. विद्यालयों तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या।

3. विद्यालय न जाने वाले बालक/बालिकाओं की संख्या।

4. विद्यालय न जाने वाले बालक/बालिकाओं का विद्यालय न जाने का कारण।

5. वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या महिला पुरूष जाने।

6. ग्रामों की संख्या, ग्राम सभाओं की संस्था, आबाद ग्राम/व्यक्तिगत संस्था, गैर आबाद क्षेत्र, कुल ग्राम /बस्तियों की संख्या, नगरो की संख्या नाम सूची सहित, ग्राम पंचायतों की संख्या।

7. ग्राम की संख्या जिनकी आबादी, 500 तक, 5000 से 1000, 1501 से 5000, 5000 से अधिक तथा जनसंख्या प्रतिशत।

8. 2001 की जनगणना के आधार पर कुल जनसंख्या महिला, पुरूष महिला, पुरूष, महिला साक्षरता दर, कुल साक्षरता।

9. विकास क्षेत्रों में 15–12–2002 को कार्यरत कुल प्रधान अध्यापक (महिला/पुरूष) सहायक अध्यापक (महिला/पुरूष) विशिष्ट वी0 टी0 सी0 (महिला/पुरूष) शिक्षा मित्र (महिला/पुरूष) एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक (महिला/पुरूष) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उपविद्यालय निरीक्षक (महिला/पुरूष) ।

10. माह नवम्बर की विद्यालयों की ग्रडिंग की सूचना।

11. शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता।

12. ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है। जिनमें 1 किमी0 से कम दूरी पर प्रा0 वि0, 1 से 1.5 किमी0 दूरी पर प्रा0 वि0 है, 1.5 किमी0 तक प्रा0वि0 नहीं हैं।

13. ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है जिनमें 1 किमी0 से कम दूरी पर प्रा0वि0 है, 1 से 1.5 किमी0 दूरी पर प्रा0वि0 है, 1.5 किमी0 तक प्रा0वि0 नहीं है।

14. ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है, जिनमें 3 किमी0 से कम दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिनमें 3 किमी0 तक उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है।

15. ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है, जिनमें 3 किमी0 से कम दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिनमें 3 किमी0 तक उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है।

16. परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण, कक्षा–कक्ष पुर्ननिर्माण हेतु, लघु मरम्मत, वृहत मरम्मत शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी।

17. छात्र तथा अध्यापक अनुपात की स्थिति।

18. विद्यालयों में अध्यापकों की स्थिति तथा उनकी नियमित उपस्थिति।

19. शिक्षण कार्य की स्थिति।

20. विकलांग बच्चों का विवरण।

स्कूल चलो अभियान

ज्नपद कन्नौज में नामांकन वृद्धि तथा शाला पलायन पर रोक के उद्देश्य से जुलाई 2001 में स्कूल चलो अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के फलस्वरू छात्र नामांकन में संतोषजनक वृद्धि हुयी है। साथ ही समाज में शिक्षाके प्रति चेतना जाग्रत हुयी तथा अनुकूल वातावरण सृजित हुआ है। सर्व शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में जिसका लाभ प्राप्त होना है।

इस अभियान के अर्न्तगत व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। अभियान का मूल्य उद्देश्य बालकों का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना है। स्कूल चलो अभियान की क्रियान्वयन में योजना निम्न प्रकार बनायी जाती है।

1. विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग से खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में इस अभियान को चलाया गया।

2. जनपद की सभी 81 न्याय पंचायतों पर अभियान चलाने के लिऐ एन0पी0आर0सी0 समन्वयक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

3. जनपद की 441 ग्राम पंचायतों पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

इस कार्यक्रम की सफल बनाने के लिये जिला विकास अधिकारी प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (छिबरामऊ), जिला विद्यालय निरीक्षक, जि0 पंचायत अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, सचिव साक्षरता समिति, जिला सूचना अधिकारी के भ्रमण कार्यक्रमों तथा सहयोग से इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की गयी।

दिनांक 6.7.2001 को विकास खण्ड स्तर पर तथा दिनांक 5.7.2001 को जनपदस्तरीय रैली का विशाल आयोजन किया गया। इस रैली में छात्रों अध्यापकों, शिक्षा तथा प्रशासन के समस्त अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधयिचों ने प्रति भाग किया। इस रैली को ग्राम स्तर पर भी आयोजित किया गया जिसमें विद्यालया के छात्र तथा अध्यापकों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तरीय समस्त अधिकारी, जन प्रतिनिधि, अशासकीय समाज सेवी संस्थाओं ने भी प्रति भाग किया।

दिनांक 31.7.2001 को अभियान के समापन की घोषणा की गयी। इस अभियान की उपलब्धियाँ निम्न सारणी में दर्शायी गयी है।

सरणी 3.1

स्कूल चलो अभियान (2001–2002)

प्राथमिक विद्यालय की छात्र संख्या (6–11 वय वर्ग)

स्तर	कुल बाल गणना			उपलब्धि			अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक समुदाय		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्रा0 विद्यालय	108615	97753	206268	75556	66572	142528	28497	18999	47496	35961	23974	59935	12980	7988	24968
गैर मान्यता प्राप्त	–	–	–	10343	4119	14462	727	2021	2748	1767	1700	3467	736	708	1444
मान्यता प्राप्त	–	–	–	18313	20909	39122	5957	9653	15610	7518	12181	19699	3131	5075	8206
योग	10865	97753	206368	104212	91600	196112	35181	30673	65854	45246	37855	83101	16847	13771	30618

उच्च प्राथमिक विद्यालय की छात्र संख्या (11–14 वय वर्ग)

स्तर	कुल बाल गणना			उपलब्धि			अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक समुदाय		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्रा0 विद्यालय	45195	70676	85871	7609	6577	14186	1664	1544	3208	5776	4117	9893	1416	1264	2680
गैर मान्यता प्राप्त	–	–	–	1165	867	2032	1394	1272	2666	2342	2120	4462	1390	1272	2662
मान्यता प्राप्त	–	–	–	34518	29982	64500	9336	6456	15792	7224	5883	13107	3584	1736	5320
योग	45195	40676	85871	43292	37426	80718	12394	9272	21666	15342	12120	27462	6390	4272	10662

सारणी 3.2

6 से 11 वर्ग विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या (जनपद कन्नौज)

क्र सं.	वर्ष	अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक समुदाय			अन्य			योग		
01		बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग
02	2001–02	570	1332	2302	1045	1568	2613	951	1424	2375	1137	1829	2966	4103	6153	10256

सारणी 3.3

11 से 14 वर्ग विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या (जनपद कन्नौज)

क्र सं.	वर्ष	अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक समुदाय			अन्य			योग		
01		बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग
02	2001–02	472	888	1360	734	1254	1988	468	997	1265	229	311	540	1903	3250	5153

सारणी संख्या–3.4

ब्लाक वार स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या

जनपद – कन्नौज

(2001–2002)

क्र सं	ब्लाक का नाम	6–11 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग		
		बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग
1.	कन्नौज	418	710	1128	210	357	567
2.	छिबरामऊ	1049	1515	2564	476	812	1288
3.	जलालाबाद	670	868	1538	287	488	775
4.	उर्मदा	520	915	1435	152	260	412
5.	तालग्राम	266	452	718	133	227	360
6.	हसेरन	342	582	924	171	292	463
7.	सौरिख	670	869	1539	287	486	773
8.	नगर क्षेत्र कन्नौज	168	242	410	187	328	515
	योग	4103	6153	10256	1903	3250	5153

उपरोक्त सूचनाओं का विश्लेषण कर सहा0 वित्त एवं लेखाधिकारी जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) द्वारा सर्वशिक्षा अभियान की कार्ययोजना का निर्माण किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन करते समय जनपद के प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण कराय गया जिससे स्कूल जाने वाले, एवं स्कूल न जाने वाले 6–11 वय वर्ग एवं 11–14 वय वर्ग वं बच्चों की संख्या एकत्रित की गई। इस कार्य के परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों को मुख्य रू से लगाया गया तथा ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग भी प्राप्त किया गया। पहली बार स्कूल न जाने वाले बच्चों के चार महत्वपूर्ण कारणों की पहचान की गयी तथा 6–14 वय वर्ग के बच्चे का इन चार वर्गो में विभाजन भी किया गया है। ये चार कारण निम्नवत् है–

1. अपने घरेलू कार्यो में लगे रहना।
2. मजदूरी में लगे रहना।
3. छोटे भाई–बहनों की देखभाल।
4. विद्यालय की अनुपलब्धता
5. विद्यालय की अनुपलब्धता।
6. अन्य कारण

उपर्युक्त कारणों से विद्यालयों न जाने वाले बच्चों का विवरण निम्नवत् है:–

सारणी संख्या–3.5

	कारण	5+ से 6+		7+ से 10+		11 से 14		योग		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1.	अपने घर के कार्यो में लगे रहना	1292	946	2133	1824	1573	1633	4998	4403	9401
2.	मजदूरी में लगे रहना	169	142	279	112	502	154	950	408	1358
3.	भाई बहनों की देखभाल	1323	1239	1084	1332	185	1077	2592	3648	6240
4.	विद्यालय दूर होने के कारण	547	431	210	92	37	45	794	568	1362
5.	अन्य कारण	6525	5285	1192	1061	1334	725	9051	7071	16122
	योग	9856	8043	4898	4421	3631	3634	18385	16098	34483

सारणी 3.6 : हाऊस होल्डर सर्वे क्षण जून 2003 एक संकलन

क्रम सं0	जनपद	6–11 वय वर्ग के बच्चे									11–14 वय वर्ग के बच्चे								
		कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे			कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	छिबरामऊ	22700	18737	41437	22208	18272	40480	492	465	957	11240	8368	19608	10766	7826	18592	474	542	1016
2.	सौरिख	13922	11727	25649	13363	11265	24628	559	462	1021	7074	5365	12439	6636	5114	11750	438	251	689
3.	तलग्राम	24112	20118	44230	21922	18029	39951	2190	2089	4279	9050	6950	16000	8289	6226	14515	761	724	1485
4.	जलालाबाद	12758	11056	23814	11650	10065	21715	1108	991	2099	5608	4620	10228	4298	4107	8405	1310	513	1823
5.	ळसेरन	10572	8590	19162	10285	8336	18621	287	254	541	5040	3655	8695	4880	3507	8387	160	148	308
6.	कन्नौज	14915	13072	27987	13528	11356	24884	1387	1716	3103	6405	5255	11660	5503	4464	9967	902	791	1693
7.	उमर्दा	25223	21714	46937	24751	21374	46125	472	340	812	9320	7606	16926	9078	7363	16441	242	243	485
8.	नगर क्षेत्र कन्नौज	4515	3887	8402	3916	3407	7323	599	480	1079	2423	2081	4504	2116	1787	3903	307	294	601
		128717	108901	237618	121623	102104	223727	7094	6797	13891	56160	43900	100060	51566	40394	91960	4594	3506	8100

हाउस होल्ड सर्वेक्षण 2003 से प्राप्त आंकडों के आधार पर सीमेट इलाहाबाद में दिनांक 1–9–2003, 2–9–2003 को दिये गये प्रशिक्षण के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान की कार्य योजना का संशोधन किया गया।

अध्याय 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य :–

सभी के लियेशिक्षा विषय पर सेनेगल के डकार नामक स्थान में अप्रैल 2003 में एक बैठक हुई जिसमें एन0 ई0 एफ0 के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इस बैठक में शिक्षा को मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। डकार सम्मेलन में सदस्या देशों के प्रतिनिधियों ने सन्न 2015 तक निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त किया :–

1. अपवंचित वर्ग के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करने हेतु सुविधाओं का विस्तार।
2. विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों एवं विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले बालक एवं बालिकाओं को 2015 तक उत्तम गुणवत्ता की निःशुल्क एवं पूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इनमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान अपेक्षित होगा।
3. युवा एवं प्रौढ़ व्यक्तियों को सन् 2015 तक जीवनोपयोगी एवं उचित अधिगम हेतु योजनाएं बनाना।
4. सन 2015 तक कम से कम 50 प्रतिशत साक्षरता वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना जिसमें बेसिक एवं सतत शिक्ष के माध्यम से युवाओं एवं प्रौढ़ों का शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय।

5. सन् 2015 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में लिंगानुपात में अन्तर को समाप्त किया जाना जिसमें बालिकाओं के उत्तम गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाय।

6. सन् 2015 तक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना तथा साक्षरता गणितीय एवं जीवनोपयोगी शिक्षा को प्राप्त करना तथा सबके द्वारा शिक्षा की ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिसका स्वयं परिचय एवं गायन हो।

उक्त लक्ष्यों को "डकार गोल" के नाम से अभि हित किया गया। डकार गोल को सन् 2015 तक प्राप्त करने का निर्णय किया गया था। जबकि भारत में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन लक्ष्यों को 2010 तक प्राप्त करने का संकल्प व्यक्त किया गया है।

भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु सर्व शिक्षा योजना के क्रियान्वयन का आहवान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ग के सभी वर्गो के बच्चों को शिक्षित करने का निश्चय किया गया है। 6 से 14 वय वर्ग का तात्पर्य यह है कि इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्यनिर्धारित किया गया है। इस योजना को वित्तीय सहायता हेतु नवी पंच वर्षीय योजना में अंशदान का अनुपात 75:25 तथा उससे आगे की अवधि में यह अनुपात 50:50 रहेगा।

राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान लागू करने की शासन द्वारा एक परिकल्पना की गयी है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित है।

उद्देश्य :–

- समाज के सभी वर्गो के लिए वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक केन्द्र विद्यालय की व्यवस्था, बैकटू स्कूल कैम्प के माध्यम से ही नामांकन का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना।
- वर्ष 2007 तक नामांकित सभी छात्रों द्वारा कक्षा 5 उत्तीर्ण कर लेना।
- इसी क्रम में 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना।
- गुणवत्ता से परिपूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
- सन् 2007 तक प्राथमिक स्तर तक तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक नामांकन तथा ठहराव के अन्तर को समाप्त करना।
- सार्वभौमिक ठहराव हेतु 2010 अन्तिम रूप से सुनिश्चित है।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा एक से कक्षा आठ तक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर निम्न लिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

1. सन् 2003 तक सभी बच्चें को प्राथमिक विद्यालय शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, बैंक टू स्कूल शिविर (वापस स्कूल चलो कैम्प) आदि में शत प्रतिशत नामांकन कराना।

2. सन् 2007 तक समस्त नामांकित बच्चों को कक्षा पांच तक की शिक्षा पूर्ण कर लेना।

3. सन् 2010 तक सभी बच्चों को कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।

4. गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

5. समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य तथा बालक बालिका में सन् 2007 तक प्राथमिक स्तर पर भेद–भाव समाप्त करना।

6. सन् 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव तथा सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।

7. सन् 2010 तक सार्वभौविक ठहराव।

उपर्युक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों को अंगीकार करते हुए जनपद कन्नौज के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो निम्नवत है।

नामांकन के लक्ष्य :–

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद की जनगणना की वार्षिक वृद्धि 2.2 प्रतिशत है जबकि सन् 1991 की जनगणना में यह 2.0 प्रतिशत थी। इस वार्षिक वृद्धि दर में वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की अपेक्षित कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

सारणी 4.1 : प्राथमिक स्तर पर नामांकन के सम्बन्ध में

वर्ष	6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नमांकन			GER
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
2001–02	–	–	–	–	–	–	–
2002–03	–	–	–	–	–	–	–
2003–04	128717	108901	237618	134374	113224	247598	104.2%
2004–05	131935	111624	243559	138664	117317	255981	105.1%
2005–06	135233	114414	249647	143349	121277	264626	106.0%
2006–07	138614	111274	255888	146931	124310	271241	106.0%
2007–08	142079	120206	262285	150604	127418	278022	106.0%
2008–09	145631	123211	268842	154389	130604	284973	106.0%
2009–10	149272	126292	275564	168828	123270	292098	106.0%

सारणी 4.2 : उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नमांकन			GER
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
2001–02	–	–	–	–	–	–	–
2002–03	–	–	–	–	–	–	–
2003–04	56160	43900	100060	57343	44818	102161	102.1%
2004–05	57564	44997	102561	59291	46347	105638	103.0%
2005–06	59003	46122	105125	61363	47967	109330	104.0%
2006–07	60478	47275	107753	63502	49639	113141	105.0%
2007–08	61990	48457	110447	60097	46977	107074	106.0%
2008–09	63539	49669	113208	67351	52649	120000	106.0%
2009–10	65128	50910	116038	69035	53965	123000	106.0%

वर्ष 2001 की जनगणना की विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या ग्रामीण/शहरी अनुसूचित, जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े प्राप्त है तथा उनका समावेश प्राथमिक स्तर पर 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के लिये वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिये 11–14 आयु वर्ग के बच्चों को वर्ष 2007 तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।

कुल नामांकन में कुछ कम उम्र के बच्चे तथा कुछ अधिक आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित होंगे इस लिये जी. ई. आर. का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। नामांकन के लक्ष्य में यहभी उल्लिखित है कि प्राथमिक स्तर पर सन् 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2007 के बाद जी. ई. आर में वृद्धि कम होगी। क्योकि 6–11 वर्ष तथा 11–14 वर्ष के वय वर्ग में जितने बच्चे नामांकन में भी बढ़ेंगे।

ठहराव के लक्ष्य :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की योजना में सन् 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा सन् 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत् प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये है जो निम्नवत है।

प्राथमिक स्तर

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट का लक्ष्य	ठहराव का प्रतिशत
2000–01	31 प्रतिशत	69
2001–02	28 प्रतिशत	72
2002–03	24 प्रतिशत	76
2003–04	20 प्रतिशत	80
2004–05	15 प्रतिशत	85
2005–06	10 प्रतिशत	90
2006–07	5 प्रतिशत	100
2007–08	0 प्रतिशत	100
2008–09	0 प्रतिशत	100
2009–10	0 प्रतिशत	100

उच्चतर प्राथमिक स्तर

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट का लक्ष्य	ठहराव का प्रतिशत
2000–01	15.3 प्रतिशत	84.07
2001–02	12.0 प्रतिशत	88.00
2002–03	9.0 प्रतिशत	91.00
2003–04	8.0 प्रतिशत	92.00
2004–05	6.0 प्रतिशत	94.00
2005–06	5.0 प्रतिशत	95.00
2006–07	3.0 प्रतिशत	97.00
2007–08	2.0 प्रतिशत	98.00
2008–09	1.0 प्रतिशत	99.00
2009–10	0 प्रतिशत	100.00

परियोजना क्रियान्वयन के समय जिले में ड्राप–आउट के सम्बन्ध में कोई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करके इस विधा को समाप्त करने में ठोस कदम उठाया जायेगा।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कला जत्था के कार्यक्रम, मीना कैम्पेन, ठहराव परिक्रमा, तारांकन, ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण , माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ/ महिला प्रेरक दल का गठन एवं प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे है इन्हें सर्वशिक्षा अभियान में भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय - 5

समस्यायें एवं रणनीति

फोकस ग्रुप डिस्कसन से प्राप्त विचारों का विश्लेषण करने के पश्चात प्राप्त संसाधनों के सापेक्ष्य व्यवहारिक एवं संतुलित रणनीति बनाई गयी है। इसमें छात्र नामांकन के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति नवीन भवन निर्माण, जीर्ण-क्षीर्ण भवनों की मरम्मत शौचालयों का निर्माण, पेय जल हेतु हैण्ड पम्पों को लगाया जाना, विद्यालयों का सुन्दरीकरण तथा विद्यालयों के सुदृढ़ करने हेतु निम्नवत प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के बाहर भी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया गया है और इन सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि नामांकित छात्र पूरे समय विद्यालय में रहकर अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करें और शाला पलायन की दर शून्य तक आ जायें।

समस्यायें	रणनीति
1. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन	इस समस्या के निराकरण के लिए समाज में जनचेतना जागरण नितांत आवश्यक इसके लिए समुदाय में आसाशकीय सामाजिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी।
2. शिक्षा की उपादेयता संदेह	शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय आवश्यकताओं

	के अनुकूल एवं स्थानीय क्राफ्ट को प्रोत्साहन दिया जायेगा। ग्रामीण एवं नगर के क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताएं एवं क्राफ्ट भिन्न हो सकते हैं। अतः उपयुक्त क्राफ्ट का चयन करके पाठयक्रम के साथ जोड़ा जायेगा। उदाहरण स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सिलाई, कटाई, बुनायी, फलों का संरक्षण तथा नगरीय क्षेत्र में ब्यूटी पार्लरँ, फाइन आर्ट मेंहदी तथा सिलाई कढ़ाई को सम्मिलित किया जायेगा आवश्यकतानुसार मशीनें भी क्रय की जायेंगी तथा उनके रख-रखाव का भी प्राविधान रखा जायेगा।
3. असेवित एवं मलिन वस्तियों में विद्यालय न होना।	इस योजना के अन्तर्गत जनपद की समस्त मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा उपलब्ण करा दी जायेगी। 6-8 वय वर्ग के 30 बच्चों के लिए शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत मानक के अनुसार विद्यालय व्यवस्था की जायेगी। नगरीय क्षेत्रों में दो पालियों में चलने वाले तथा किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालयों को असेवित मलिन बस्तियों में सीमान्त स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे।
4. भौगोलिक विषमतायें	ऐसे स्थान पर जहाँ भौगोलिक विषमताये बालकों को विद्यालय जाने में कठिनाई उत्पन्न करें ऐसे स्थानों पर शिक्षा गारन्टी योजना एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र को अन्तर्गत विद्यालय खोलकर इन

	केन्द्रों को मुख्य धारा से जोड़ दिया जाये।
5.विद्यालयों में भौगोलिक संसाधनों के अभाव में शिक्षा में अवरोध	इस समस्या के निराकरण के लिये छात्र संख्या मानक के अनुसार अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, पेयजल एवं चहारदीवारी की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जायेगी। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में फिक्स फर्नीचर की व्यवस्था भी की जायेगी।
6. अभिभावकों जागरूकता का अभाव तथा उदासीनता	यद्यपि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना हैं परन्तु अभिभावक शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़कर देखने की सोच रखते हैं। अभिभावाकों की इस सोच को सकारात्मक मोड़ देने के लिए प्रयास किया जायेगा ।
7. बालकों में शिक्षा में रूचि की कमी	अधिकांश बालक पाठ्यक्रम तथा शिक्षण की नीरसता से मानसिक रूप से शिक्षा को एक बेस के रूप में लेते हैं। इसके निराकरण के लिए क्रियाशील पाठ्यक्रम के साथ-साथ समय चक्रता का पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा।
8. शिक्षकों के व्यवहार एवं व्यक्तिगत में ह्रास	बहुधा यह देखा जाता है कि शिक्षकों का बालाकों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता है। इस हेतु शिक्षकों को प्रेरित किया जायेगा कि वे विषय वस्तु के ज्ञान में निरन्तर वृद्धि करते रहे। जिससे कि शिक्षण अधिक प्रभावी हो सके इसी के साथ शिक्षकों का समाज के साथ अच्छा तालमेल की आवश्यकता है।

9.विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में अध्यापकों की कमी	प्रत्येक विद्यालय में 1:40 के मानक पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। जिन विद्यालय भवनों में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं वहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक सम्पूर्ण प्रबन्ध तन्त्र का उत्तरदायी होगा।
10.अध्यापकों से कार्य कराया जाना	अध्यापकों से राष्ट्रीय महत्व के कार्य कराये जाते हैं इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें अध्यापकों को अनावश्यक रूप से जोड़ दिया जाता है। अतः व्यवस्था की जायेगी कि अध्यापकों को केवल राष्ट्रीय महत्व के कार्यों से सम्बद्ध किया जाये। इसी के साथ कमजोर छात्रों को विद्यालय समय के बाद पढ़ाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। अध्यापक के कार्य के अनुसार उसकी सेवा पंजिका में अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रविष्टियां भी जायेंगी। विपरीत परिस्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्रभावित हो सकेगी।
11. छात्रों के पास पाठ्यपुस्तकों का न होना	कक्षा-1 से 8 तक के सभी छात्रों को निशुल्क पुस्तक वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

13. अध्यापक का विद्यालय में कम ठहराव	अध्यापकों का अधिक समय सूचनाओं की तैयारी एवं प्रेषण में नष्ट होता है। अस्तु विकास खण्ड स्तर पर सूचनाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। कम्प्यूटर में अभिलेकित सूचनाओं की पुष्टि अध्यापकों से समय-समय पर करा ली जायेगी।
14 अध्यापक की शिक्षण कार्य में अरूचि	अध्यापकों में विषय वस्तु की जानकारी में अभिवृद्धि के लिये विषय वस्तु आधारित प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी। समय-समय पर अध्यापकों की परीक्षायें भी आयोजित की जायेंगी जिनमें 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में दक्षता रोक, वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
15. छात्रों के गणवेश की समस्या	विद्यालय परिवेश में अनुकूलन स्थापित करने के लिये गणवेश नितान्त आवश्यक है। इसके लिये प्रयास किया जायेगा कि विद्यालय में प्रत्येक छात्र निर्धारित गणवेश में विद्यालय आये।
16. अध्यापक छात्र एवं अभिभावकों में सामंजस होना	प्रत्येक प्रधानाध्यापकों का यह दायित्व है कि हर तीन महीने के अन्तराल में अभिभावकों से सामंजस पर अभिभावक गोस्ठी आयोजित करें। इसमें महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को अनिवार्य रूप से आमन्त्रित किया जाये। इन गोष्ठियों से स्थानीय समस्याओं का

	निराकरण सम्भव हो सकेगा शिक्षा समिति का योगदान अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाये।
17. मूल्यांकन का अभाव	प्रत्येक कक्षा में अध्ययनरत छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन मासिक त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक परीक्षा के रूप में कराया जायेगा। इस मूल्यांकन के फलस्वरूप कमजोर छात्रों के अभिभावक से सम्पर्क कर अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था छुट्टियों में की जायेगी। मूल्यांकनोपरान्त प्रतिस्पर्धा का वातावरण सृजित करने के लिये छात्रों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में विभक्त कर ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पुरस्कार वितरण की व्यवस्था भी की जायेगी।
18. शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की कमी	एन0पी0आर0सी0 एवं बी0आर0सी0 के समन्वयक प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारियों द्वारा प्रभावी शिक्षण निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जायेगा। निम्न स्तर के विद्यालयों के लिये प्रयास किया जायेगा कि वे अपने स्तर को उपर ला सकें।
19. समाज की सक्रिय सहभागिता का अभाव	समाज के प्रत्येक व्यक्ति में यह भावना विकसित होना आवश्यक है कि विद्यालय उनका अपना है। विद्यालय ही उनके बच्चों को उज्जवल भविष्य प्रदान कर सकता है। ग्राम शिक्षा समितियों तथा ग्राम पंचायतों को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वे समय समय पर

	विद्यालय भवन से लेकर शिक्षण व्वस्था, शिक्षक का व्यवहार शिक्षा के स्तर गणवेश अनुशासक रखरखाव आदि का निरीक्षण र्प्यवेक्षण सुनिश्चित करें।
विकलांग छात्रों की स्ववस्था	ए0डी0पी0आई0 तथा अन्य समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से वाहन व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
बाल श्रमिकों की समस्या	6–14 वय वर्ग में बाल श्रमिकों का पाया जाना एक साधारण सी बात है। इसका मूल कारण निर्धनता है। इस समस्या के निराकरण के लिये अश्यापकों द्वारा समाज में अभिभावकों से सम्पर्क कर शिक्षा के प्रति जागरूकता सृजित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर नामाकंन, ठहराव एवं गुण्वत्ता के परिप्रेक्ष्या में निम्नवत् वर्गीकरण किया जा रहा है :–

(क) नामांकन की समस्याएं

क्रमांक	समस्याएं	रणनीति
	निर्धारित दूरी के अन्तर्गत विद्यालय का न होना	नये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।
1.	प्राकृतिक अवरोधों के कारण छोटे बच्चों का विद्यालय की पहुँच से बाहर होना।	शिक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत विद्या केन्द्र खोले जायेगे।
3.	मलिन बस्तियों/अल्प संख्यक बस्तियों एवं बाल श्रमिकों की बस्तियो से विद्यालय दूर होना	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की स्थापना की जायेगी।
4.	अभिभावकों द्वारा शिक्षा के महत्व को न समझना	ग्राम शिक्षा समितियों का गठन एवं प्रशिक्षण कराया जायेगा।
5.	अध्यापकों को सेवित क्षेत्र के विद्यालय न आने वाले बच्चों की जानकारी न होना	माइक्रों प्लानिंग एवं ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण कराया जाऐगा।
6.	विद्यालयों में अध्यापकों की कमी	शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी।
7.	समुदाय का सहयोग न होना	स्कूल चलो अभियान, वी.ई.सी प्रशिक्षण कराया जाएगा।
8.	ग्राम स्तर पर आवश्यकता का सही आंकलन न होना।	पी. आर. ए. कराया जायेगा।
9.	अभिभावकों का गरीब होना	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराया जायेगा।

{ख} ठहराव की समस्या

क्रमांक	समस्याए	रणनीति
1.	अभिभावको का शिक्षा में रूचि न लेना।	शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जायेगा।
2.	विद्यालयों में शौचालय न होने के कारण लड़कियाँ पढ़ाई छोड देती हैं।	विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।
3.	विद्यालयों में पेय जल का अभाव	विद्यालयों में हैण्ड पम्प लगवाये जायेगें।
4.	विद्यालय भवनों का जर्जर होना।	जर्जर भवनों का पुर्ननिर्माण कराया जायेगा।
5.	कक्षा–कक्षों का टूटा फूटा होना।	कक्षा–कक्षों की मरम्मत कराई जायेगी।
6.	छात्र अध्यापक अनुपात अधिक होना।	शि,क्षा मित्रो की नियुक्ति की जायेगी।
7.	विद्यालय दूर होने के कारण बालिकाएं विद्यालय नहीं जा पातीं।	महिला प्रेरक दल का गठन एवं प्रशिक्षण कराया जायेगा।
8.	अभिभवकों का विद्यालयों पर विश्वास नहीं होना।	माता /अभिभावक शिक्षक संघ का गठन एवं प्रशिक्षण कराया जायेगा।
9.	बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिरूचि न होना।	मां बेटी मेलों का न्याय पंचायत स्तर पर आयोजन कराया जायेगा।
10.	अभिभावकों का लडकियों की शिक्षा के प्रति उदासीन होना।	मीना कैम्पेन का आयोजन कराया जायेगा।
11.	अध्यापकों का लिंग के प्रति संवेदन हीन होना।	जेंडर सेन्सटाईजेसन प्रशिक्षण कराया जायेगा।

{ग} गुणवत्ता की समस्या

क्रमांक	समस्याएं	रणनीति
1.	अध्यापकों का दक्ष न होना।	अध्यापकों /शिक्षा मित्रों /आचार्यो/अनुदेशकों /ई0 सी0 सी0 ई0 कार्य कत्रियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
2.	ग्राम शिक्षा समितियों का निष्क्रिय होना।	ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
3.	प्रशासनिक तंत्र का शिक्षा में रूचि न लेनां	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ समन्वयक वी0 आर0 सी0/एन0 पी0 आर0 सी0 का प्रशिक्षण कराया जायेगा।
4.	पाठ्यक्रम का रूचिपूर्ण एवं बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल न होनां	नई पाठ्य पुस्तकों की रचना की जायेगी।
5.	अध्यापक पाठ्य पुस्तकों को मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ. नहीं पा रहे हैं।	शिक्षक संदर्शिकाओं का निर्माण कर अध्यापकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
6.	थ्वद्यालयों का गुणवत्ता युक्त न होना।	विद्यालयों का श्रेणीकरण कराकर स्थिति में सुधार लाया जायेगा।

अध्याय 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (1)

1. प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता

जनपद में वे समस्त 40 बस्तियां जो विद्यालय सुविधा से वंचित हैं तथा जहाँ मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोले जा सकते हैं वहां विद्यालय की सुविधाउपलब्ध करा दी जायेगी।

वर्ष	2002–2003	2003–2004
खोले जाने वाले विद्यालयों की संख्या	0	40

2. उच्च प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालय

जनपद में सर्वशिक्षा के अर्न्तगत उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किये जाने की योजना है। ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा चार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। सहायक अध्यापको की नियुक्ति में यह भी ध्यान रखा जायेगा कि वे पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम का शिक्षण कराने में सक्षम हों।

वर्ष	2002–2003	2003–2004
खोले जाने वाले विद्यालयों की संख्या	18	67

सारणी संख्या 6.1

नवीन प्राथमिक विद्यालय–भवनों की आवश्यकता

क0सं0	वर्ष		2002–2003	2003–2004
	विकास खण्डों के नाम	खोले जाने वाले विद्यालयों की संख्या		
1.	कन्नौज	7	0	7
2.	उमर्दा	17	0	17
3.	जलालाबाद	2	0	2
4.	तालग्राम	8	0	8
5.	हसेरन	1	0	1
6.	छिबरामऊ	4	0	4
7.	सौरिख	1	0	1
	योग	40	0	40

सारणी संख्या 6.2

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय–भवनों की आवश्यकता

क0सं0		वर्ष	2002–2003	2003–2004
	विकास खण्डों के नाम	खोले जाने वाले विद्यालयों की संख्या		
1.	कन्नौज	9	3	6
2.	उमर्दा	15	3	12
3.	ज्लालाबाद	10	3	7
4.	तालग्राम	6	1	5
5.	ळसेरन	16	2	14
6.	छिबरामऊ	17	5	12
7.	सौरिख	12	1	11
	योग	85	18	67

जनपद – कन्नौज

बेसिक शिक्षा विीाग द्वारा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार में प्रा0 वि0 की स्थापना हेतु असेवित भागों की सूची

क्र सं0	असेवित ग्रामों के नाम	वि. क्षे. का नाम	आबादी	निकटस्थ प्रा.वि. का नाम	दूरी किमी
1.	डूँगरपुर (जलालापुर अमरा)	कन्नौज	400	जलालपुर अमरा	2.5
2.	रायपुर लडैता (गंगूपुवा)	कन्नौज	500	अमीनाबाद	2.00
3.	हीरापूर्वा (वैसापुर पट्टी)	कन्नौज	1000	जलालपुर अमरा	2.00
4.	खालेपुर्वा	कन्नौज	650	बैसापुर	3.00
5.	बशीपुर्वा	कन्नौज	1150	बैसापुर	3.00
6.	टिढ़ियापुर (भुगैतापुर)	कन्नौज	1000	भुतैतापुर	2.00
7.	लेंहगापुर (सीहपुर)	कन्नौज	1000	सीहपुर	2.00
8.	नवलपुर्वा (सहीपुर)	जलालाबाद	800	बारामऊ	2.00
9.	सलेमपुर (भढ़ियाबली दादपुर)	जलालाबाद	500	गढ़ियाबली दादपुर	2.00
10.	आलमपुर (पनगवा)	तालग्राम	430	विशाम्भरपुर	2.00
11.	गदनपपुर्वा (मझपुवा)	तालग्राम	700	मझपुर्वा	2.00
12.	मोतीपुर्वा (सकरहनी)	तालग्राम	450	स्करहनी	2.00

13.	दिवारा (अमोलर)	तालग्राम	450	अमोलर	2.00
14.	चौखटा	तालग्राम	500	चन्द्रपुरा	2.00
15.	हसनापुर (जरामऊ)	तालग्राम	400	जरामऊ अलमापुर	2.00
16.	हाजिरपुर	तालग्राम	425	मुसाफिरपुर	2.00
17.	मूड़ा (सराय प्रयाग)	तालग्राम	400	स्रायप्रयाग	2.00
18.	सदरपुर (बीबीपुर)	सौरिख	550	बीबीपुर	2.00
19	चटरूआपुर(उमर्दा)	उमर्दा	448	उमर्दा	3.00
20.	पलिडरा	उमर्दा	651	मखनपुरवा	4.00
21.	छंगेपुर्वा (सुखी)	उमर्दा	316	उमर्दा	3.00
22.	घासीपुर्वा (गैसापुर बेहसापुर)	उमर्दा	800	तिर्वागंज	2.00
23	हरचंदापुर (किनौरा)	उमर्दा	613	किनौरा	2.00
24.	प्रतापपुर मढ़ैया (सुरसी)	उमर्दा	436	सुरसी	2.00
25.	सहियाापुर	उमर्दा	515	सरसई	3.00
26.	भगवानपुर	उमर्दा	425	सरसई	3.00
27.	रावतपुर (मझला)	उमर्दा	500	मझला	2.00
28.	अहेर (अहेर)	उमर्दा	1093	अहेर	2.00
29.	करसहा (औसर)	उमर्दा	1586	असौर	2.00

30.	मरूचुआ (हमीरपुर)	उमर्दा	521	हमीरपुर	2.00
31.	खजियापुर (हरेईपुर)	उमर्दा	635	हरेईपुर	2.5
32.	हरिजनपुर्वा (हरेईपुर)	उमर्दा	622	खैरनगर	3.00
33.	निजापुर (खामा)	उमर्दा	413	खामा	2.00
34.	मोहकमपुर्वा (जनखल)	उमर्दा	605	ऐमा, गुरैली	2.5
35.	जिन्दापुर्वा (जनखल)	उमर्दा	900	अज्योरा	2.00
36.	मझपुर्वा (कंसुआ)	हसेरन	448	आलमशाह पुर्वा	2.00
37.	लड़ैला (मोहनपुर्वा)	छिबरामऊ	869	लड़ैता मोहनपुर	2.00
38.	उघन्नापुर (रामपुर निगोह)	छिबरामऊ	476	धिलोई	2.00
39.	पंथरा (पंथरा)	छिबरामऊ	850	नगरिया पंथरा	2.00
40.	नरदहा (कसावा)	छिबरामऊ	550	मदारीपुर	2.00

जनपद–कन्नौज

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार जनपद में जू.हा. स्कूलों की स्थापना हेतु असेकित ग्रामों की सूची –

1	2	3	4	5	6
क्रमांक	असेकित ग्रामों के नाम	विक्षे. का नाम	आबादी	निकटस्थ जू.हा. का नाम	दूरी कि.मि.
1.	मिश्रागऊ	कन्नौज	4000	मानीमऊ	3.00
2	खुर्रमपुर	"	1500	मित्रसेनपुर	6.00
3	कटरी फिरोजपुर	"	1000	पैदाबाद	3.00
4	फिरोजपुर	उर्मदा	1300	तिथीगं	5.00
5	अन्योरा	"	1100	महसैया	4.5
6	मवई बिलवारी	"	1200	रामपुर झिल्ला	5.00
7	कटरा	जलालाबाद	900	जसोदा	4.00
8	मगर्तापुर्वा	"	950	अनौगी	3.00
9	सोंसरापुर	"	400	गुगरापुर	4.00
10	नेकनामपुर	तालग्राम	937	रसूलाबाद	4.00
11	मवई नगला (बेहटाखास)	छिबरामऊ	1000	कसावा	4.00
12	पथरा	"	950	छिबरामऊ	3.5
13	हरिहरपुर	"	1150	सिकन्दरपुर	3.00
14	टहरिकापुर	"	1100	सिकन्दरपुर	4.5
15	खिदिया जलालपुर	"	1350	हसेरन	4.00
16	जरियापुर	हसेरन	950	सुखसेनपुर	4.5
17	याकूबपुर	"	1500	सौरिख	4.00
18	मलिकपुर	सौरिख	1200	मित्रसेनपुर	5.00
19	दाईपुर (मित्रसेनपुर)	कन्नौज	1400	मलिकापुर	3.5
20	ऑटी (ऑटी)	"	2500	जसौली	3.5
21	बंसरामऊ (बंसरामऊ)	"	1200	जलालपुर	4.00
22	देउधरापुर (सहिल्लापुर)	"	1050	पैंदाबाद	4.00
23	सढ़ियापुर (सढ़ियापुर बागर)	"	1300		5.00
24	कपूरपुर कटरी	"	1000		5.00

क्रमांक	असेकित ग्रामों के नाम	वि.क्षे. का नाम	आबादी	निकटस्थ प्रा.वि. का नाम	दूरी कि.मि.
25	बैसावारी (बसावारी)	जलालाबाद	2000	फतेहपुर	4.00
26	अटारा (अटारा)	"	2000	जसपुरापुर	4.00
27	गोसाईंदासपुर (कुसुमखोर)	"	1200	मौजमपुर	3.5
28	गढ़ियावली दादापुर	"	1000	सौसरापुर	4.00
29	कूल्हापुर	"	1000	फतेहपुर	4.00
30	जेवां (जेवा)	"	1200	फतेहपुर	3.00
31	जलालपुर मतौली (मतौली)	"	1100	इण्टरकाले	4.00
32	लालपुर पश्चिम)	तालग्राम	3000	मोहनपुर रतनपुर	4.00
33	गगागंज गुरौली	"	1183	खुदागंज	4.00
34	बिरौली (बिरौली)	"	1500	पनगवाँ	4.00
35	मझपुर्वा (मझपुर्वा)	"	8500	गुरसहायगंज	4.00
36	ताहपुर (ताहपुर)	"	2000	रसूलाबाद	4.00
37	फरीदपुर (रनवीरपुर)	छिबरामऊ	1100	मेरापुर गढ़िया	4.00
38	निगोह	"	1339	घिलोई	3.5
39	मिघौली (मिघौली)	"	1112	घिलोई	4.00
40	सबलपुर (बरूआसबलपुर)	"	1174	घिलोई	4.00
41	बिर्रा (बिबियाजलालपुर)	"	1025	जगतपुर	4.00
42	जयसिंहपुर (जयसिंहपुर)	"	869	करमुल्लापुर	4.00
43	असेह (असेह)	"	953	कसावा	4.00
44	चन्दरपुर (चन्दरपुर)	"	2000	सिकन्दरपुर	5.00
45	महमूदपुर खास)	"	2200	विशुनपुर	4.00
46	बहादुरपुर (असालता बाद)	"	1000	विशुनपुर	4.00
47	उस्मानपुर	"	1400	भौराजपुर	4.00
48	कैरदा (कैरदा)	"	1034	भौराजपुर	4.00
49	रौसेन	सौरिख	2400	किसईजगदीशपुर	5.00
50	शिवसिंहपुर	"	2300	खड़िनी	7.00
51	खैसिया	"	1500	खड़िनी	10.00
52	ईजलपुर (ईजलपुर)	"	1076	सौरिख	4.00

क्रमांक	असेकित ग्रामों के नाम	वि.क्षे. का नाम	आबादी	निकटस्थ प्रा.वि. का नाम	दूरी कि.मि.
53	मदारी (शरीफाबाद)	सौरिख	2159	सकरावा	7.00
54	डडौनी	"	1973	सकरावा	8.00
55	न. खेमकरन	"	2083	सकरावा	10.00
56	बिजनौरा	"	1130	सकरावा	15.00
57	बक्षेडी	"	2525	सकरावा	8.00
58	बैगवाँ	"	2110	सकरावा	4.00
59	ळरिमानपुर (गोरखपुर;	"	2937	सौरिख	4.00
60	निकारीपुर्वा (उमर्दा)	उमर्दा	994	डयोढ़ा/सुखी	4.00
61	हरचन्दापुर (किनौरा)	"	613	तिर्वागंज	6.00
62	नुनारी	"	1140	तिर्वागंज	6.00
63	विघईपुर्वा (अहेर)	"	1080	जटियापुर	5.00
64	कनौरी (कनौली)	"	813	अगौस/तिरवा	4.00
65	निस्तौली)	"	1225	ठठिया	4.00
66	बनियनपुर्वा (चंदियापुर)	"	400	तिर्वा	5.00
67	सिमरिया	"	1332	असौर	5.00
68	जैनपुर	"	1055	ठठिया	5.00
69	सुरसी	"	1190	भखरौली	4.00
70	हरेईपुर	"	1435	खैरनगर	4.00
71	मदौसी	"	2184	ठठिया	4.00
72	ब्राहिमपुर (अलीनगर)	[illegible]	1359	आलमशाहपुर्वा	4.00
73	राजपुर	हसेरन	1988	निजामपुर	3.5
74	अरूहो	"	1230	सकतापुर	5.00
75	रौंसा	"	1262	सकतापुर	4.00
76	रामपुर (रैरीरामपुर)	"	1224	सकतापुर	7.00
77	कुँअरपुर काशीदीन	"	1008	खड़िनी	8.00
78	खिरिया	"	2730	नांदेमऊ	5.00
79	दादापुर बरेठी	"	1290	नांदेमऊ	6.00

क्रमांक	असेकित ग्रामों के नाम	वि.क्षे. का नाम	आवादी	निकटस्थ प्रा.वि. का नाम	दूरी कि.मि.
80	बरौली	हसेरन	2706	हसेरन	3.5
81	राजपुर करना	"	2500	सकतपुर	8.00
82	अहिराव	"	1500	सकतपुर	5.00
83	नेकपुर (नांदेमऊ)	"	2000	नांदेमऊ	3.5
84	जोगिनीपुर्वा (बनगवा)	"	1100	सुखसेनपुर	6.00
85	खनियापुर (मढ़पुरा)	"	1500	मढ़पुरा	4.00

शिक्षा की व्यवस्था :–

प्राथमिक विद्यालयों में सथापना होते समय एक सहायक अध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा मित्र के चयन में योग्य अधिक योग्य अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। भवन निर्माण तक ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा विद्यालया स्थापित होने पर अस्थाई पठन पाठन की व्यवस्था कराई जायेगी। अध्यापक तथा ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से शत प्रतिशत छात्र नामांकन कराकर उन्हें विद्यालयों में शिक्षा पूर्ण करने हेतु रोकने की व्यवस्था की जायेगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना में एक प्रधानध्यापक तथा चार सहायक अध्यापक प्रस्तावित है। प्रत्येक विद्यालया में एक विषय अध्यापक तथा एक विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति का प्राविधान रखा गया है। नवीन स्थापित विद्यालय में अनुभवी अध्यापकों का चयन कराने में व़रीयता दिया जाये। अध्यापकों/शिक्षा मित्रों के चयन पर 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों के चयन को वरीयता प्रदान किया जायेगा।

नवीन प्राथमिक विद्यालय साज सज्जा :–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा– मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, आलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान म्यूजिकल इक्विपमेंन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी टायरयुक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित, किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञानकोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी। किन्तु ग्रामीण अंचलों में विज्ञान किट, गणित किट सुलभता से उपलब्ध नही हो पाते है इसलिए इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से कराई जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय साज सज्जा :–

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति को इस धनराशि से जिन सामग्रियों को क्रय करना होगा वे इस प्रकार हैं– मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्विपमेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बाँसुरी आदि) क्रीड़ा सामग्री जैसे फुटबाल, बालीबाल स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प, क्लासरूम टीचिंग मैटेरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब ज्ञान कोष, शब्द कोष, टू इन वन, आदि–आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी। इनका भी क्रय जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से कराया जायेगा।

पेयजल, शौचालय एवं चहार दीवारी :–

विद्यालय भवन का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित/ उपलब्ध स्थल पर कराया जायेगा। यह प्रयास रहेगा कि विद्यालयों की स्थापना आबादी से दूर शुद्ध वातावरण में तथा छायादार वृक्षों के सन्निकट कराया जायेगा। इनके रख रखाव तथा मरम्मत आदि के व्यय हेतु विद्यालय को धन उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय के सन्निकट छात्र एवं छात्राओं को अलग–अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक नवीन विद्यालय की अपनी एक चहार दीवारी होगी। जिसके निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का होगा।

निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था :–

विद्यालय भवन, शौचालय तथा बाउन्ड्री का निर्माण का दायित्व तथा ग्राम शिक्षा समिति का होगा। समस्त सदस्य निर्माण गुणवत्ता की जांच समय समय पर करते रहेंगे। तकनीकी जानकारी हेतु विकास खण्डों पर उपलब्ध अवर अभियन्ता का सहयोग मिलता रहेगा। सर्व शिक्षा अभियान से भवन शौचालय तथा चहारदीवारी का धन एक साथ विद्यालयों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। अवर अभियंतओं को सहयोग के लिये मानदेय की भी व्यवस्था की जा रही है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लागत मे कमी लाने की व्यवस्था :–

नवीन प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण यथा सम्भव प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जाय जिससे चहार दीवारी की लागत में कमी आयेगी और यह धन विद्यालय के साज सज्जा तथा सौन्दर्यीकरण में व्यय किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से ऐसे अभिभावकों या सम्भ्रान्त नागरिकों को प्रेरित किया जाये जो

विद्यालय में सहयोग देने योग्य हो इस प्रकार से प्राप्त धन का उपयोग विद्यालय की साज सज्जा में खेलकूद उपकरण क्रय करने में तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण में किया जायेगा।

भवन निर्माण अथवा बाउन्ड्री निर्माण में ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से श्रमदान कराकर मजदूरी पर होने वाले व्यय पर बचत की जा सकती है, और इस धन का उपयोग विद्यालय के रख–रखाव में किया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से विद्यालयों में पुस्तकालय व वाचनालय की व्यवस्था करायी जा सकती हैं । जिसमें शिक्षा के साथ साथ छात्राकें का बौद्धिक स्तर और अधिक विकसित हो सकता है। ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रेरित किया जाये जो अपने या अपने किसी पूर्वज के नाम से विद्यालय परिसर में किसी निर्माण कार्य की स्थापना करना चाहते हैं।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :–

राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक शिक्षा क्षेत्र का बस्तीवार सर्वेक्षण कराया गया है जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा सेवित असेवित बस्तियों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान अल्पसंख्यक क्षेत्रों में अल्प संख्याकें के साथ गोष्ठी, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के साथ गोष्ठी, पिछड़े वर्गो वाले क्षेत्रों में पिछड़े वर्गो के साथ, गोष्ठी, क्षेत्र स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान के की गोष्ठी करके सम्बन्धित क्षेत्रों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में 1.5 किमी की दूरी तथा 300 जनसंख्या और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये 3 किमी की दूरी तथा 800 जन संख्या के मानक को ध्यान में रखा गया है। आश्यकता अनुसार केवल उतने ही नये विद्यालयों के खोलने का प्रस्ताव किया गया है। जिससे तात्कालिक आवश्यकता का

पूर्ति हो सके। प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण हेतु रूपये दो लाख का प्राविधान सर्व शिक्षा के पर्सपेक्टिव प्लान एवं बजट में कर दिया गया है।

विद्यालय का निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण :–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूरे जनपद में भवन निर्माण अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शौचालय तथा चहार दीवारी निर्माण इत्यादि कार्यो की गुणवत्ता जांच के लिए एक तकनीकी प्रकोष्ठकी परिकल्पना की गयी है जिसमें पांच अवर अभियन्ता तथा सह सहायक अभियन्ता (तकनीकि) रखा जायेगा। यह प्रकोष्ठ आवश्यकतानुसार योजनान्तर्गत निर्मित समस्त कार्यो का निरीक्षण तथा गुणवत्ता की जांच करता रहेगा एवं अच्छे निर्माण करने हेतु सम्बन्धित एजेन्सी को समय समय पर परामर्श भी देता रहेगा।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर ली गयी है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय सात

शिक्षा की पहुँच का विस्तार भाग–2

शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक, शिक्षा/नवाचार :–

भारत के संविधान के अन्तर्गत 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों के प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का संकल्प लिया गया है।

स्कूल रहित बस्तियों में रहने वाले बच्चों, बीच में विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों, पूरे स्कूल में न रहने वाले बच्चों तथा कामकाजी बालक एवं बालिकाओं के संचालित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के वर्तमान स्वरूप का रिव्यू/मूल्यांकन भारत सरकार के योजना आयेाग के प्रोग्राम मूल्यांकन आर्गनाइजेशन द्वारा किया गया।

तत्कालीन शिक्षा के स्वरूप एवं उसके कार्यान्वयन में कुछ कमियाँ पायी गयी। उस समय की शिक्षा व्यवस्था सम्बन्धी योजनायें शिक्षा नीति 1986 एवं उसके प्रोग्राम आफ एक्शन 1992 के उद्देश्यों को पूर्ण करने में अपेक्षकृत सफलता नहीं प्राप्त कर पा रही थी।

अतः भारत सरकार द्वारा तत्समय संचालित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के स्वरूप को पुनरीक्षित कर उसके स्थान पर शिक्षा की गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के रूप में चलाये जाने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (EGS/AIE) योजना :–

इस योजना को मुख्य तीन भागों में विभाजित किया गया है :–

(1) प्रदेश सरकार द्वारा संचालित EGS/AIE केन्द्र एवं ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्म कालीन शिवरों के माध्यम से योजना का संचालन।

(2) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा EGS/AIE केन्द्रों का संचालन।

(3) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नवाचार एवं प्रयोगात्मक परियोजनाएं।

आगामी दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से यह योजना प्राथमिक के सार्वजनीकरण के लिये संचालित सर्व शिक्षा अभियान (SSA) योजना का अंग होगी। EGS/AIE कार्यक्रम का लक्ष्य समूह 6–14 वय वर्ग के बच्चे होगों। विकलांग वर्ग के बच्चों के लिये आयु सीमा 18 वर्ष तक होगी।

इस योजना के अर्न्तगत 6–8 वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में पंजीकृत कराया जायेगा अथवा EGS योजना के विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा। 9–14 वय वर्ग के बच्चों जो पूर्व में ही विद्यालय से ड्राप आउट हो चुके है अथवा कभी भी विद्यालय में पंजीकृत नहीं हुए हैं अथवा Stect Child/Child Labour या घुमन्तू बच्चे (Migratory Children) हो चुके है के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों अथवा बिज कोर्स/ ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा में औपचारिक विद्यालयों में किसी भी कक्षा में किसी भी समय जिसके लिये बच्चे उपयुक्त होंगे, प्रवेश दिलाना ही मुख्य उद्देश्य होगा।

ऐसी असेवित बस्तियों में जहाँ किलोमीटर की परिधि में विद्यालय नहीं है। 6–11 वय वर्ग के 30 बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा 1 और 2 के लिये EGS केन्द्र

खोले जायेंगे। प्रथम चरण में जिस क्षेत्र में EGS केन्द्र खोला जाना विचाराधीन होगा वहाँ पर AIE केन्द्र खोलने पर सम्प्रति विचार किया जाय क्योकि सर्वप्रथम यह प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा औपचारिक विद्यालयों में अथवा EGS केन्द्रों में प्रवेश ले ले। विशेष परिस्थितियों में ही ऐसे स्थानों पर AIE केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाय।

इस योजना का संचालन भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय सोसाइटी के माध्यम से संचालित किया जायेगा जो भविष्य में सर्व शिक्षा अभियान को भी संचालित करने के लिए उत्तरदायी हेागी। प्रदेश स्तर पर इस कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु सम्प्रति उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के स्टेट सोसाइटी के रूप में निहित किया गया है।

जनपद स्तर के प्रस्ताव जिसमें स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्ताव भी सम्मिलित होंगे। इसी चिन्हित स्टेट सोसाइटी द्वारा ही अनुमादित/अग्रसारित किये जायेंगे

इस योजना के संचालन के लिये केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के बीच 75:25 अनुपात में वित्तीय भागीदारी होगी। स्वैच्छिक संगठनों को शत्–प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। स्टेट सोसाइटी ही जनपदीय अधिकारियों/स्वैच्छिक संगठनों को कार्यक्रम के संचालन हेतु समय समय पर भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि को उपलब्ध करायेगी।

शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया जा चुका है कि एजूकेशन गारंटी स्कीम (EGS) कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित जिला प्राथमिक

जिला कार्यक्रम के अर्न्तगत संबंधी जनपदीय अधिकारियों द्वारा संचालित किया जायेगा।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (AIE) कार्यक्रम :–

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण झेंप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्रथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, कामकाजी तथा बाल–श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों, अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन शिवारों तथा दीर्घकालीन शिविरों ब्रिज कोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतवों/मदरसों में बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता पूरक शिक्षा प्रदान किया जाने के उद्देश्य से इनके क्षेत्रों में भी AIE योजना की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यतः झुग्गी–झोपड़ी मलिन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थलों आदि जहाँ पर 9–14 वय वर्ग के ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चे उपलब्ध होंगे वहां नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेंगे। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय किया जा सकता है तथा इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढ़ई (जिस स्तर के बच्चे होगे) पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा के प्राथमिक विद्यालय में किसी भी उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए निकट के प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के

प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रवेश दिलोने की व्यवस्था सम्पन्न करायी जायेगी। जिससे वे बच्चे अतिशीघ्र मुख्य धारा में शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ कर दें।

ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर/बैक टू स्कूल कैम्प :–

सड़क/प्लेटफार्म मलिन बस्तियों, दुकानों, घुमन्तू, बच्चों नौकरी पेशा कुलीगीरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिसके अभिभावक जेल में हैं अथवा बाल श्रमिक/खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चों जिनका वय वर्ग समान्यता 9–14 है के लिए ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविर/बैक टू स्कूल कैम्प संचालित किये जायेंगे।

इन ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविरों/बैक टू स्कूल कैम्प का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालय से वंचित रहे इन बच्चों को औपचारिक विद्यालय में लाने का प्रयास किया जाना है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार अधिक आयु के बच्चों का इन शिविरों में लाया जायेगा परन्तु फिर भी इन बच्चों का वय वर्ग सामान्यतः 9 से 14 वर्ष होना चाहिए।

ब्रिज कोर्स/शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार 4 माह से 18 माह तक की अवधि हो सकती है।

भारत सरकार के निर्देशों में यद्यपि इन शिविरों में न्यूनतम् बच्चों की संख्या निर्धारित नहीं है फिर भी प्रदेश सरकार के संसाधनों का दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्मकालीन शिविरों में न्यूनतम् 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेंगे तथा ये शिविर आवासीय होगें।

इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी।

निर्धारित मानकों के अर्न्तगत ब्रिज कार्स/शिविर के लिए एक केयर टेकर दो पैस टीचर एक कुक (रसोइया) तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी।

वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों तथा ब्रिज कोर्स/शिविरों के कार्यक्रम का नियोजन एवं माइक्रोप्लानिंग :–

प्रत्येक विकास क्षेत्र में वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों एवं ब्रिज कोर्स/शिविर का निर्धारण क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

जनपद में माइक्रोप्लानिंग का कार्य DPEP द्वारा पूरा किया जा रहा है। माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही प्रस्ताव तैयार किए जाने है। माइक्रोप्लानिंग का कार्य विधिवत् रूप से कराया जा रहा है।

माइक्रोप्लानिंग के कार्य के अर्न्तगत प्रत्येक क्षेत्र में 6–14 वय के बच्चों के शैक्षणिक स्तर के आंकलन के लिए घर घर सर्वेक्षण कराया जा रहा है। साथ ही स्वैच्छिक संगठनों, क्लबों महिला, समूहों एवं ग्राम शिक्षा समितियों का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा हैं माइक्रोप्लानिंग का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का कोर समूह बनाकर इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार माइक्रोप्लानिंग तथा परिवार सर्वेक्षण कार्य निर्धारित प्रपत्रों पर कराया गया

है। इसके साथ ग्राम शिक्षा योजना पंजिका एवं विद्यालया सवेक्षण का कार्य भी ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराया गया है।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द, ब्रिज कोर्स/शिविरों के प्रस्तावों की प्रस्तुति एवं उनका अनुमोदन :–

माइक्रोप्लानिंग से सम्बन्धित पत्रजातों का विश्लेषण एवं समीक्षा करने के पश्चात् ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये प्रस्तावों को विकास खण्ड स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष, विकास खण्ड अधिकारी तथा सदस्य सचिव, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा विकास खण्ड का ग्राम प्रधान एवं एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होंगे के द्वारा तैयार प्रस्तावों की समीक्षा कर भारत सरकार के निर्देशानुसार उनकी समीक्षा कर प्रस्तावों का संकलन करेगी, तत्पश्चात अपनी संस्तुति सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकारी समिति का गठन किया जाएगा जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा तथा इसमें निम्न सदस्य होंगे।

जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
विशेषज्ञ, बे.शि.अ./जि.बे.शि.अ.	–	सदस्य सचिव
प्रचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	–	सदस्य
जिला स्तरीय श्रम विभाग का एक अधिकारी	–	सदस्य

जिला पंचायत राज अधिकारी	–	सदस्य
वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय बे.शि.अ.	–	सदस्य
स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	–	सदस्य

(स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।)

जनपद में उपर्युक्त योजना के अर्न्तगत प्रस्तावों को तैयार करने एवं कार्यक्रम के संचालन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति का होगा।

विकास खण्ड स्तरीय/नगर स्तरीय क्षेत्रों में कुछ वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का संचालन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी किया जा सकता है। उपर्युक्त जिला स्तरीय समिति जनपद के अच्छे एवं कर्मठ स्वैच्छिक संगठनों को उनके अनुरोध पर केन्द्रों का आवंटन कर सकती है परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि राज्य सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्तावों में ओवर लैपिंग न होने पाये।

जिस क्षेत्र विशेष में वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र खोलने की आवश्यकता है, उस क्षेत्र विशेष का प्रस्ताव सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण–पत्र सहित निदेशालय को पूर्ण पत्रजात जिला समिति की संस्तुतियों सहित उपलब्ध कराये जायेंगे।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन करते समय निम्न क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।

1– अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र

2– ऐसे क्षेत्र जहाँ बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो।

3– ऐसे क्षेत्र जहाँ ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अत्यधिक हो।

4– ऐसे क्षेत्र जहाँ स्ट्रीट चिल्ड्रेन बाल श्रमिक एवं खतरनाक गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अत्यधिक हो।

5– ऐसे क्षेत्र जहाँ प्राथमिक विद्यालय/शिक्षा गारंटी योजना के विद्यालय न हो। केन्द्रों का संचालन स्थल ग्राम समिति की संस्तुतियों पर पंचायत भवन चौपाल अथवा किसी विवाद रहित स्थान पर किया जाएगा। जो पहुंच की दृष्टि से पूर्व संदर्भित वंचित वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त हो।

केन्द्र संचालन का समय :–

विशेष परिस्थियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि को नहीं रखा जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन 4 घण्टे, संचालित किये जायेगें।

अनुदेशक – चयन :–

अनुदेशक यथा सम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का होगा जहाँ पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात अनुदेशक को आमन्त्रण पत्र ओदश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य सन्तोषजनक न होने पर स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम समिति शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी सभासद सम्बन्धित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

मकतव/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले और शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित मकतव की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो, को मकतवो में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय को अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो

गयी है। ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षातकार को भी, यदि आवश्यक हुआ तो, सम्मिलित किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिये अनुदेशकों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गयी है। जहां पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सकेंगे वहां इंटरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य ऐ संविदा प्रपत्र भराया जाएगा।

अनुदेशक का मानदेय वितरण :–

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि रूपये 1000.00 प्रति अनुदेशक की दर से सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। मानदेय की एक बार में छह माह की अग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों में स्थानान्तरित की जायेगी। केन्द्रों के सफलतापूर्वक संचालन की स्थिति में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की आख्या पर अगले छह माह की धनराशि खातों में स्थानान्तरित की जायेगी।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान नगर शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के सन्तोषजनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा। इस प्रकार की अग्रिम मानदेय की धनराशि नगर शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी।

अनुदेशक प्रशिक्षण :–

अनुदेशक का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेन्टर्स पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0 तथा योग्य अध्यापक, सन्दर्भ व्यक्तियों के माध्यम से करायी जायेगी। प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रू0 1500.00 प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय न होगी।

पर्यवेक्षण :–

इन वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु आकस्मिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0/ब्लाक रिसोर्स सेन्टर/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/बी0आर0सी0प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की पाक्षिक बैठकें आयोजित की जायेगी तथा न्याय पंचायत/विकास खण्ड में संचालित सभी वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों

के उन्नयन हेतु पूर्ण प्रयास किये जायेंगे। समय समय पर केन्द्रों का पर्यवेक्षण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0ओ0 तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/बी0आर0सी0 प्रभारी कार्यरत् नहीं है वहां पर क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स की नियुक्ति की भी व्यवस्था भारत सरकार के निर्देशानुसार की जायेगी। निकट प्राथमिक/उच्च प्रथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहे और न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से प्रति माह अवगत कराते रहें।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री :–

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि रू0 2250.00 प्रति केन्द्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री का बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामाकिंत सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके लिए रू0 1000.00 प्रति केन्द्र की धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा निधि खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। इन वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तको का ही

सम्प्रति प्रयोग सम्बन्धित निदेशालय द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों द्वारा किया जायेगा।

छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन :–

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत् एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही छमाही या वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र से शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिए वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जाये। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चे शीघ्रातिशीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें। इसी परिपेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्त्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यावहारिक स्तर में आये सुधारों से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा। केन्द्रों में अध्ययनरत् बच्चे जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

वित्तीय मानक :–

प्रत्येक केन्द्र की लागत इस बात पर निर्भर करेगी उसमें कितने बच्चे अध्ययनरत् हैं। प्राइमरी स्तर के केन्द्रों के लिए रूपये 845.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष और अपर प्राइमरी स्तर के लिए 1200.00 रूपये प्रति छात्र/छात्रा वर्ष की अधिकतम् धराशि की व्यवस्था इस योजनान्तर्गत की जा सकती है। इस व्यवस्था में 5 प्रतिशत राज्य स्तर का प्रशासनिक व्यय तथा विकास खण्ड के प्रबन्धन की अधिकतम धनराशि रूपये 2050 लाख सम्मिलित होगी। अधिकतम सीमा तक केन्द्र लागत निम्नवत् रखी जा सकती है :–

क्रम सं0	आइटम	प्राथमिक केन्द्र	अपर प्राथमिक केन्द्र
1.	अनुदेशक का मानदेय	रू0 1000.00 प्रति माह प्रति अनुदेशक	रू0 2000.00 प्रति माह दो अनुदेशकों के लिए रू0 1000.00 प्रति अनुदेशक
2.	अनुदेशक प्रशिक्षण	रू0 1500.00 प्रति वर्ष 30 दिनों के लिए रू0 50 प्रतिदिन की दर से	रू0 4000.00 प्रतिवर्ष दो अनुदेशकों के लिए 50 रू0 प्रतिदिन 40 दिनों के लिए
3.	केन्द्रों के शिक्षण सामग्री	रू0 1000 प्रति केन्द्र/	रू0 1500 प्रति केन्द्र
4.	केन्द्रों के शिक्षण सामग्री	2250 प्रति केन्द्र	2750 प्रति केन्द्र
5.	केन्द्र कन्टीजेन्सी	रू0 468.75 प्रति केन्द्र	रू0 500.00 प्रति केन्द्र

उक्त कन्द्रों की अधिकतम् लागत से 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर पर व्यय होने वाला प्रशासनिक व्यय तथा विकास खण्ड स्तर के प्रबन्धन पर व्यय सम्मिलित है। विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम् लागत निम्नवत् रखी

गयी है 80–100 केन्द्रों के मध्य – 2.50 लाख रू0 प्रतिवर्ष

50–80 केन्द्रों के मध्य – 2 लाख रू0 प्रतिवर्ष

25–50 केन्द्रों के मध्य – 1.5 लाख रू0 प्रतिवर्ष

25 केन्द्रों से कम – रू0 100 प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष

ब्रिज/कोर्सो/शिवरों का वित्तीय मानक :–

ब्रिज कोसों का संचालन ग्रामीण क्षेत्र/नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में किया जायेग जिसमें बच्चों के रहने तथा खाने–पीने एवं शिक्षण सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी। इसकी लागत प्राइमरी/अपर प्राइमरी केन्द्रों की लागत से कुछ अधिक रखी गयी है परन्तु किसी भी दशा में 1500.00 रूपये नप्रति छात्र/छात्रा से कदापि नहीं है। आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाय तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी अथवा किराये की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त ब्रिज कोर्स संचालित करने के लिए केयर टेकर दो अनुदेशक एक रसोइया तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविदा के अर्न्तगत व्यवस्था की जाये। केयर टेकर / अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए मानक प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी की भांति ही रखी जायेगी। केवल आवासीय व्यवस्था, खाने–पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं

साज–सज्जा आदिके लिए अतिरक्ति धनराशि की व्यवस्था की जानी होगी। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था में पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति/ जन समुदाय का कुछ अंश अवश्य प्राप्त कियाजाये।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका :–

प्रस्तावित वैकल्पिक एवं नवचार शिक्षा (AIE) के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाते है।

1. 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उनको चिन्हित कराना।
2. कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।
3. अनुदेशक का चयन करना।
4. केन्द्रों का समय निर्धारित करनां
5. केन्द्रों की साज–सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजा के निर्धारित मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।
6. अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्रों का दायित्व सौंपना।
7. अनुदेशकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्रों का प्रबन्धन, उनको प्रतिदिन निरीक्षित करना।

8. केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातर प्रोत्साहित करना।

9. नियमित रूप से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान कराना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका :–

1. ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।

2. ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग कराना तथा उपलब्ध माइक्रोप्लानिंग का अध्ययन एवं समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार कराना।

3. कलस्टर रिसोर्स पर्सन्स (CRP) की सहायता से केन्द्रों/शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुश्रवण की व्यवस्था कराना।

4. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भ दाताओं की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व :–

1. वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार कराकर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा कराना।

2. केन्द्र/ब्रिजकोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर बैक टू स्कूल कैम्प के प्रस्तावों को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना।

3. कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना।

4. अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों का संचालन कराना।

5. कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन कराना।

6. स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को कार्यक्रमों के संचालनार्थ अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों एवं ब्रिज कोर्स तथा ग्रीष्मकालीन शिविरों को संचालित करने हेतु समय सारिणी :–

जनपद कन्नौज मे वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों एवं ब्रिजकोर्स तथा ग्रीष्मकालीन शिविरों को संचालित करने हेतु निम्नवत् समय सारिणी निर्धारित की गयी है।

1. दिनांक 28–4–2002 तक वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की विभिन्न स्तरों बैठकों/कार्यशालाओं का आयोजन कराना।

2. दिनां 15–4–2002 तक माइक्रकोप्लानिंग का किया जाना।

3. दिनांक 30–5–2002 तक माइक्रोप्लानिंग के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगर क्षेत्र का चयन किया जाना जहाँ पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन शिविर की नितान्त आवश्यकता होगी।

4. ग्राम स्तरीय/नगर स्तरीय प्रस्तावों को उक्त समितियों से विचार विर्मश कर उसे सम्पूर्ण प्रोजेक्ट के रूप में दिनां 15–6–2002 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजना।

5. दिनांक 30–6–2002 तक जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर सम्पूर्ण जनपद के प्रस्तावों को तैयार कर भेजना जिसके साथ निम्न अभिलेख आवश्यक होगें।

राज्य सरकार द्वारा संचालित वैकल्पिक एवं नवाचार योजना के प्रस्ताव एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित प्रस्तावों को अलग–अलग संकलित कर पांच पांच प्रतियों में उपलब्ध कराया जाय।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों/ब्रिज कोर्स/शिविर के प्रस्तावों के साथ माइक्रोप्लानिंग से सम्बन्धित समस्त संकलन एवं ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव तथा सहायक बेसिक शिक्षा/अधिकारी विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी/नगर क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी के प्रमाण पत्र साथ में संलग्न किये जाये।

3. विकास खण्ड स्तरीय/नगर क्षेत्रीय समिति की संस्तुतियां/जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार की संस्तुतियों को भी केन्द्रवार एवं कोर्सवार अलग अलग उपलब्ध करायी जाय।

शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार :–

हम जानते है कि शासकीय मानक के अनुसार प्रत्येक 1.5 कि.मी. पर एवं 300 आबादी वाली बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्राविधान है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 लागू होने से पूर्व कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर उक्त मानक के अनुसार 60 बस्तियॉ ऐसी पायी गयी जिनसे 1.5 कि.मी. पर प्राथमिक विद्यालय नहीं थे और उनकी आबादी 300 के ऊपर थी। अतः जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 के अर्न्तगत 60 विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया। जिन्हें 2000–2001 एवं 2001–2002 में अर्थात् प्रारम्भ के दो वर्षों में ही पूरा कर लिया गया है। तथा 50 ऐसी बस्तियॉ पायी गयी जिनसे 1.5 कि.मी की दूरी में प्राथमिक विद्यालय नहीं थे लेकिन उनकी आबादी 300 से कम थी अतः मानक के अनुरूप न होने के कारण वहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जा सके अथवा उन बस्तियों से 1.5 कि.मी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तो थे लेकिन प्राकृतिक बाधाओं के कारण बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते थे। इन्हे भी प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु चयनित नहीं किया गया। अतः इन 50 बस्तियों में शिक्षा गारंटी योजना के तहत विद्या केन्द्र खाले जाने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 में प्राविधान किया गया। इनके संचालन के लिए ग्राम शिक्षा समितियों से प्रस्ताव मांगे जाने एवं केन्द्रों के लिए अनुषांगिक व्यय नियुक्त आचार्यों के लिए मानदेय की भी व्यवस्था की गयी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ मलिन बस्तियों, मुस्लिम बस्तियों, एवं बाल

श्रमिक

बहुल बस्तियों का भी चिन्हांकन किया गया। जिनमें रहने वाली आबादी के बच्चे अपने परिवार की विशिष्ट आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। क्योकि वे अपने घरेलू धन्धों में सहयोग करते थे। अथवा जातीय समीकरणों के कारण विद्यालय जाने में संकोच करते थे। ऐसी बस्तियों की संख्या भी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 में कराये गये सर्वेक्षण में 50 पायी गयी। इन चिन्हित बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खाले जाने का प्राविधान भी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 में किया गया तथा दो वर्षों में इसका लक्ष्य पूर्ण करने का प्राविधान किया गया इनके लिए अनुदेशकों का चयन, अनुषांगिक व्यय एवं मानदेय की भी व्यवस्था डी.पी. ई.सी.–3 में करने का प्राविधान किया गया।

विद्या केन्द्रों एवं शिक्षा केन्द्रों की स्वीकृति एवं संचालन की स्थिति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :–

क्र सं0	वर्ष	स्वीकृति संख्या		संचालित संख्या		कार्यरत सं0	
		विद्याकेन्द्र	शिक्षाकेन्द्र	विद्याकेन्द्र	शिक्षाकेन्द्र	आचार्य	अनुदेशक
1.	2000–01	25	5	25	5	25	5
2.	2001–02	25	45	25	45	25	45
3.	2002–03	–	–	–	–	–	–
4.	2003–04	–	–	–	–	–	–

उपर्युक्त के अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान निर्माण हेतु संकलित किये गये आकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रूप से विकास खंडवार विद्या केन्द्रों एवं शिक्षा केन्द्र भी संचालित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

सारणी 7.2
स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति (जून 2003)

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	5^+ से 6^+ वय वर्ग			7 से 10^+ वय वर्ग			11से 14 वय वर्ग			कुल योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	कन्नौज	1837	1626	3463	1112	1017	2129	884	939	1823	3833	3582	7415
2.	जलालाबाद	1630	1318	2948	1108	991	2099	505	513	1018	3243	2822	6065
3.	तालग्राम	1535	1367	2902	944	912	1856	761	729	1490	3240	3008	6248
4.	छिबरामऊ	1267	758	2025	286	315	601	474	542	1016	2027	1615	3642
5.	सौरिख	1496	1202	2698	328	304	632	253	271	524	2077	1777	3854
6.	उमर्दा	439	405	844	472	340	812	242	243	485	1153	988	2141
7.	ढसेरन	1185	1020	2205	245	231	476	160	148	3081	1590	1399	2989
8.	नगर क्षेत्र कन्नौज	467	347	814	403	311	714	307	294	601	1177	952	2129
	योग	9856	8043	17899	4898	4421	9319	3586	3679	7265	18340	16143	34483

सारणी–7.3

सर्वशिक्षा अभियान हेतु विद्या केन्द्रों एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता

क्र स	विकास खण्ड	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर			
		विद्याकेन्द्र	शिक्षाकेन्द्र	मानव	ए0आई0ई0	ब्रिज कोर्स	ज्ञान शाला	बैक टू स्कूल कैम्प
1.	कन्नौज	04	03	–	04	11	–	–
2.	जलालाबाद	04	03	–	04	9	–	–
3.	तालग्राम	03	04	02	03	13	–	–
4.	छिबरामऊ	02	–	–	02	17	–	–
5.	सौरिख	02	02	–	03	10	–	–
6.	उमर्दा	03	02	–	02	13	–	–
7.	हसेरन	02	02	–	03	8	–	–
8.	नगरक्षेत्र	–	02		–	–	–	–
	योग	20	18	02	21	81	–	–

सारणी–7.4

EGS/AIB केन्द्रों की स्थापना का वर्षवार लक्ष्य

खोले जाने वाले केन्द्रो की संख्या										
क्रमांक	वित्तीय वर्ष	EGS			AIE प्राथमिक स्तर			AIE उच्च प्रा0 स्तर		
		पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग
1.	2003–04	50	–	50	50	–	50	–	21	21
2.	2004–05	50	20	70	50	20	70	21	–	21
3.	2005–06	70	–	70	70	–	70	21	–	21
4.	2006–07	70	–	70	70	–	70	21	–	21
5.	2007–08	70	–	70	70	–	70	21	–	21
6.	2008–09	70	–	70	70	–	70	21	–	21
7.	2009–10	70	–	70	70	–	70	21	–	21

<u>हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित विद्यालय न जाने वाले बच्चों का कारणवार द्वत्ै।व्छ ैम्त्रर विवरण</u>

क0	कारण	5से 6		7से10		11-14		योग		कुल योग
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1	घरेलू कार्य	1292	946	2133	1824	1573	1633	4998	4403	9401
2	म्जदूरी	169	142	279	112	502	154	950	408	1358
3	भाई बहनों की देखभाल	1323	1239	1084	1332	185	1077	2592	3648	6240
4	विद्यालय दूर होना	547	431	210	92	37	45	794	568	1362
5	अन्य	6525	5285	1192	1061	1334	725	9051	7071	16122
	योग	9856	8083	4898	4421	3631	3634	18385	16098	34483

सारण2ी 3.2

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम एवं सर्व शिक्षा अभियान ~~कुशीनगर~~ कन्नौज

नामांकन प्रगति 2003-04

31 अगस्त 2003

बच्चो की कुल संख्या	हाऊस होल्ड सर्वे में चिन्हित कुल बच्चे							31-08-2003 तक नामांकित बच्चे						
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
	5+ से 6+		7+ से 10+		11 से 14			5+ से 6+		7+ से 10+		11 से 14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
337678	9856	8043	4898	4421	3631	3634	34483	9097	7495	4048	3221	3179	3385	30435

माह जून में कराये गये हाउस होल्ड सर्वे में कुल 34483 बच्चे स्कूल से बाहर थे जिनमें से अगस्त माह तक कुल 30435 बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है वर्तमान में 4048 बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। जिनके लिये अधयाय 7 में कार्यकम प्रस्तावित किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत मई/जून 2003 में हाउस होल्ड सर्वे का कार्य मजरेवार कराया गया। सर्वेक्षण के आधार पर जनपद विभिन्न आयु वर्गो के निम्न प्रकार बच्चे स्कूल न जाने वाले (Out of School) पाये गये। 5^+ से 6^+ में बालकों की संख्या 9856 तथा बालिकाओं की संख्या 8043 कुल 17899 पाई गई। 7 से 10 वय वर्ग बालकों की संख्या 4898 तथा बालिकाओं की संख्या 4421 कुल 9319 तथा 11 से 14 वय वर्ग में बालक एवं बालिकाओं की संख्या कमशः 3586 एवं 3679 पाई गई। इस प्रकार जनपद में कुल 18340 बालक तथा 16143 बालिकायें विद्यालयी शिक्षा से वंचित पाई गई। स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा मुख्य धारा से जोड़ने एवं उन्हें विद्यालयी शिक्षा हेतु नामाकिंत कराने के उद्देश्य से माह जुलाई में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। जिसमें 5^+ से 6^+ एवं 7 से 10^+ आयु वर्ग के बच्चों का नामाकंन कराया गया एवं 5^+ से 6^+ आयु वर्ग के (Out of School) अधिकांश बच्चों का विद्यालयों में नामाकंन हुआ। शेष स्कूल न जाने वाले चिन्हित बच्चों के नामाकंन हेतु ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकों में जन समुदाय के सहयोग से विद्यालयों एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मे नामाकंन कराया गया है लगभग 88.26 प्रतिशत नामाकंन हो चुका है। शेष 5^+ से 10^+ वय वर्ग के 3347 तक 11 से 14 आयु वर्ग के 701 बच्चों के नामाकंन हेतु न्याय पंचायत स्तर पर ब्रिज कोर्स, अनु0 जाति की बालिकाओं हेतु विकास खण्ड स्तर पर गैर आवासीय तथा जनपद स्तर पर तीन आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार समस्त स्कूल न जाने वाले बच्चों का शत प्रतिशत नामाकंन सुनिश्चित कराया जायेगा।

जनपद में 31 अगस्त 2003 तक अभी भी कुल 4048 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सितम्बर माह में वि ा अभियान चलाकर 7 प्रति ात लगभग 290 बच्चों को निर्माणधीन नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में नामांकन कराया जायेगां। ो ा 93 प्रति ात लगभग 3758 बच्चों के लिये विभिन्न वैकल्पिक कार्यकम प्रस्तावित है जिनका विवरण अधोलिखित हैं।

धारेलू कार्य में लगे रहना:- जनपद में स्कूल से बाहर बच्चों में सार्वाधिाक लगभग 27.3 प्रति ात घरेलू कार्यो में लगे है। इन्हें ब्रिज कोर्सो एवं वैकल्पिक केन्द्रों के माधयम से ि ाक्षा की मुख्य धाारा से जोडने का लक्ष्य रखा गया है। जो अधोलिखित है-

क0	कार्यकम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0	केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0	केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0	केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0
1	ब्रिज कोर्स	81	1458	-	-	-	-	-	-
2	ई0जी0एस0	20	400	20	400	20	400	20	400

मजदूरी में लगे रहना:- जनपद में स्कूल से बाहर बच्चों में लगभग 3.9 प्रति ात मजदूरी में लगे है। ये मुख्यत: 9 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं। इन्हें प्राथमिक स्तर पर ि ाक्षाघर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर ए0 आइ0 ई0 केन्द्रों के माधयम से ि ाक्षा की मुख्य धाारा से जोडने का लक्ष्य रखा गया है। जो अधोलिखित है-

क0	कार्यकम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0	केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0	केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0	केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0
1	ि ाक्षाघर	2	40	2	40	2	40	2	40
2	ए0आइ0ई0	21	220	21	220	21	220	21	220

भाई बहनों की देखभाल:- जनपद में स्कूल से बाहर बच्चों में लगभग 18.1 प्रति ात जिनमें मुख्यत: बालिकायें हैं जो अपने छाटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल में प्रवे ा नहीं ले पाती या बीच मे ही ाला त्याग देती हैं। इन्हें ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों तथा ग्री म कालीन ि ाविरों के माधयम से ि ाक्षा की मुख्य धाारा से जोडने का लक्ष्य रखा गया है। जो अधोलिखित हैं-

क0	कार्यकम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0	केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0	केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0	केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0
1	ई0सी0सी0ई0 केन्द	15	300	15	300	15	300	15	300
2	ग्री म कालीन ि ाविर	35	720	35	720	35	720	35	720

अन्य:- जनपद में स्कूल से बाहर बच्चों में लगभग 46.7 प्रति ात अन्य कारणों जैसे रूढिवादिता जागरूकता की कमी एवं खराब भौगोलिक स्थितियों आदि के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। इन्हें विद्या केन्द्रों, अनूसूचित जाति के बच्चों हेतु ब्रिज कोर्सो के माधयम से ि ाक्षा की मुख्य धाारा से जोडने का लक्ष्य रखा गया है। जो अधोलिखित है-

क्र0	कार्यक्रम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0	केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0	केन्द्र की सं0	बच्चों. की सं0	केन्द्र की सं0	बच्चों की सं0
1	विद्या केन्द	18	360	18	360	18	360	18	360
2	अनूसूचित जाति के बच्चों हेतु ब्रिज कोसा	1	60	1	60	1	60	1	60

इस प्रकार वर्तमान में स्कूल से बाहर 4048 बच्चों को नामांकन हेतु कार्यक्रमों का सारां ा निम्नवत है :-

क्र0	कार्यक्रम	2003-04
1	सितम्बर माह में अभियान द्वारा नवीन स्कूलों में नामांकन	290
2	ब्रिज कोर्स	1458
3	ई0जी0एस0	400
4	ए0आइ0ई0	420
5	ई0सी0सी0ई0	300
6	समर कैंप	720
7	ब्रिज कोर्स अनु0जाति	60
	Shiksha Kendra	400
	योग	4048

अध्याय 8

विद्यालय में ठहराव वृद्धि रणनीति

बच्चों को विद्यालय भेजने के लिये स्कूल चलों अभियान अथवा अन्य जन जागरण के कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। जिनके फलस्वरूप विद्यालयों मे सत्रारम्भ में छात्र नामांकन तो हो जाता है परन्तु नामांकित छात्र पूरे समय तक विद्यालय में ठहरकर अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण नहीं पर पाते है। ठहराव की दर घटकर शौचनीय स्तर तक आ जाती है। इस स्थिति में सुधार लाने तथा ड्राप आउट की दर काम करने को सतत प्रयास इस योजना के अन्तर्गत किये जायेंगे।

सारणी 8.1

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

क्रम सं0	आइटम/सुविधा	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	विद्यालय पुननिर्माण	29	12
2.	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	663	251
3.	पेयजल सुविधा	44	15
4.	शौचालय	156	42
5.	चहारदीवारी	771	85
6.	अतिरिक्त शिक्षक	2024	456
7.	अतिरक्ति शिक्षा मित्र	2022	–

सारणी 8.2

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	कुल परिषदीय विद्यालय	1:3 दर सें कक्षा–कक्ष	वर्तमान कक्षा–कक्ष	नवीन विद्यालय के कक्षा–कक्ष	योग (4+5)	आवश्यक कक्षा–कक्ष	वर्षभर की मांग
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2002–2003	817	2451	1828	0	1826	623	–
2.	2003–2004	817+40	2571	2451	80	2531	40	–
3.	2004–2005	857	2571	2571	0	2571	0	300
4.	2005–2006	857	2571	2571	0	2571	0	300
5.	2006–2007	857	2571	2571	0	2571	0	63
6.	2007–2008	–	–	–	–	–	–	–
7.	2008–2009	–	–	–	–	–	–	–
8.	2009–2010	–	–	–	–	–	–	–

सारणी 8.3

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–कक्ष की स्थिति एवं आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	कुल परिषदीय विद्यालय	1:5 की दर से कक्षा–कक्ष	नवीन विद्यालय के कक्षा–कक्ष	वर्तमान कक्षा–कक्ष	आवश्यक कक्षा–कक्ष	वर्षवार माँग
	1	2	3	4	5	6	7
1.	2002–2003	128 + 18	730	72	474	184	13
2.	2003–2004	146 + 67	1065	268	730	67	7
3.	2004–2005	213	1065	0	1065	0	100
4.	2005–2006	213	1065	0	1065	0	100
5.	2006–2007	213	1065	0	1065	0	31
6.	2007–2008	–	–	–	–	–	–
7.	2008–2009	–	–	–	–	–	–
8.	2009–2010	–	–	–	–	–	–

सारणी 8.4

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता।

वर्ष	परिषदीय कुल नामांकन	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षामित्र	योग	40:1 की दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	नवीन प्रा0 वि0 के शिक्षक	अतिरिक्त शिक्षक	अतिरिक्त शिक्षामित्र	क्रमागत अतिक्ति शिक्षक	क्रमागत अतिरिक्त शिक्षामित्र
2002–03	159292	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2003–04	175221	2520	233	2753	4381	1628	80	744		774	774
2004–05	179602	3334	1047	4381	4490	109	0	55	571	829	828
2005–06	184092	3389	1101	4490	4602	112	0	56	56	885	884
2006–07	188694	3445	1157	4602	4717	115	0	58	57	943	941
2007–08	193411	3503	1214	4717	4835	118	0	59	59	1002	1000
2008–09	198286	3562	1273	4835	4956	121	0	61	60	1063	1060
2009–2010	203203	3623	1333	4956	5080	124	0	62	62	1125	1122

सारणी 8.5

उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं वर्षवार शिक्षकों की आवश्यकता।

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1.5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
1	2	3	4	5	6	7
1	2002–2003	128	18	730	609	121
2	2003–2004	146	67	1065	730	335
3	2004–2005	213	0	1065	1065	0
4	2005–2006	213	0	1065	1065	0
5	2006–2007	213	0	1065	1065	0
6	2007–2008	–	–	–	–	–
7	2008–2009	–	–	–	–	–
8	2009–2010	–	–	–	–	–

सारणी 8.6

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

थ्वद्यालय का स्तर	वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–2010
प्राथमिक	बच्चों की संख्या एस0सी0 बालक तथा समस्त बालिकायें				177299	181731	186275	190932	195706
उच्च प्राथमिक	बच्चों की संख्या एस0सी0 बालक तथा समस्त बालिकायें		68448	70777	73251	75804	71740	80400	82410

सारणी 8.7

विद्यालय रखरखाव एवं विद्यालय विकास अनुदान।

वर्ष			2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–2010
रख–रखाव 5000/–	प्राथमिक विद्यालय		–	817	40	857	857	–	–	–
	उच्च प्राथमिक विद्यालय		123	123	213	213	213	–	–	–
विद्यालय विकास अनुदान 2000/–	प्राथमिक विद्यालय	परिषदीय	–	–	40	857	857	–	–	–
		सहायता प्राप्त	–	–	–	283	283	–	–	–
		योग	–	–	40	1140	1140	–	–	–
	उच्च प्राथमिक विद्यालय	परिषदीय	123	221	213	213	213	–	–	–
		सहायता प्राप्त	–	–	316	316	316	–	–	–
		योग	123	221	529	529	529	–	–	–

जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय भवन के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष रू0 5000/– का अनुदान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त परिषदीय प्राथमिकएवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों को रू0 2000/– प्रतिवर्ष विद्यालय विकास अनुदान भी दिया जायेगा।

अतिरिक्त कक्षा–कक्ष :

प्रति प्राथमिक विद्यालय तीन कक्षा–कक्ष एवं प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय पाँच कक्षा–कक्ष की दर से प्राथमिक स्तर पर 663 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 251 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता हे।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
प्रा0 विद्या0	–	–	300	300	63	–	–	
उ0 प्रा0 वि0	13	7	100	100	31	–	–	

शौचालय :

गत योजनाओं में सतत् प्रयास कर विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है परन्तु अभी भी प्राथमिक स्तर पर 156 उच्च प्राथमिक स्तर पर 42 शौचालयों की आवश्यकता है।

वर्ष	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	योग
संख्या	12	0	115	71	198
प्राथमिक	0	0	100	56	156
उ0 प्रा0	12	0	15	15	42

जर्जर भवनों की मरम्मत :

योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर 29 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 12 भवन जीर्ण–शीर्ण हैं इनका पुननिर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया गया है।

वर्ष	2003–2004	2004–2005	2005–2006	योग
संख्या	2	25	14	41
प्राथमिक	0	20	9	29
उ0 प्रा0	2	5	5	12

पुनः निर्माण हेतु जर्जर/भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों की सूची

जनपद कन्नौज

कमांक	प्रा0 वि0 का नाम	विकास खण्ड	स्थापना वर्ष
1.	मजहिला	उमर्दा	1965
2.	एमा	,,	1938
3.	हमीरपुर	,,	1950
4.	सिंगरी	,,	1968
5.	बारापुर	,,	1926
6.	हरीपुर्वा	,,	1941
7.	साहापुर	,,	भवनहीन
8.	बिनवारा	,,	1950
9.	उमगारा	,,	1967

10.	कृपालुपुर	"	1951
11.	बेहटाभंग	छिबरामऊ	1950
12.	बिकुपुर	"	1951
13.	कन्या पलिया	"	1966
14.	घिलोई	"	1950
15.	सेखापुर	"	1947
16.	कुलाहापुर	जलालाबाद	1952
17.	गढियावली दादपुर	"	1952
18.	रौरा	तालग्राम	1950
19.	गुरगुजपुर	"	1966
20.	लहापुर	"	1902
21.	ऊँचा	"	1950
22.	रौंसा	हसेरन	1960
23.	कन्या मथापुरा	"	1948
24.	कन्या बिहारीपुर	"	1970
25.	भगवंतपुर	"	1954
26.	बकरिया टोला	कन्नौज	भवनहीन
27.	धपट्टी	"	भवनहीन
28.	गोल मैदान	कन्नौज (नगर)	भवनहीन
29.	काजी टोला	"	भवनहीन

पुनः निर्माण हेतु जर्जर/भवनहीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र सं	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	स्थापना वर्ष
1.	कड़ेरा	उमर्दा	भवन है
2.	तिर्वागंज	उमर्दा	1902
3.	भगवन्तपुर	हसेरन	1959
4.	हसेरन	हसेरन	1907
5.	झिलोई	छिबरामऊ	1954
6.	सिकन्दरापुर	छिबरामऊ	1961
7.	क0 क्रमोलर किसवापुर	जलालाबाद	भवनहीन
8.	गुरसहायगंज	तालग्राम	1917
9.	क0 सिवाही ठाकुर	कन्नौज (नगर)	भवनहीन
10.	पकरियाटोला	कन्नौज (नगर)	भवनहीन
11.	क0 क्रमोलर सकरावा	कन्नौज (नगर)	भवनहीन
12.	क0 तुलसीपुर	कन्नौज (नगर)	1954

पेयजल व्यवस्था :

जनपद में 59 विद्यालय ऐसे है जहाँ पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जानी शेष है। योजना के प्रथम चरण में इस कार्य को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

वर्ष	2004–2005	योग
संख्या	59	59
प्राथमिक	44	44
उ0 प्रा0	15	15

लघु मरम्मत :

इस योजना के अन्तर्गत 20 प्राथमिक विद्यालय तथा 14 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। तथा एक विद्यालय की लघु मरम्मत हेतु 20 हजार रूपया प्रस्तावित है। वर्ष वार विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार प्रस्तावित है।

वर्ष	2004–2005	2005–2006	योग
संख्या	17	17	34
प्राथमिक	10	10	20
उ0 प्रा0	7	7	14

वृहत मरम्मत :

इस योजना के अन्तर्गत 15 प्राथमिक विद्यालय तथा 5 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। तथा एक विद्यालय की वृहत मरम्मत हेतु 70 हजार रूपया प्रस्तावित है। वर्ष वार विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार प्रस्तावित है।

वर्ष	2004–2005	2005–2006	योग
संख्या	13	7	20
प्राथमिक	10	5	15
उ0 प्रा0	3	2	5

चहार दीवारी :

ज्नपद के कुल 817 प्राथमिक तथा 128 उच्च प्राथमिक विद्यालय है परन्तु अभी 750 प्रा0 विद्यालयों तथा 90 उच्च प्रा0 विद्यालयों में चहारी दीवारी की

आवश्यकता है। प्रत्येक चहारदीवारी के लिये 40,000/– की धनराशि आवंटित की आवश्यकता है। परन्तु एस0एस0ए0 में इसका प्रावधान नही किया गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्यूटर शिक्षा :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किए जाने से सार्थक परिणाम की सम्भावना है। कम्प्यूटर शिक्षा से जहाँ एक ओर जहाँ लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वही दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी। शिक्षकों तथा बच्चों दोनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेंगे। कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोजक बनाने के लिये परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों को अन्तर्गत प्रथमतः प्रतिवर्ष 10–10 विद्यालयों को चयनित किया जायगा तथा एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल 40 उच्च विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त 60,000/– रू0 व्यय किये जायेंगे।

वर्षवार	2001–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10
कम्प्यूटर हेतु उ0 प्रा0 विद्यालयों की संख्या			10	10	10	10			

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने** पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

बालिका शिक्षा :

सभी जन समूदाय के मिश्रित होने से ही राष्ट्र की उन्नति एवं विकास होता है। इस तथ्य को स्वीकारते हुए भारतीय संविधान में 6–14 वर्ष में आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी वचन बद्धता व्यक्त की है। संविधान में राज्य को निर्देश दिया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया जाय। संविधान में दिये गये मौलिक अधिकार नागरिकों को हर प्रकार के भेदभाव धर्म एवं जाति लिंग एवं जन्म के स्थान पर आधारित उत्पीड़न से रक्षा करते है। पंचवर्षी योजनओं में संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचनबद्धता का समर्थन किया है। एवं अनके महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आरीा किया है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनीतियों में समय के साथ बदलाव आया है। 1986 में आयी राष्ट्रीय शिक्षानीति के पश्चात आरम्भ की गई कार्यनीति के अन्तर्गत महिलाओं की समानता में बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र के रूपमें स्थापित किया गया है। महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने का प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुँच एवं धारण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने को प्राथमिकता दी जायेगी एवं इसमें विशेष सहायक सेवाओं के समयबद्ध लक्ष्य का सुचारू रूप से अनुश्रवण होगा। उत्तर प्रदेश में साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता दर 52.2 प्रतिशत के विपरीत 41.6 प्रतिशत है। महिलाओं एवं पुरूषों की राष्ट्रीय शाक्षरता दर क्रमशः 64.1 प्रतिशत तथा 25.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति महिलाओं की साक्षरता दर कई जिलों में 7 प्रतिशत से भी कम है। नामांकन के आंकड़े न केवल जोड़कर व सामाजिक समूहों को भी दर्शाते है। यह अनुमान है कि स्कूल में प्रवेश होने वाले

छात्रों में से 56 प्रतिशत कक्षा तीन उत्तीर्ण करने से पूर्व ही शाला का त्याग कर देते है।

उत्तर प्रदेश को बालिकाओं के कुल नामांकन अनुपात में 1996–97 से 99–2000 के मध्य 14.9 प्रतिशत अंकों भी वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण 1999–2000 में बालिकाओं को GER में 98 प्रतिशत की वृद्धि है जो 1996–97 में 84.4 प्रतिशत बेसिक शिक्षा निदेशालयउत्तर प्रदेश के मुताबिक राज्य का संपूर्ण कुल नामांकन 100 प्रतिशत है। 1999–2000 में बालिकाओं के लिये यह 105.3 प्रतिशत एवं बालिकाओं के लिए 98.7 प्रतिशत है। (1999–2000) बालिकाओं के 1996–97 में कुल नामांकन अनुपात की तुलना में यह 24.6 प्रतिशत है।

बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक तत्व :–

बालिकाओं के नामांकन शाला त्याग के कारण जटिल है इनमें संरचनात्मक कारण जैसे बस्तियों में स्कूलों का अभाव, महिला शिक्षिकाओं का अभाव आर्थिक बाध्यता और समाज में प्रचलित सामाजिक धारणाएं एवं अन्ध विश्वास। बालिकाओं के लिए मांग न होने उनके निम्नतम् नामांकन का मुख्य कारण है। स्कूल का वातावरण भी बालिकाओं की शिक्षा को प्रेरित नही कर पाता है। और नही उसकी विशेषताओं को उभारता है। अतिरिक्त कार्य होने पर उन्हें घर में रोक लिया जाता है। जिससे उनकी स्कूल में उपस्थिति में भारी कमी हो जाती है।

प्रयास एवं सुझाव :–

1. जागरूकता क्रियाकलापों द्वारा बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय वातावरण बनाये जाने पर जोर।

2. जेण्डर संवेदन बनाना जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा को समानता और सहजता से समझ सके।

3. महिला तथा बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने एवं जोर डालने वाली सामग्री विकसित करना।

4. शिक्षकों को कक्षा में जेण्डर भेदभाव पर आधारित क्रियाकलापों को रोकने हेतु प्रशिक्षित किए जाने के लिए प्रशिक्षण माण्ड्यूल विकसित करना।

5. ई0सी0सी0ई0 तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।

6. प्राथमिक शिक्षा से उच्च स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं को जोड़े रखने की रणनीति से कार्य।

कार्यक्रम :–

बालिकाओं की शिक्षा हेतु समुदाय के साथ कार्य करना। बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता निम्नांकित होगी।

1. बालिकाओं के नामांकन ठहराव एवं विद्यालय के प्रबन्ध में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाना।

2. महिला समूहों का संगठन एवं महिला समाख्या के साथ उनका समन्वयन।

3. माता शिक्षक संघ एवं अभिभावक शिक्षा संघ का गठन।

4. ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

मीना कैम्पेन :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सामुदायिक वचनबद्धता के विकास के लिए "मीना कैम्पेन" नामक एक विशिष्ट योजना का आरंभ किया गया। यह यूनिसेफ द्वारा तैयार की गयी मीना नामक बालिका पर दर्शायी गई एक शिक्षाप्रद फिल्म है।

माँ–बेटी मेला एवं महिलाओं की संसद :–

बालिकाओं की शिक्षा के विषय में महिलाओं का संगठित होना आवश्यक है और इस उद्देश्य से माँ–बेटी मेलों और महिला संसदों का आयोजन किया जाता है, इन मेलों का मुख्या उद्देश्य :–

1. बालिकाओं की शिक्षा के विषय में जागरूकता बढ़ाना।
2. बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में महत्व बताना।
3. शिक्षकों एवं अभिभवकों के बीच एक क्रियाशील सम्बन्ध की स्थापना।
4. बालिकाओं द्वारा अनुभव की गई समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट कराना।
5. बेटे और बेटियों के प्रति लोगों के विचारों को जानने के लिए जेण्डर आधारित वार्ताओं का आयोजन।

रामानता के लिए शिक्षा :–

महिला संगठनों के अतिरिक्त महिला समाख्या कार्यक्रम विभिन्न आयु वर्गो के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। महिला समाख्या कार्यक्रम में शैक्षिक एवं अन्य हस्तक्षेप समुदाय जैसे महिला संघों के साथ मिलकर विकसित किए गए है। जैसे :–

बालकेन्द्र किशोरी संघ, किशोरी केन्द्र एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :–

संघ की महिलाओं द्वार छोटे बच्चों, किशोरी लड़कियों आदि की शिक्षा के लिए व्यवस्थ व्यक्त की गई, इसके पश्चात बाल केन्द्रों एवं किशोरी केन्द्रों की संकल्पना की गई है।

किशोरी संघ :–

किशोरी संघ का उदय किशोरी केन्द्रों से हुआ है, यह किशोरियों का समूह जिनका संगठन स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण, कानूनी साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षाण जैसे विषयों को ध्यान में रखकर किया गया है।

बालकेन्द्र :–

महिला संघ में रहकर शिक्षित महिलायें जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगी उसका उपयोग वे अपने पड़ोसी परिवारों के बालक बालिकाओं को शिक्षित करने में करेंगी।

किशोरी केन्द्र :–

ऐसी बालिकायें जो किसी कारण वश प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात शाला त्याग चुकी है। ऐसी बालिकाओं के लिये किशोरी केन्द्र अग्रिम शिक्षा के लिये प्रोत्साहन एवं व्यवस्था करेंगे।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :–

इन केन्द्रों पर 6–11 वय वर्ग की वे सभी बालिकायें जो विद्यालय जाने से वंचित रह गई है उन्हें इन केन्द्रों पर शिक्षा प्रदान की जायेगी। ब्रिज कोर्स व ग्रीस्म कालीन सत्र चलाये जाने की व्यवस्था भी इन केन्द्रों पर की जायेगी।

बाल शाला :–

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बालिकाओं पर अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख का दायित्व होता है। ऐसी बालिकाओं को शिक्षा की ओर उनमुख करने के लिए विशेष पैकेज दिये जाने, शिक्षित करने की व्यवस्था की जायेगी।

प्रहार पाठशाला :–

इसके अन्तर्गत 9 वय वर्ग से ऊपर की वे बालिकायें जो विद्यालय नही जा सकी है। ऐसी 15 बालिकाओं को साथ लेकर प्रहर पाठशाला आरम्भ की जा सकती है।

बी0ई0सी0 का जेण्डर प्रशिक्षण :–

बालिका शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु समुदाय की भागीदारी के महत्व को देखते हुए, सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बी0ई0सी0 के सदस्यों का जेण्डर सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रस्तावित किया जा रहा है।

मकतब / मदरसा :–

मुस्लिम वर्ग की बालिकाओं को प्रारम्भिक धार्मिक शिक्षा प्रदान करना ही पर्याप्त मान लिया जाता है। ऐसी बालिकाओं के लिये औपचारिक शिक्षा दिये जाने का प्रबन्ध इस योजना के अन्तर्गत किया जायेगा।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति :–

बालिकाओं के ठहराव हेतु कुछ समूहो का निर्माण एवं प्रशिक्षण।

माता शिक्षक संघ :–

ऐसे गांव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उन गाँव की 15 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन :–

बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गांव स्तर पर निकाली जायेगी। जिसमें स्कूल के बच्चों एवं अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिए दबाव बनाया जायेगां।

1. माह में 5 दिन से अधिक उपस्थित पर हरा निशान।

2. माह में 7–15 दिन की उपस्थिति पर पीला निशान।

3. माह में 6 दिन से कम उपस्थिति पर लाल निशान।

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा। यह निशान प्रति माह चार्ट पर इंगित कर कक्षावार टाँग दिया जायेगा। तथा ग्राम स्तरीय समूह बैठकों पर चर्चा किया जायेगा तथा बच्चों को रिबन के बैज प्रदान किया जायेगा।

सत्र के मध्य एवं सत्रांत के अन्त में अभिभावक सम्मेलन :–

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावको की बैइक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनो के विषय में उन्हे अवगत कराते हुए नियमित आने वाले बच्चों के अभिभवकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रांत समारोह में गांव के

समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे है।

कोहार्ट स्टडी :–

अधिकतम शाला त्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पांच वर्षो का बच्चों का शाला त्याग दर रजिस्टर से निकालकर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा। जिन्होंने पिछले साल पांच साल में विद्यालय छोड़ा है ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालील शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

ग्रीष्मकालीन शिविर :–

ऐसे गांव जहाँ न्यूनतम 40 बालिकाएं शाला त्याग के रूप में चिन्हित की जायेगी उन गांव में उन बालिकाओं के दस दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

कलाजत्था अभियान :–

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कलाजत्था एक सशक्त माध्यम है बालिकाये बीच में विद्यालय छोड़ दे यह सुनिश्चित करने के लिये स्कूल मे कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमे स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित

कर गांव गांव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान ऐसे गांवों में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

सारणी सं0 8.8

ग्रीष्मकालीन शिविर

वर्ष	ग्रीष्मकालीन शिविरों की संख्या	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2002–03	21	14
2003–04	21	14
2004–05	21	14
2005–06	21	14
2006–07	21	14
2007–08	–	–
2008–09	–	–
2009–2010	–	–

शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :–

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह

सर्वेक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बालक/बालिकाओं के विद्यालय बीच मे छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपाश्कों परचर्चा/अभ्यास कर किया जायेगा।

माडल क्लस्टर डेवलपमेन्ट एप्रोच (एम0सी0डी0ए0) :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड की 5 न्याय पंचायतो को, जो महिला साक्षारता दर में कम हों, बालिकाओं का ड्राप आउट अधिक हो, आदर्श न्याय पंचायतों के रूप में विकसित करने का लक्ष्या रखा गया हो। जिससे उन न्याय पंचायतों में बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। इसके अन्तर्गत आच्छादित न्याय पंचायतों मे – कला–जत्था का प्रदर्शन, एम0टी0ए0/पी0टी0ए0/डब्ल्यू0 एम0जी0 का गठन एवं प्रशिक्षण, मीना–कैम्पेन, पी0आर0ए0, तारांकन, ठहराव परिक्रमा आदि कार्यक्रम किये जायेंगे। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत अभी तक चार विकास खण्डों को इस कार्य के लिए आच्छादित किया जा चुका है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत माडल क्लस्टर डेवलपमेन्टल एप्रोच हेतु विकास खण्डों का आच्छादन निम्नवत् होगा–

सारणी संख्या 8.9 :

वर्ष	एम.सीडी.ए. से आच्छादित विकास खण्ड			कार्यक्रम कला जत्था	मेना कैम्पेन शो	बाल मेला न्याय पंचायत स्तर	एम.टी. ए. पी. टी.ए. प्रशिक्षण	महिला प्रेरक दल प्रशिक्षण	ग्रा.शि.स. प्रशिक्षण दो दिवसीय @ 480
	पूर्व से आच्छादित	नवीन प्राविधान	कुल						

2002–03	4	0	4	–	21	–	–	10	–
2003–04	–	0	4	–	21	–	–	10	–
2004–05	–	1	5	–	21	–	4000	10	575
2005–06	–	1	6	–	21	–	4000	10	575
2006–07	–	1	7	–	21	–	2700	10	575
योग	4	3	26	–	105	–	10700	50	1725

शिशु शिक्षा केन्द्रों को खोलना :–

छोटे भाई बहलो की देखरेख में लगे रहने के कारण जो बालिकायें विद्यालय नही जा पाती या विद्यालय में पर्याप्त समय नही दे पती जिससे उनका ठहराव सुनिश्चित नही हो पाता तथा कुछ बालिकायें इन कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालया छोड़ देती है। इन बालिकाओं को विद्यालयों में लाने के लिये शिशु–शिक्षा केन्द्रो को खोला गया। यह केन्द्र आई0सी0डी0एस0 को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के द्वारा विद्यालय समय के अनुसार विद्यालय में चलाये जाते है। कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय का अतिरिक्त मानदेय डी0पी0ई0पी0 के द्वारा दिया जाता है तथा प्रत्येक केन्द्र पर 5000 रूपये की शैक्षिक सामग्री हेतु दी जाती है। और प्रत्येक वर्ष 1500/– रूपये आकस्मिक व्यय हेतु।

प्रथम चरण में यह केन्द्र ऐसे विकास खण्ड में जहां की महिला साक्षरता दर कम थी। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत 2000–2001 में विकास खण्ड जलालाबाद में 19 केन्द्र तथा उमर्दा में 21 केन्द्र कुल 40 केन्द्र खोले गये है।

द्वितीय चरण में 2001–2002 मे विकास खण्ड जलालाबाद में 15 एवं विकास खण्ड उमर्दा में 15 कुल 30 केन्द्र खोले जा रहे है। इस तरह कुल 70 केन्द्र डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत खोले जा चुके है।

सारणी सं0 8.10

सर्व शिक्षा के अन्तर्गत नवीन ECEE केन्द्रो की आवश्यकता

वर्ष	पूर्व से संचालित केन्द्र	नवीन केन्द्र	क्रमागत योग
2002–03	70	0	70
2003–04	–	0	70
2004–05	–	15	85
2005–06	–	15	100
2006–07	–	0	–
2007–08	–	0	–
2008–09	–	0	–
2009–10	–	0	–

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता :–

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नही है उन विकास खण्डों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र (ECEE) खोले जायेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव :–

शिक्षा ग्रहण करने के साथ–साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के पारिवारिक पारम्परिक एवं गैर पारंपरिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव** परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

वर्तमान शिक्षा में बालिकाओं हेतु उनके भावी जीवन हेतु उपयोगी कार्यक्रमों के अभाव में शिक्षा के प्रति उनकी रूचि एवं अभिभावक की जागरूकता अपेक्षानुकूल नही है शिक्षा प्रणाली में उपर्युक्त कार्यक्रमों के सम्मिलित हो जाने से निःसन्देह बालिकाओं का विद्यालय के प्रति रूचि बढ़ेगी तथा अभिभावक बालिकाओं को नामांकन एवं उनकी शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो जायेंगे। सिलाई–कढ़ाई, बुनाई, कलाचित्रण के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार टोकरियां बनाने मिट्टी के खिलौने कागज के सामान आदि बनाने के प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा।

वर्ष	2004–05	2005–06	2006–07
SUPU	21	21	21

सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रमः–

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में शासन स्तर से लागू किये गये कार्यक्रमों में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति इसलिए नही हो पाती क्योंकि उसमें उन लोगो की सहभागिता नही थी जिनके हितों के लिए कार्यक्रम संचालित किये गये थे। वैसे तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में लागू होने से पहले की जिला बेसिक शिक्षा समिति/नगर बेसिक शिक्षा समिति/विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाता रहा था किन्तु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 से आच्छादित होने के उपरान्त समुदाय का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने की संकल्पना की गयी। इसके लिए ग्राम शिक्षा समितियों को क्रियाशील बनाने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों के त्रिदिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ के दो वर्षों में कराने का लक्ष्य रखा गया तथा प्रथम वर्ष में 441

ग्राम शिक्षा समितियों में से 200 ग्राम शिक्षा समितियों को द्वितीय वर्ष 2001–2002 में 241 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 441 ग्राम शिक्षा समितियों तथा 134 वार्ड शिक्षा समितियों के द्विदिवसीय प्रशिक्षण की योजना बनाई गयी है।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण में निम्नलिखित प्रकार से सहयोग की अपेक्षा की गयी –

(क) नामांकन में सहयोग :–

6–14 आयु वर्ग के सभी बालक बालिका जिनमे अनूसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा विकलांग बच्चों के नामांकन पर विशेष ध्यान देते हुए शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें समुदाय के द्वारा परिवार सर्वेक्षण के उपरान्त प्राप्त आंकड़ों के आधार पर माइक्रोप्लानिंग तथा ग्राम शिक्ष योजना का निर्माण करते हुए निकटतम प्राथमिक विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/ में चिन्हित स्कूल न जाने वाले बालकों का शत–प्रतिशत प्रवेश दिलाने में सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के द्वारा वातावरण निर्माण में भी समुदाय का सहयोग लिया जा रहा है।

(ख) ठहराव :–

समुदाय के लोगों में से PTA/MTA/WMG का गठन करके स्कूल छोड़ने वाले बालक/बालिकाओं को पुनः विद्यालय वापस लाकर शत प्रतिशत ठहराव का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) गुणवत्ता :–

अध्यापकों को प्रेरित करने का कार्य भी समुदाय के लोग कर सकते है। जहाँ भूमिका होती है। इसी प्रकार से स्वयंसेवी लोगों के द्वारा भी शिक्षकों की कमी को समुदाय पूरा कर सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालयों की स्थिति को अच्छी बनाने, बागवानी, साजसज्जा, रखरखाव, निर्माण कार्य, सुदृढ़ीकरण, सुन्दरीकरण में भी समय–समय पर समुदाय का सहयोग लिया जा सकता है। राष्ट्रीय पर्वों, वार्षिकोत्सव खेलकूद प्रतियोगिताओं में समुदाय के लोगों को आमंत्रित कर विद्यालयों के प्रति स्वयंसेवी संगठनों का वातावरण निर्माण, शिशु शिक्षा केन्द्र संचालन, विद्याा केन्द्र/शिक्षा केन्द्र संचालन, प्रशिक्षण व्यवस्था, विकलांग बच्चों की सुविधा हेतु निःशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने आदि में सहयोग प्राप्त किये जाने का भी सर्व शिक्षा अभियान में लक्ष्य रखा गया हैं।

साथ ही यह भी ज्ञातव्य है कि सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य समुदाय की सहभागिता के बिना प्राप्त करना संभव है।

विशेष वर्ग की शिक्षा (समेकित शिक्षा) :–

भारत की लगभग 5–10 प्रतिशत जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य शिक्षा का सार्वजनीकरण है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उन सभी जो कि 5–10 प्रतिशत बच्चों को जो किसी न किसी अक्षमताओं से ग्रस्त है, विद्यालय में लाया जाना है। शिक्षा के सार्वजनीकरण

के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नही किया जा सकता है, जब तक विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नही लाया जाता । बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहाँ व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है, विभिन्न अक्षमताओं में सब से अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की है पूर्ण रूप से दृष्टिहीन बच्चों की संख्या कम है। इन बच्चों मे से अधिकांश बच्चे के (अक्षम बच्चे) लिये कोई विशेष शिक्षण विधि की आवश्यकता नही होती और थोड़े से विशेष प्रयास के साथ इन अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा सकता है।

पहले अभिभावक अक्षम/विकलांग बच्चों को बिन बुलाई आपदा अथवा अभिशाप समझते थे किन्तु समाज में समेकित शिक्षा के इस प्रयास से आज सोच एवं व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। आज विकलांग व्यक्तियों ने अधिकांश क्षेत्रों में सफलता पाई है। और दूसरों को सहारा देना शुरू भी कर दिया है। अक्षम बच्चे मानसिक रूप से अधिक जागरूत व क्रियाशील होते है।

समेकित शिक्षा के विभिन्न प्रकार के माइल्ड एवं माडरेट (कम और मध्यम) श्रेणी विकलांग बच्चों को जो विद्यालय से बाहर है प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा में सामान्य बच्चों के साथ लाया जाना ताकि उनका मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तरह हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि विकलांगता को लेकर सम्बोधन में व्यवहार में चाल में कक्षा मे मैदान में, एवं घर में कोई लज्जाजनक स्थिति उत्पन्न न हो।

ऐसे बच्चे जो अपनी शारीरिक अक्षमताओ के कारण शिक्षा से वंचित है स्कूल की दुनिया से बाहर है, उनमें निहित क्षमता का विकास कर उनमें आत्म विश्वास जगाने और आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, अतः ये समेकित शिक्षा के अन्तर्गत ही ये प्रयास संभव है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जानी है। मुख्यतः समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है।

विकलांग/अक्षमता के प्रकार :–

सामान्य रूप से अध्यापकों को अध्यापन के समय जिन विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्र/छात्राओं को शिक्षा देने का कार्य करना पड़ता है। वें निम्न प्रकार के है मुख्य रूप से विकलांगता पांच प्रकार की होती है:–

1. दृष्टि विकलांगता
2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता
3. अस्थि विकार विकलांगता
4. मानसिक मन्दता
5. अधिगम अक्षमता

विकलांगता/अक्षमता के कारण :–

बच्चों में कुछ विकलांगतायें/अक्षमताये जन्म से होती है। तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है।

(1) अधिगत समस्याओं से सम्बन्धी कारण :– निम्नवत् है।

1. बौद्धिक क्रियाकलापों का निम्नस्तर तथा विकास की मन्दगति।
2. दृष्टि विषयक समस्या (देखने में कठिनाई)
3. श्रवण तथा वाक समस्या (सुनने तथा बोलने में कठिनाई)
4. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना अंगों की विकृति मांस पेशियों के तालमेल मे समस्या होने से क्रियाकलापों में कठिनाई।
5. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान स्मृति विषयक समस्यायें।

(2) घर परिवार सम्बन्धी कारण :– निम्नवत् है।

1. माता पिता स्नेह मे कमी।
2. बच्चों की हीन भावना से देखना।
3. सीखने के समान अवसर न मिलना।
4. शिशु स्तर पर लालन–पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना।

5. सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

(3) विद्यालीय वातावरण से सम्बन्धित कारण :– निम्नवत् है।

1. शिक्षक का बच्चे से लगाव न होना।
2. सीखने की गति धीमी होने पर बच्चे के प्रति गलत धारण बना लेना।
3. कक्षा में अनुकूल सामाजिक वातावरण का न होना।
4. सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चे के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।
5. उत्तरदायित्व निर्वहन तथा सुविधाओं की भागीदारी जैसे भावनाओं के प्रति उदासीनता का होना।
6. बच्चों को विशिष्ट आवश्यकताओं तथा भौतिक सुविधाओं के सामंजस्य का अभाव होना।

सामान्य विद्यालयों के अध्यापकों में इन बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी विशेष प्रकार की जरूरतों को समझने की आवश्यकता जिससे उनकी आवश्यकता के अनुरूप अनुकूल शिक्षा को नियोजित सके इसका उत्तरदायित्व सबसे अधिक कक्षा में अध्यापकों पर आता है क्योंकि उनका इन बच्चों से सीधा संपर्क होता है, तथा उनको बच्चों के ध्यान से देखने का अवसर मिलता है इसीलिये प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को 5 दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अक्षमता के परिणाम :–

(1) बच्चों में

(2) परिवारों में

(3) समाज में

1. आत्मनिर्भरता मे कमी।
2. चलने में पेरशानी।
3. समाज मे उपेक्षित ।

परिवार में :–

1. अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।
2. आर्थिक बोझ अधिक

समाज में :–

1. ध्यान देने की आवश्यकता।
2. उत्पादन में कमी।
3. समाज में एकीकरण मे कमी।

अक्षम बच्चों में अनेक भ्रान्तियां है, बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकि की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों के लिये विशेष तकनीकि की आवश्यकता नहीं होती है केवल अध्यापकाके को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है विशेष प्रकार की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुका है।

1. संवेदीकरण :–

अक्षम बच्चों के लिए निम्नलिखित का संवेदीकरण आवश्यक होता है।

1. समुदाय का संवेदीकरण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाना।
2. परिवार एवं भाई बहनों का संवेदीकरण तथा मार्ग निर्देशन (मार्ग दर्शन)
3. अध्यापकों का संवेदीकरण।

संवेदीकरण का सबसे पहला बिन्दू दृष्टिकोण परिवर्तन का है अक्षम बच्चों के लिये सहानुभूति तो सभी दिखा देते है इन्हें सहानुभूति की नही, सहायता की आवश्यकता होती है, उनमें निहित इनकी अक्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

2. उपकरण एवं उपस्कर :–

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये बच्चों का डाक्टर की टीम जिसमें एक आर्थपैडिक, एक ई0एन0टी0 डाक्टर एवं आई स्पेशिलिस्ट हो के द्वारा मेडिकल असिस्मेन्ट कराया जाता है फिर आवश्यकतनुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से करायी जाती है इसलिये निम्न संस्थाओं से संपर्क किया जाता है:–

1. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान 116 राजपुर रोड देहरादून।

2. अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण संस्थान बान्द्रा– बम्बई।

3. एलिम्कों जी0टी0 रोड, कानपुर 206016।

4. अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेन्टर, कर्करडूमा विकास मार्ग, दिल्ली।

5. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेन्ट सेन्टर।

6. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मनोविकास नगर सिकन्दराबाद।

7. नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइण्ड एजूकेशन डिपार्टमेन्ट कालेज, ग्रीन एल0पी0 बाला काम्पलेक्स बम्बई।

8. मंगलम् ए 445 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

9. यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13, लूकरगंज, इलाहाबाद।

10. ज़िला विकलांग पुर्नवास केन्द्र, इलाहाबाद।

3. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :–

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का केन्द्र बिन्दु विशेष रूप से लिया गया है। जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधापर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिये प्राथमिक अध्यापकों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित कराने के लिए प्रति विकास खण्ड 3 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया गया है और

इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिबरामऊ में तथा प्रत्येक विकास खण्ड में एक एक फाउण्डेशन कोर्स का प्रशिक्षण इलाहाबाद विकलांग केन्द्र से कराया गया।

4. शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास :–

शिक्षकों द्वारा हस्तपुस्तिका का विकास किया गया तथा पांच विकलांगताओं दृष्टि, श्रवण, अधिगम, अस्थि तथा मानसिक विकलांगता पर फोल्डसे तैयार किये गये है। जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए आप क्या कर सकते है। फोल्डर्स तैयार किये गये है। विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिये कक्षा–3 की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तकों में दोस्ती नामक पाठ सम्मिलित किया गया है ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल में विकलांगता के विषय को भी शामिल किया गया है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश होता है :–

1. विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।
2. विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।
3. इन बच्चों के सभी समूहों के लिये शिक्षण रणनीति को विकसित करना।
4. कक्षा कक्ष प्रबन्धन और मूल्यांकन।

5. इन बच्चों के अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्ग दर्शन देना।

6. विकलांग बच्चों का आवश्यकतओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी :–

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकि सहायता देने हेतु ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जाती है। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये कार्य कर रही हो और निम्न पात्रातायें रखती हो।

1. संस्था/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हों।

2. संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञों की उपलब्धता हो।

3. विकलांगता के क्षेत्र मे कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

4. संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

समेकित शिक्षा की आवश्यकता तथा इसके उद्देश्य :–

समेकित शिक्षा कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को बहुत ही जरूरी है। समेकित शिक्षा को मुख्य धारा में लाकर इन बच्चों मे आत्म विश्वास एवं आत्म सम्मान की भावना का विकास करना है।

1. कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना।

2. 6–11 वय वर्ग बच्चों को सामान्य बच्चों की ही तरह सामान्य अवसर प्रदान करना।

3. स्कूल में ऐसा वातावरण बनाना जिससे कि इन बच्चों मे आत्म विश्वास एवं समाजीकरण की भावना का विकास हो।

4. समुदाय एवं अभिभावकों का संवेदीकरण/निर्देशन एवं उनका सहयोग प्राप्त करना।

5. कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।

6. जनसमुदाय को जागृत करना।

7. स्थानीय विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा एवं स्वावलम्बन हेतु सामूहिक उत्तरदायित्व हेतु बोध का प्रयास करना।

8. प्रत्येक विकलांग बच्चे को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का सुनिश्चितीकरण करना।

9. मास्टर ट्रेनर की पहचान एवं उन्हें प्रशिक्षण दिलाना।

10. प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कराना।

11. प्रत्येक विद्यालय मे विकलांग बच्चों का आई0ई0पी0 (इन्डिविजुऐलाइज्ड एजूकेशनल प्लान) तैयार कराना।

12. रिसोर्स टीचर/मास्टर ट्रेनर द्वारा नियमित विद्यालयों का भ्रमण एवं आवश्यक शैक्षिक सपोर्ट दिलाना।

13. समाज द्वारा अन्य सामान्य लोगों की भांति इन अक्षमताग्रस्त बच्चों को स्वीकृति दिलाना और उन्हें शिक्षा व रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना।

14. स्वास्थ्य सामाजिक सम्बन्ध विकसित कराना जिससे सामान्य बच्चों का अक्षमताग्रस्त बच्चों के प्रति भेदभाव मूलक दृष्टिकोण को बदलकर अनुकूल तथा सकारात्मक बनाया जा सके।

15. जीवन के रहन–सहन के स्तर कौ उन्नत करने के लिये इन बच्चों के नागरिक अधिकारों के उपभोग हेतु आवश्यक सामार्थ्य का विषय/विकास सुनिश्चित करना।

16. उन्हे स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना।

विशेष शैक्षिक प्राविधान :–

विकलांग व अक्षमताग्रस्त बच्चों को कई प्रकार के शैक्षिक प्राविधान उपलब्ध कराये गये हैं जिनमे से कुछ इस प्रकार है।

1. समेकित शिक्ष विन्यास (क्षतिपूरक सहायक उपकरण)

2. समेकित शिक्षा की व्यवस्था (पाठ्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन)

बच्चों की विशेष आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु को सामान्य अध्यापक विशेष अध्यापक के परामर्श से तैयार कर सकते है।

3. समेकित शिक्षा भवन (विशेष प्रकार के विद्यालय)

आधारभूत अकादमी कौशलों के विकास के बाद इनमे से अधिकतर बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जा सकता हैं।

एकीकृत शिक्षा को सहज बनाने वाले कारक :–

1. सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की पहचान एकदम प्रारंभ मे करना उपयुक्त है।

2. इन बच्चों को निरंतर उपचारात्मक सेवाये उपलब्ध कराना साथ ही उपकरणों के उपयोग सुझाना।

3. बच्चों में रचनात्मक विश्वास जागृत करना तथा उन्हे जीवन में आगे बढ़ने के लिये मानसिक रूप से तैयार करना।

4. संसाधन (विशेष) अध्यापक की सहायता से अतिरिक्त सामग्री तैयार करना।

5. समेकित शिक्षा मे पढ़ने वाले बच्चों के लिये पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु में परिवर्तन कर पहले से ही शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना।

6. विद्यालय की प्रत्येक प्रकार की गतिविध में प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित करना जिससे बौद्धिक विकास के लिए सबको समान अवसर मिल सके।

इस शिक्षा को सफल प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारका विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक सम्बन्धी परिवर्तन या सुधार की अन्तर्दृष्टि भी अपेक्षित है। जिससे कि इन बच्चों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हो सके जिससे कि इन्हे भी समाज का अंग माना जाये।

जनपद कन्नौज में समेकित शिक्षा में किये गये कार्य :–

जनपद कन्नौज में प्राथमिक/जूनियर में लगभग 3000 विकलांग बच्चों में सबसे अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की पूर्ण रूप से दृष्टिहीन बच्चों की संख्यो सबसे कम है। इन बच्चों मे अधिकांश बच्चे ऐसे अक्षम है। जिसके लिये कोई विशेष शिक्षण विधि की आवश्यकता नही होती और थोड़े से विशेष प्रयास के साथ इन बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्या धारा में लायो जा रहा है। अब तक 1889 बच्चों को मुख्या धारा में लाया जा चुका है।

जनपद कन्नौज में समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चार चयनित विकास खण्डों छिबरामऊ, सौरिख, जलालाबाद एवं तालग्राम में चलाया जा रहा है। जिसमें कि निम्नलिखित कार्यक्रम कराये गये है।

(1) मेडिकल एसेज्मेन्ट कैंप :–

चार विकास खण्डों मे 6 से 14 आयु वर्ग के विकलांग बच्चों का मेडिकल असेज्मेन्ट कराया गया हो। तथा विकलांगता प्रमाण पत्र भी मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा वितरित किये गये है यह शिविर न्याय पंचायत स्तर में लगाये जाते है और मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देशानुसार डाक्टर की टीम जिसमें अस्थि विशेषज्ञ, नाक कान गला विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ तथा सी0एम0ओ0/डिप्टी सी0एम0ओ0 जाते है, परीक्षण उपरान्त आवश्यक उपकरण क्या दिये जाये। उसकी सूची बनाकर दी जाती है कि किस बच्चे को क्या सहायक उपकरण दिया जाना चाहिए साथ ही उपयुक्त बच्चे को विकलांगता प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत कुल 19 एसेसमेन्ट कैम्प आयोजित किये जा चुके है।

(1) विकास खण्ड छिबरामऊ में मेडिकल असेस्मिेण्ट किये जाने वाले बच्चों की संख्या निम्नवत् हैः–

सारणी 8.11

प्रा0 विद्यालयो मे पढ़ने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (विकलांग) की सूचना

जनपद : कन्नौज वर्ष 2003–04

विकलांगता के प्रकार	कक्षा 1		कक्षा 2		वक्षा 3		कक्षा 4		कक्षा 5		कुल		
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
शारीरिक विकलांग	143	93	153	86	142	74	138	72	125	65	701	391	1092
मानसिक विकलांग	21	15	19	15	20	14	21	15	21	14	102	73	175
दृष्टि विकलांग	15	11	13	9	10	10	13	6	10	9	61	45	106
श्रवण दृष्टि विकलांग	11	10	14	7	6	7	8	4	6	7	45	35	86
अधिगम अक्षमता /अन्य	01	2	5	2	9	7	13	11	11	5	39	27	66
कुल	191	132	204	119	187	112	193	108	173	100	948	571	1519
ड्राप आउट	–	–	20	09	15	8	16	15	22	15	73	47	120

सारणी 8.12

पू0 मा0 विद्यालयों में पढ़ने वाले विशिष्ठ आवश्यकता वाले (विकलांग) बच्चों की सूचना

जनपद : कन्नौज वर्ष 2003–04

विकलांगता के प्रकार	कक्षा 6		कक्षा 7		कक्षा 8		कुल		
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बलक	बालिका	योग
शारीरिक विकलांग	81	59	65	38	45	121	121	125	316
मानसिक विकलांग	10	6	4	1	–	14	14	8	22
दृष्टि विकलांग	2	5	1	–	–	3	3	5	8
श्रवण दृष्टि विकलांग	8	4	–	3	1	9	9	6	14
अधिगम अक्षमता /अन्य	5	2	1	1	–	6	6	4	10
कुल	106	76	67	43	46	223	223	156	370
ड्राप आउट	24	17	3	2	2	29	29	21	50

दृष्टि		श्रवण		अस्थि		मनसिक		कुलयोग		
बालक	बालिका	बलक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
11	8	10	12	105	81	10	8	136	109	245

विकास खण्ड सौरिब में मेडिकल असेस्मेन्ट किये गये बच्चों की संख्या निम्नवत् है।

दृष्टि		श्रवण		अस्थि		मनसिक		कुलयोग		
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
12	8	14	12	127	81	10	7	163	108	271

विकास खण्ड छिबरामऊ एवं सौरिख में वितरित किये जाने वाले उपकरण/उपस्कर वितरण भारत सरकार की एडिप स्कीम के अन्तर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर द्वारा

क्र0सं0	उपलब्ध कराये गये उपकरण	सौरिख	छिबरामऊ	योग
1	ट्राइसाइकिल	18	15	33
2	व्हील चेयर	11	12	23
3	नेत्रहीन छड़ी	2	0	02
4	श्रवण यन्त्र	10	6	16
5	ब्रेल स्लेट	0	0	0
6	कैलीपर	44	28	72
7	वैसाखी (क्रैचेज)	19	11	30
	योग	104	72	176

(1) विकास खण्ड तालग्राम में मेडिकल असेस्मिेण्ट किये जाने वाले बच्चों की संख्या निम्नवत् हैः–

दृष्टि		श्रवण		अस्थि		मानसिक		कुलयोग		
बालक	बलिका	बलक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
14	8	13	9	187	120	9	7	223	144	367

विकास खण्ड जलालाबाद में मेडिकल असेस्मेन्ट किये गये बच्चों की संख्या निम्नवत् है।

दृष्टि		श्रवण		अस्थि		मानसिक		कुलयोग		
बालक	बलिका	बालक	बालिका	बलक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
9	5	7	4	112	64	5	3	133	76	209

विकास खण्ड तालग्राम एवं जलालाबाद में वितरित किये जाने वाले उपकरण/उपस्कर वितरण भारत सरकार की एडिप स्कीम के अन्तर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर द्वारा

क्र0सं0	उपलब्ध कराये गये उपकरण	सौरिख	छिबरामऊ	योग
1	ट्राइसाइकिल	11	9	20
2	व्हील चेयर	12	7	19
3	नेत्रहीन छड़ी	1	0	1
4	श्रवण यन्त्र	5	2	7
5	ब्रेल स्लेट	0	0	0
6	कैलीपर	30	18	48
7	वैसाखी (क्रैचेज)	37	28	65
	योग	96	64	160

चार विकास खण्डो में कुल 336 बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराये गये है।

(2) वातावरण सृजन कार्यशाला :–

चार विकास खंण्डों में एक दिवसीय ब्लाक स्तर पर वातावरण सृजन जनजागरण कार्यशाला की गई जिसमे अभिभावक (अक्षम बच्चों के) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य तथा अध्यापकों बी0आर0सी0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 ने प्रतिभाग किया इसमे अभिभावक का मार्गदर्शन किया गया तथा समाज शिक्षक समुदाय, घर परिवार तथा इन बच्चों के साथ अधिक से अधिक किस प्रकार से सहायक हो सकते है, आदि पर विशेष चर्चा की गई कार्यशाला की अवधि 10 बजे प्रातः से 5 बजे तक थी। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत कुल 6 गोष्ठियां आयोजित की जा चुकी है।

(3) प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण :–

चार विकास खण्डों में समस्त प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कराया गया है। जिसमें तालग्राम के 293 तथा जलालाबाद 198 छिबरामऊ 437 सौरिख के 267 शिक्षकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(4) मास्टर ट्रेनर फाउण्डेशन कोर्स :–

जनपद कन्नौज के चार विकास खण्ड के 11 मास्टर ट्रेनर व 4 फाउण्डेशन कोर्स प्राप्त प्रशिक्षकों की टीम तैयार की जा चुकी है।

(5) स्वास्थ्य प्रशिक्षण :–

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनपद में सभी प्राथमिक विद्यालयों के समस्त बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण आरंभ किया गया है। इस वर्ष कार्ड के स्थान पर रजिस्टर में कालम बनाकर प्रविष्टियों भरी जा रही है। वर्ष 2001–02 में 76 प्रतिशत तथा 2002–2003 में 79.3 प्रतिशत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है।

(6) अभिभावक गोष्ठियाँ :–

चारो विकास खण्डों के गाँव में जाकर विकलांग बच्चों के अभिभावकों की गोष्ठियों आयोजित की जाती है। समेकित शिक्षा की जानकारी दी जाती है। जन समुदाय व अभिभावकों को को मार्गदर्शन के बिन्दु पर चर्चा की जाती है। जनजागरण हेतु जन समुदाय को ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा भी प्रेरित किया जाता है। चारों विकास खण्डों में 10 गोष्ठियों का आयोजन किया जा चुका है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समाज के सामान्य एवं अक्षमताग्रस्त बच्चों को सभी के लिये शिक्षा अनिवार्य की जा रही है। इसलिए अक्षमताग्रस्त बच्चों को भी समेकित शिक्षा की मुख्याधारा में लाना अति आवश्यक है सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा में अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिये कुछ विशेष कार्ययोजना को

बढ़ावा दिया जा सकता है, जो कि डी0पी0ई0पी0 के अल्प समय में पूर्ण नही किया जा रहा है। समेकित शिक्षा के बिना अक्षमता ग्रस्त बच्चें समाज में अपने आप को समायोजित नही कर सकते इसलिए सरकार व स्वयंसेवी संस्थायें इन अक्षमताग्रस्त **बच्चों** के सर्वागीण विकास हेतु समेकित शिक्षा की नई विचारधारा को लागू कर रहे है और इसके परिणम समाज में दिन प्रतिदिन अच्छे रहे हैं क्योंकि जिस राष्ट्र के बच्चे पूर्ण शिक्षित नही होते है समुदाय जागृत नही होता है वहाँ राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो जाती है। यह बच्चे जो कि अभी काफी संख्या में विद्यालय से बाहर है, शिक्षा से वंचित है उनमें निहित क्षमता का विकास कर उनके अभिभावकों का रूढ़िवादिता का अन्त कर जन समुदाय को जागृत कर **बच्चों** में आत्म विश्वास जगाने और उन्हें आत्म निर्भर बनाने में समेकित शिक्षा के द्वारा ही पहल की जा सकती है। क्योंकि वे सुविधा सम्पन्न नही है और उनकी परिस्थितियाँ भी आसान नहीं है इसलिए समेकित शिक्षा के द्वारा समाज के अक्षमताग्रस्त बच्चों को अधिक से अधिक विद्यालय में समायोजित कर उन्हे विकास के पथ पर आगे ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

सवशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा की प्रस्तावित कार्य योजना निम्नवत् है।

1. जनपद के सभी अक्षमताग्रस्त बच्चों का मेडिकल असेस्मेंट ।

2. असेज्मेन्ट उपरान्त सहायक उपकरण/उपस्कर वितरण शिविर का आयोजन।

3. मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग प्रति ब्लाक 4 प्रतिभागी।

4. फाउण्डेशन कोर्स प्रति ब्लाक 2 प्रतिभागी।

5. प्राथमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण।

6. साहित्य वितरण पूरे जनपद में ।

7. समेकित शिक्षा में एन0जी0ओं0 का पूर्ण सहयोग।

8. प्रत्येक ब्लाक में समेकित शिक्षा पर तीन दिवसीय विशेष शिविर।

9. पूरे जनपद में विकलांग बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग।

10. वातावरण सृजन कार्यशाला, ब्लाक स्तर/न्याय पंचायत स्तर।

11. अभिभावक गोष्ठी न्याय पंचायत स्तर पर।

12. खेलकूद प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता जनपद/ब्लाक/न्याय पंचायत स्तर पर।

13. जनजागरण रैली न्याय पंचायत स्तर पर।

14. अभिभावक शिक्षक बाल विकलांग मेला न्याय पंचायत स्तर पर।

15. समस्त विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शारीरिक असुविधा को ध्यान में रखते हुए रैम्प विशेष कुर्सी नीचे श्यामपट, नीचे स्विच बोर्ड इत्यादि।

16. जनपद के सभी प्राथमिक/जूनियर के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रजिस्टर बनवाये जाने चाहिए।

17. विद्यालय में विकलांग बच्चों के ठहराव हेतु विकलांग छात्रवृत्ति उपकरण/उपस्कर वितरण व समय–समय पर पाँच दिवसीय शिविरों का आयोजन।

18. विकलांग दिवस का समारोह प्रतिवर्ष न्याय पंचायत स्तर पर आयोजन।

19. जिला स्तर पर पुनर्वास केन्द्र की स्थापना।

20. ग्राम शिक्षा समिति का तीन दिवसीय समेकित शिखा का प्रशिक्षण।

अक्षमताग्रस्त बच्चों का सर्वागीण विकास हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा में उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार सभी अक्षमताग्रस्त बच्चों को शिक्षित किया जायेगा तथा जन समुदाय को भी जागृत किया जा सकेगा, इससे उनका पूर्ण विकास तो होगा ही साथ ही वे समाज में पूर्ण विश्वास व आत्मसम्मान के साथ आत्म निर्भर बन सकेंगे यह तभी संभव है जबकि सर्वशिक्ष अभियान में समेकित शिक्षा में इन सभी कार्यक्रमों को अवसर प्रदान किया जायेगा।

अध्याय-9

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु कार्य योजना

जनपद स्तर पर डायट का महत्वपूर्ण स्थान है। डायट के नेतृत्व में 6-14 वर्ष के बालक-बालिकाओं की सफलता पूर्वक शिक्षा प्रदायन की संकल्पना की गयी है। डायट के माध्यम से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा रही है। डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत डायट के निर्देशन में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुये जिसका परिणाम पूर्व में अभिभावक अपने बालकों को विद्यालय में भेजने की इच्छा रखते थे उनके खान-पान, पहनावा एवं शिक्षा पर ही ध्यान देते थे। उन लोगों का ध्यान बालिकाओं की शिक्षा पर नहीं था। अथवा बहुत कम था। बालकों की तुलना में बालिकाओं के लिए सुविधाएं कम दी जाती थी। उनको घर-गृहस्थी में रहने की प्रेरणा दी जाती थी। परन्तु आज परिस्थितियां बदली हुई साफ-साफ दिखाई दे रही है। आज प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों के साथ-साथ बालिकाओं को भी सामान्य शिक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है। आज विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या बालकों से कम नही है। इस प्रकार हर वर्ग के बालक-बालिकाएं विद्यालय में प्रवेश ले रहे है, साथ ही साथ जहां केवल पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था। वहां अब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। आज बालक क्रियाशील है। वह हर क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास कर रहे है। इस प्रकार वह विद्यालय में आने में रूचि. ले रहे है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि ज्ञान क्षेत्र में भी पीछे नही है। इस प्रकार नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे है। यह सब जनपद स्तर पर डायट के

निर्देशन में सभी शिक्षा अभिकर्मियों के सहयोग का प्रतिफल है। डायट से लेकर एन0पी0आर0सी0 स्तर तक सभी योजना को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे है तथा शासन की नीति को समाज के सभी दबे-कुचले लोगों तक ले जाने में प्रयासरत है। डायट के बहु आयामी कार्यक्रम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को निरन्तर प्रगति की ओ ले जा रहे है।

डी0पी0ई0पी0 (III) के अन्तर्गत अद्यावधि तक गुणवत्ता संवर्धन हेतु डायट द्वारा सम्पादित क्रियाकलाप:-

डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत डायट स्तर पर निम्नलिखित प्रशिक्षण सम्पन्न किये गये है-

वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सेवारत शिक्षक शिक्षा विभाग द्वारा डायट छिबरामऊ में सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों की सूची-

प्रशिक्षण/कार्यवली/शैक्षिक सर्पोट मूल्यांकन/अनु	दिनांक/अवधि	प्रतिभागी संख्या	उद्देश्य/आवश्यकता
सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का अवलोकन बी0आर0सी0 /एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों हेतु	(2001-02) 13.4.01 से 22.4.01 (10 दिवसीय) 23.4.01 से 2.5.01 (10 दिवसीय)	25 38	डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवारत प्रशिक्षण के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु
बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का आधारभूत प्रशिक्षण	21.5.01 से 28.5.01 (07 दिवसीय)	24	बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 को उनके उत्तरदायित्वों/ अधिकारों को अवगत कराने के उद्देश्य
उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का गणित विषयों का एस0ओ0पी0टी0 प्रशिक्षण	2001-2002 (10 दिवसीय) 10 फेरे	315	जू0हा0 स्कूल विज्ञान की नई तकनीक को व आयामों को जू0 हा0 स्कूल की शिक्षा में समादेश करने हेतु

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का गणित विषयों का एस0ओ0पी0टी0 प्रशिक्षण	2001-2002 (10 दिवसीय) 10 फेरे	315	गणित विषय का पर्याप्त ज्ञान देने हेतु
बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 का आधारभूत प्रशिक्षण (जनपद - कन्नौज फर्रूखाबाद)	2002-2003 (07 दिवसीय) 07 फेरे	209	उत्तरदायित्व एवं अधिकारों को संज्ञान में लाने हेतु
विकलांग कार्यशाला (जनपद-कन्नौज एवं फर्रूखाबाद)	2001-2002 (04 दिवसीय) 05 फेरे	170	विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण सृजन करने हेतु
ई0सी0सी0ई0 प्रशिक्षण (जनपद- कन्नौज एवं फर्रूखाबाद)	2001-2002 (07 दिवसीय) 06 फेरे	240	ई0सी0सी0ई0 कार्यकृत्रियों को शिशु शिक्षा के नये आयामों अवसरों से अवगत कराने हेतु
शैक्षिक सपोर्ट कार्यशाला (जनपद- कन्नौज एवं फर्रूखाबाद) के बी0आर0सी0 /एन0पी0आर0सी0	2001-2002 (04 दिवसीय) 05 फेरे	210	शिक्षण कार्यो शैक्षिक गतिविधियों में गुणवत्ता संवर्धन हेतु
बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 का वैकल्पिक शिक्षा का प्रशिक्षण (जनपद-कन्नौज एवं फर्रूखाबाद)	2001-2002 (02 दिवसीय) 04 फेरे	140	विद्या केन्द्रों में संचालित शैक्षिक गतिविधियों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के उद्देश्य
समेकित शिक्षा के मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण (जनपद-कन्नौज, फर्रूखाबाद कानपुर देहात, उन्नाव, एंटा, मैनपुरी व रायबरेली)	2001-2002 (10 दिवसीय) 02 फेरे	56	समाज के अक्षम समूह को सक्षम बनाते हुए उन्हें शैक्षिक योग्यता प्रदान करने एवं उन्हें शैक्षिक सहयोग एवं मनोबल प्रदान कर उने कार्यो को जोड़ने के उद्देश्य
मृतक आश्रित - सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण (जनपद- कन्नौज, फर्रूखाबाद)	2001-2002 (10 दिवसीय) 02 फेरे	25	मृत आश्रित शिक्षकों को शिक्षण कार्य में दक्ष बनाना

शिक्षक - संदर्शिकाओं पर आधारित प्रशिक्षण (जनपद- कन्नौज एवं फर्रूखाबाद एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयकों/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी)	2001-2002 (06 दिवसीय) 02 फेरे	56	शिक्षण कार्य में दक्ष बनाने तथा कक्षा शिक्षक के प्रभावी बनाने के लिए
जू0 हा0 के अध्यापकों का विज्ञान विषय का एवं ओ0पी0टी0 प्रशिक्षण	2002-2003 (10 दिवसीय) 06 फेरे	160	विज्ञान विषय की बेसिक जानकारी के कौशल प्राप्त करने हेतु
शिक्षा मित्रों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण, आचार्य अनुदेशकों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण	30 दिन	170	शिक्षा/अनुदेशक आचार्यो को प्राथमिक पाठ्यक्रम
शिक्षा अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला	2001-2002 02 फेरे	65	प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करने की क्षमता विकसित करना तथा उनके उपयोग की जानकारी देना
जू0 हा0 स्कूल के अध्यापकों का अंग्रेजी विषय का एस0ओ0पी0टी0 प्रशिक्षण (जनपद- कन्नौज/फर्रूखाबाद)	2001-2002 (06 दिवसीय)	515	अंग्रेजी भाषा की पर्याप्त जानकारी देने हेतु
एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 समन्वयकों को दो दिवसीय प्राथमिक शिक्षा के संचालन करते समय व्यय आदि को करने के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों की जानकारी	2001-2003 (02 दिवसीय) 05 फेरे	210	वित्तीय प्रबन्धन को बल देने तथा वित्तीय अनियमितताओं को रोके जाने के उद्देश्य

अरबी/फारसी/मदरसा में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण (जनपद- कन्नौज/फर्रूखाबाद)	2002-2003 01 फेरा	30	नई शिक्षा - विधाओं से अवगत कराना।
क्रियात्मक शोध का प्रशिक्षण डायट के सभी स्टाफ एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों को जनपद- कन्नौज, फर्रूखाबाद	2002-2003 (10 दिवसीय) 02 फेरे	70	क्रियात्मक शोध की विधा में दक्ष करने हेतु

इन प्रशिक्षणों द्वारा अध्यापकों की गुणवत्ता में वृद्धि की गयी। इनकी सोच में परिवर्तन भी आया। यह अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण से ज्ञात हुआ है। प्रशिक्षण से परिणाम उत्साहबर्धक प्राप्त हुये है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये सर्व प्रथम शिक्षक प्रशिक्षकों का चयन किया गया जिन्हें जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान छिबरामऊ, कन्नौज में प्रशिक्षित किया गया। जनपद कन्नौज 7 विकास खण्डों तथा 81 न्याय पंचायतों से आच्छादित है विकास खण्ड स्तर पर स्थापित ब्लाक संसाधन केन्द्रों के लिये समन्वयकों तथा सह समन्वयकों तथा न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के लिये न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयको का चयन किया गया जो उनके कार्यो, उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित था। इसके साथ ही बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों/सह समन्वयकों को डायट में ही अकादमिक सपोर्ट एवं सुपर विजन का भी प्रशिक्षण दिया गया। समन्वयकों द्वारा विद्यालयो का नियमित भ्रमण कर आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण बी0आर0सी0एन0पी0आर0सी0 एवं विद्यालय का उनके भौतिक, अकादमिक पक्षों के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन लखनऊ में विकसित पैरामीटर के आधार पर श्रेणीकरण शिक्षकों की शैक्षिक

समस्याओं का न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में समाधान, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण, मेलों का आयोजन आदि उपगमों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता संवर्धन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं तथा शिक्षकों को अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, परन्तु कतिपय अन्य क्षेत्रों के लिये अकादमिक नेतृत्व/पर्यवेक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है तथा:-

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक गुणवत्ता, सवंर्धन अकादमिक पर्यवेक्षण को भी परिधि में लाया जाना।

2. मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता, सवंर्धन, अकादमिक आवश्यकताओं की भी परिधि में लाया जाना।

3. अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा-1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक अकादामिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा बच्चों की शैक्षिक कठिनाईयों के निवारण शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाया जाना है।

4. उच्च प्राथमिक विद्यालयों {राजकीय, परिषदीय, अशासकीय} माध्यमिक विद्यालयों {अशासकीय/राजकीय} के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा -1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करा दी जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिबरामऊ, कन्नौज विभाग एवं सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना:-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित राजनीति के अधीन अक्टूबर 1987 में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ परन्तु जनपद कन्नौज में डायट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आवधारण के अनुसार तृतीय चरण में 1996 में की गयी यह संस्थान जनपद मुख्यालय से 45 किमी0 दूर जी0टी0 रोड, कानपुर से दिल्ली मार्ग पर स्थित है इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता संवर्धन करना शैक्षिक क्षेत्र में अभिकर्मियों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु क्रियात्मक शोध करना जनपद के शैक्षिक आँकड़ों का संकलन विश्लेषण एवं तदानुसार उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्थान में सात विभागों की स्थापना की गयी है।

1. जिला संसाधन इकाई विभाग
2. सेवा पूर्व विभाग।
3. सेवारत विभाग।
4. पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन विभाग।
5. कार्यानुभव विभाग।
6. शैक्षिक तकनीकी विभाग।
7. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग।

1. जिला संसाधन इकाई विभाग:

शिक्षा ही वर्तमान के निर्माण का अनुरूप साधन है सबको शिक्षा का समान अवसर सुलभ कराने के लिए समय-समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये जाते है। वे बालक जिनकी विद्यालय जाने की आयु समाप्त हो गई है। उनके शिक्षा की व्यवस्था

करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है इस कार्य के लिए उन लोगों का आह्वन किया जाता है जो शिक्षा के प्रति समर्पित है और लोगों को शिक्षा देने में रूचि रखते हो। इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्न है:-

1. अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।
3. पर्यवेक्षकों तथा प्रेरकों को प्रशिक्षण देना।
4. कार्यक्रम विकास के लिए सम्मेलन तथा गोष्ठियों का आयोजन करना।
5. कार्यक्रमों में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना तथा उनके निराकरण का उपाय खोजना।
6. कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक परीक्षण उपकरणों का निर्माण करना।
7. कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002-2007 तक जिला संसाधन इकाई विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करने का कार्यक्रम	स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना	स्वयं सेवकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन करना	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत, जिला संसाधन इकाई विभाग द्वारा वर्ष 2002 से 2003 तक ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करना है, वर्ष 2003 से 2004 स्वयं सेवको (अनुदेशकों) को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जायेगा एवं वर्ष 2004 से 2005 के मध्य स्वयं सेवकों की पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान करके उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य प्रस्तावित है, वर्ष 2005 से 2006 तक अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण प्रदान करके उनका अनुश्रवण एवं

मूल्यांकन किया जायेगा तथा वर्ष 2006-2007 तक स्वयं सेवकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण देकर उनका पयर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य प्रस्तावित है।

2. सेवापूर्व विभाग:

सेवा पूर्व विभाग संस्थान में अध्ययनरत बी0टी0सी0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा शिक्षा मित्रों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण की भी व्यवस्था यह विभाग करता है। बी0टी0सी0 एवं शिक्षा मित्र को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है। जिससे वे अध्यापक के रूप में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें प्रशिक्षण में सामुदायिक शिविरों का भी आयोजन किया जाता है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002-03 में शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है, वर्ष 2003-04 में शिक्षा मित्र एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण को प्रदान किया जायेगा तथा वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्यरत प्रस्तावित है।

3. सेवारत विभाग:

अध्यापक के लिए अध्यापन में होने वाली नवीनतम ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है एक अध्यापक के प्रभावशील, शिक्षक होने के लिए नियमित रूप से अपने

ज्ञान में वृद्धि तथा व्यवस्थिति दक्षता को बढ़ाना होगा जिस प्रकार देश की रक्षा सेना को सदैव नवीन युद्ध कौशल की जानकारी देकर अभ्यास कराया जाता है उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण में लगे हुए अध्यापक को सेवारत विभाग द्वारा नई-नई तकनीकी ज्ञान की जानकारी दी जाती है। यह विभाग सेवा में लगे हुए अध्यापकों को समय-समय पर संस्थान में आयोजित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में सम्मिलित करके उन्हें नई-नई चुनौतियों की जानकारी प्रदान की जाती है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
गणित एवं विज्ञान का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	गणित, विज्ञान भाषा एवं पर्यावरणीय अध्ययन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	गणित, विज्ञान भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत एवं पर्यावरणीय अध्ययन पर सेमीनार	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूति समस्याओं पर गोष्ठी	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूति समस्याओं पर गोष्ठी

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

4. कार्यानुभव विभाग:

सामाजिक और आर्थिक रूपान्तरण कर सबसे सशक्त साधन शिक्षा को माना गया है। इसलिए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भावी नागरिकों के निर्माण हेतु तद्नुरूप शिक्षा व्यवस्था अपनाई गयी है। संस्थान में कार्यानुभव विभाग द्वारा कार्य अनुभव के द्वारा शिक्षा को जीवनोपयोग बनाते हुए समाज में होने वाले कार्यो से जोड़ा जा सकता है। इस विभाग द्वारा सहायक सामग्री का निर्माण संस्थान परिसर में सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छता का कार्य आदि कराया जाता है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
छात्राध्यापकों को निर्मूल्य सहायक सामग्री का निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को डायट पर कार्य करने के लिए तैयार करना तथा क्षेत्र में जाकर अध्यापकों की मदद करना	सेवारत अध्यापकों का निर्मूल्य सहायक सामग्री का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण तथा छात्राध्यापक का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को ऑवले की खेत एवं फल संरक्षण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करके क्षेत्र में ले जाना

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग वर्ष 2002-2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य का सम्पन्न कराया जायेगा।

5. शैक्षिक तकनीकी विभाग:

इस वैज्ञानिक युग में छात्रों को वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराना, दैनिक जीवन में विभिन्न उपकरणों के उपयोग की जानकारी प्रदान करना व नवीन शैक्षिक उपकरणों का शिक्षण में उपयोग कैसे करें। छात्रों को आमंत्रित कराना आवश्यक हो गया है। अत: शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य/अल्प व्यय, अल्प समय तथा अल्प सुविधाओं द्वारा अधिकाधिक विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय व्यवहारिक ज्ञान देना है। संस्थान का शैक्षिक तकनीकी विभाग, विभिन्न शैक्षिक उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गुणवत्ता संवर्धन सम्बन्धी प्रशिक्षणों को सफल बनाया जा रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
शिक्षा मित्रों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरण का प्रशिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण	शिक्षा मित्र, छात्राध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों एवं सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्पदाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्पदाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002-07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

6. पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग:

पाठ्यक्रम शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्य निर्माण के समय छात्र की आयु, उसकी मानसिक योग्यता, परिवेशीय आवश्यकताएं, सुलभ साधन छात्रों का विषयक्रम उनका वर्ग आदि विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भाषा तथा शैली पर भी ध्यान रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। मूल्यांकन से यह ज्ञात किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण सही दिशा में किया गया है शिक्षक अपने प्रयास में कहाँ तक सफल है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के उपागम के अनुप्रयोग के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सहज में सम्भव बनायी जा सकती है। उपर्युक्त विचारों को दृष्टि में रखते हुए संस्थान का पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग इन क्षेत्र में निरन्तर प्रयत्नशील है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन सतत् रूप से होगा	प्राइमरी व उच्च प्राइमरी के पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का समावेश सुनिश्चित किया जायेगा	राष्ट्रीय मूल्यों जैसे धर्म निरपेक्षता, समानता, लोकतन्त्र लिंग भेद आदि का पाठ्यक्रम में समावेश किया जायेगा	अध्यापकों एवं छात्रों को नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जायेगा	सृजित पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन कार्यक्रम कराया जायेगा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002-07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

7. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग:

संस्थान का नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग संस्थागत नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियोजन, मानव संसाधन का विकास, सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का प्रबन्ध एवं ई0एम0आई0एस0 का विकास करना आदि कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
डायट स्तर पर जनपद की सभी संस्थागत शिक्षण इकाईयों का वृहद कार्य नियोजन किया जायेगा	डायट द्वारा निर्धारित कार्य नियोजन का शिक्षा अभिकर्मियो का प्रशिक्षण द्वारा जानकारी कराना एवं क्रियान्वयन कराना	ई0एम0आई0एस0 की कार्य प्रणाली को विधिवत् जानकारी कराने के बाद कार्य रूप देना जिससे वास्तविक जानकारी प्राप्त की जायेगी	अध्यापकों के शिक्षा कौशल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम	नियोजन एवं प्रबन्ध के लिए किये समस्त प्रयासों की जानकारी हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002-07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगे।

नोट- एस0 आई0 ई0 / एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 / एस0 आई0 ई0 एम0 टी0 / एस0 पी0 ओ0 द्वारा निर्दिष्ट/ निर्धारित कार्यक्रमों को सभी विभागों में समायोजित करेगे।

गुणवत्ता संवर्धन के क्षेत्र में समन्वयकों की भूमिका:

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। कुल बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 की स्थापना, स्थायी पदों के प्रति पदस्थापन किया गयां जिसके लिये प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों में से योग्य अध्यापकों को प्रत्येक संसाधन केन्द्र के लिये समन्वयक हेतु चयन किया गया है। जिनका कार्य एवं दायित्व निम्नवत् है।

ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका:

1. ब्लाक संसाधन केन्द्रों को विकास खण्ड स्तरीय संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षकों की अकादमिक कठिनाईयों के समाधान के लिये किया जाता है।
2. डायट के दिशा निर्देश में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रमों कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन एवं शाला चित्रण, वातावरणा सृजन आदि का आयेजन किया जाता है।
3. विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षणों का नियोजन आयोजन एवं प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण किया जाता है।

4. ब्लाक संसाधन केन्द्र पर मासिक बैठकों का आयोजन, विद्यालयों का भ्रमण कर कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें अकादमिक फीड बैक प्रदान किया जाता है।

5. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो, शिक्षु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया जाता है एवं एन0पी0आर0सी0 स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण किया जाता है।

6. ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन कार्य।

7. ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की वार्षिक योजना तैयार करना, तद्नुरूप बजट निर्माण, तथा वार्षिक कार्ययोजना का क्रियान्वयन।

8. एन0पी0आर0सी0 सम्बन्धी आवश्यकताओं को समझना और उनके लिये आवर्ती अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करना।

9. एन0पी0आर0सी0 के फीड बैक और इनपुट की आवश्यकता पर कार्यवाही करने के निमित्त जिला स्तर पर दायित्व सम्बन्धी स्पष्टता के लिये एक सक्रिय समूह गठित करना।

10. संकुल स्तरीय मासिक बैठकों की संरचना कार्यसूची अवधारणात्मक प्रलेख तैयार करना। जिसमें शैक्षिक क्षेत्र के मुद्दों का विशेष उल्लेख हो।

<u>न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका:</u>

न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयक संकुल स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्र बिन्दु है। ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, शिक्षकों के अनुभवों को परस्पर विनिमय करना, सूक्ष्म नियोजन तथा मानचित्रण करना। स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना आदि न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयकों का प्रमुख कार्य है इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा निम्नवत् कार्य किये जाते है।

1. संकुल स्तरीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मासिक बैठकों/कार्यशाला का आयोज करना।

2. स्कूल चलो अभियान बाल गणना तथा ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन कार्य।

3. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन विद्यालय शिक्षण योजना का विकास।

4. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण एवं अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना।

5. ब्लाक संसाधन केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्रतिभाग सूचनाओं का आदान-प्रदान करना तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रों को वांछित सहयोग प्रदान करना।

6. संकुल स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का अभिलेखीकरण करना तथा उसकी रिपोर्ट तैयार कर ब्लाक समन्वयक एवं डायट को उपलब्ध कराना।

7. अध्यापकों की मासिक बैठकों में भाग लेना नियोजन एवं मूल्यांकन के क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों सम्बन्धी पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकों के कठिन स्थलों में उनको मदद करना।

8. अध्ययन के न्यूनतम स्तरों पर आधारित सूचना का ब्लाक स्तर पर कार्यान्वयन करना और इस क्षेत्र में पहले से ही प्राप्त सूचना के लिए अपेक्षित उपचारात्मक उपलब्ध कराना।

9. न्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन और प्रशिक्षण।

10. ग्राम शिक्षा समितियों और महिला समूहों को अनुसमर्थन प्रदान करना।

11. विद्यालय श्रेणीकरण का कार्य।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम {प्राथमिक स्तर पर}:

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम {डी0पी0ई0पी0} से आच्छादित जनपद कन्नौज कार्यक्रम के तृतीय चरण में आच्छादित जनपदों के रूप में अप्रैल 2000 से आच्छादित है। जिला प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्बर्धन के लिए प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की खुली प्रतियोगिता के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षकों के डायट स्तर छिबरामऊ, कन्नौज में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में सफल संदर्भ दाताओं द्वारा ब्लाक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

जनपद कन्नौज जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण में होने के कारण प्रथम चक्र के शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण, द्वितीय चक्र के सबल प्रशिक्षण के आवश्यक अंशों के साथ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित तृतीय चक्र का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर माह जून 2001 से आयोजित हो चुका है। इस प्रशिक्षण में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित माड्यूल 'साधन' का प्रयोग किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. शिक्षकों को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अभिप्रेरित करने का प्रयास।
2. शिक्षण कार्य में बच्चों की सक्रिय भागीदारी के प्रति समझ विकसित करना।
3. बच्चों की सीखने सम्बन्धी कठिनाईयों को समझने शिक्षकों में बच्चों की कठिनाईयों के प्रति समझ विकसित करना तथा उनके प्रति संवेदनशील बनाना।

4. शिक्षण के समय कक्षा के वातावरण को जिज्ञासा पूर्ण बनाना।

5. वंचित वर्ग विशेष कर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयों संवेदीकरण तथा स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण करना।

6. सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं इसके प्रयोग से शिक्षण कार्य में रोचकता लाने का प्रयास।

7. विभिन्न विषयों के लिए गतिविधियों का निर्माण तथा शिक्षण कार्य में गतिविधियों का प्रयोग।

8. अध्यापकों में बच्चों के प्रति हित की भावना पैदा करना।

9. अध्यापकों को प्रत्येक बच्चे में आशावादिता एवं आत्म विश्वास जागृत करने पर बल देना।

10. गतिविधियों द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने के तरीके का अभ्यास कार्य।

11. एकल अध्यापकीय विद्यालयों के लिए बहु कक्षा/बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का कार्य।

12. बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण शिक्षण में उपयोग एवं सम्भावनायें।

13. शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का कार्य।

14. समय प्रबन्धन में आने वाली कठिनाईयों के निदान हेतु समय सारणी बनाकर शिक्षण कार्य करना।

15. बच्चों को ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का सतत् मूल्यांकन।

16. शिक्षण कार्य में विषयाधारित कहानी, लोक कथाओं के प्रयोग से भाषा गणित विज्ञान, समाजिक विज्ञान के साथ शैक्षणिक स्तर गतिविधियों से सभी विषयों में रोचकता पैदा करना।

<u>सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण तृतीय चक्र 'साधन' की अद्यतन स्थिति:</u>

कुल शिक्षक संख्या - 1916 + 135 (शिक्षा मित्र) = 2051
{शिक्षा मित्रों सहित}

प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या - 1908 + 135 = 2043

अवशेष/अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या- 08 (मेडिकल अवकाश पर)

<u>उच्च प्राथमिक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण:</u>

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम {डी0पी0ई0पी0} योजनान्तर्गत उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के शिक्षकों में कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नही है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिबरामऊ, कन्नौज के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक स्तरीय गणित शिक्षकों की शिक्षण क्षमता अभिवृद्धि के लिए गणित विषयाधारित प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 56 अध्यापक लाभान्वित हुए। वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान/अंग्रेजी अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि के लिए आयोजित किये जा रहे सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की भाँति उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

<u>शिक्षकों को अकादमिक सहयोग एवं समर्थन की व्यवस्था:</u>

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक को अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरखण्ड प्रतापगढ़ के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षकों की

क्षमता बढ़ाने के लिये उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशल में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये बहुआयामी रणनीति अपनाई गयी है।

शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिये जिला स्तर पर डायट ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की व्यवस्था है। एन0पी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा निरन्तर प्राथमिक विद्यालयों का अकादामिक पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षकों की शैक्षिक एवं विद्यालयीय परिवेश सम्बन्धी समस्याओं का तत्कालिक निदान न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित मासिक बैठक में तथा ऐसे समस्यायें जिनका निदान नही हो पाता, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक की मासिक बैठक में रखी जाती है। एन0पी0आर0सी0/ बी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक समस्यायें तथा विद्यालय प्रवेश सम्बन्धी जिन समस्याओं का समाधान नही हो पाता उनका समाधान डायट स्तर पर बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक में किया जाता है। शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिये डायट संकाय सदस्यों, निरीक्षक वर्ग बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव:

जनपद कन्नौज जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण के अन्तर्गत अप्रैल 2000 से संचालित है। जनपद में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण 'साधन' माड्यूल के अनुसार लगभग समाप्ति की तरफ है। जनपद में प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण जिला समन्वयक {प्रशिक्षण}, डायट मेन्टर्स, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। जिनसे प्राप्त अवलोकन आख्याओं के अनुसार संज्ञान में आया है कि शिक्षकों में जागरूकता

बढ़ी है, शिक्षण कार्य में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग प्रारम्भ हो गया है तथा बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आ रहे हैं।

प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरण:

जनपद प्रतापगढ़ में एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के 81 पद सृजित हैं जिनमें से मात्र 72 समन्वयक कार्यरत हैं जिसके कारण श्रेणीकरण का कार्य बाधित हो रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के प्रभारी न्याय पंचायत समन्वयक बनाया गया है। श्रेणीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा जारी राजाज्ञा सं0 - 2314/15-05-01-346/2001 दिनांक 11.07.2001 द्वारा शुरू हो चुका है। जनपद में विद्यालय श्रेणीकरण की स्थिति सारिणी में दी गयी है।

जनपद में स्कूलों की ग्रेडिंग के अनुसार स्थिति

सारणी - 9.1

विकास खण्ड	स्कूलों की संख्या जिनका निरीक्षण हुआ	श्रेणी			
		ए	बी	सी	डी
उमर्दा	145	0	70	55	20
छिबरामऊ	132	1	63	53	15
तालग्राम	110	0	54	45	11
सौरिख	103	0	52	43	08
हसेरन	97	0	47	41	09
कन्नौज	108	0	56	40	12
जलालाबाद	84	0	45	32	07
नगर क्षेत्र कन्नौज	17	0	06	06	05
योग-	**796**	**1**	**393**	**315**	**87**

बेस लाइन सर्वे वर्ष 2000 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

सारिणी संख्या - 9.2

क्र. सं.	कक्षा	विषय	बालकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
			M.L.L. %	दक्षता %	M.L.L. प्राप्त नहीं कर सके %	M.L.L. %	दक्षता %	M.L.L. प्राप्त नहीं कर सके %
1.	2	भाषा	54.0	20.9	25.0	61.8	17.4	20.8
2.	2	गणित	49.2	30.9	19.9	55.6	22.2	22.2
3.	5	भाषा	58.0	3.8	38.2	46.7	1.5	45.2
4.	5	गणित	69.4	0.0	30.6	12.6	0.0	87.4

स्रोत- बेस लाइन सर्वे रिपोर्ट

बेस लाइन सर्वेक्षण वर्ष 2000 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति:

डी0पी0ई0पी0-III लागू होने से पूर्व कराये गये बेस लाइन सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा-2 भाषा 25.0 बालक तथा 20.8 बालिकाएं एवं कक्षा-2 गणित में 19.9 बालक एवं 22.2 बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सके है। तथा कक्षा-5 भाषा में 38.2 बालक एवं 45.2 बालिकाएं तथा कक्षा-5 गणित 30.6 बालक एवं 87.4 बालिकाएं न्यूनतम अधिगत स्तर को प्राप्त नहीं कर सके है।

बेस लाइन सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा-2 व 5 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि निम्न प्राप्त हुई है।

1. कक्षा-2 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि क्रमशः ..... एवं ..... है।
2. कक्षा-5 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि क्रमश ..... एवं ..... है।

3. कक्षा-2 भाषा में वालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 12.18 एवं 12.26 है।

4. कक्षा-2 गणित में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 13.24 एवं 12.49 है।

5. कक्षा-5 भाषा में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 32.68 एवं 30.46 है।

6. कक्षा-5 गणित में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 12.84 एवं 11.68 है।

<u>प्राथमिक विद्यालयों की प्रोत्साहन योजनाएं:</u>

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य छात्र नामांकन, धारण एवं ठहराव है। जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद में 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के बालकों एवं सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी है। जिसके सकारात्मक परिणाम से छात्र नामांकन में आशातीत वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2001-2002 को शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वर्ष मनाये जाने के उद्देश्य से माह जुलाई, 2001 में स्कूल चलो अभियान के आयोजनोपरान्त कक्षा-1 से 5 तक के सभी जाति के बालक, बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी।

प्राथमिक विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव को बनाये रखने के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण पोषाहार योजना आदि कारगर सिद्ध हुए है जिससे

अभिभावकों को सहयोग मिलने के साथ-साथ विद्यालयों में वच्चों का नामांकन बढ़ा है तथा ह्रास पर भी अंकुश लगा है छात्रवृत्ति का लाभ अनुसूचित जाति एंव जनजाति के सभी बालक एवं बालिकाओं तथा पिछड़ी जाति के कुछ बालक/बालिकाओं को दिया जा रहा है। पोषाहार योजना का लाभ सभी बालक/बालिकाओं को मिलता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ करनें से पूर्व बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन बेस लाईन स्टडी के माध्यम से किया गया था। आशा है कि अद्यतन आयोजित तथा मिडटर्म स्टडी से पूर्व आयोजित किये जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रोत्साहन योजनाओं का बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण वर्ष 2003 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

सारिणी संख्या - 9.3

क्र. सं.	कक्षा	विषय	बालकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
			M.L.L. %	दक्षता %	M.L.L. प्राप्त नही कर सके %	M.L.L. %	दक्षता %	M.L.L. प्राप्त नही कर सके %
1.		भाषा						
2.		गणित						
3.		भाषा						
4.		गणित						

स्रोत- मध्यावधि मूल्यांकन सर्वे रिपोर्ट

शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति:

डी0पी0ई0पी0-III लागू होने के ढाई वर्ष बाद कराये गये, मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा-2 भाषा में ..... बालक तथा .... बालिकाएं एवं कक्षा-2 गणित में ..... बालक एवं ..... बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नही कर

सके है। तथा कक्षा-5 भाषा में ..... बालक एवं ..... बालिकाएं तथा कक्षा-5 गणित में ..... बालक एवं ..... बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नही कर सके है।

मध्यावधि मूल्यांकन के आधार पर कक्षा-2 व 5 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि निम्न प्राप्त हुई है:-

1. कक्षा-2 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि क्रमशः ..... एवं .... है।
2. कक्षा-5 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि क्रमश .... एवं ..... है।
3. कक्षा-2 भाषा में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः .... एवं ... है।
4. कक्षा-2 गणित में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमश .... एंव ... है।
5. कक्षा-5 भाषा में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमश .... एंव ... है।
6. कक्षा-5 गणित में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमश .... एंव ... है।
7. कक्षा-2 भाषा एवं गणित दोनों विषयों में आधारभूत सर्वेक्षण की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में उपलब्धि में ..... हुई है।
8. कक्षा-5 भाषा एवं गणित दोनों विषयों में आधारभूत सर्वेक्षण की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में उपलब्धि में .... हुई है।

सर्व शिक्षा अभियान एवं लक्ष्य:

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद प्रतापगढ़ में 6 से 14 वर्ष के सभी बालक/बलिकाओं को वर्ष 2010 तक गुणवत्ता परक जीवनोपयोग व्यवसायपरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा शैक्षिक परिवेश में समुदाय की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करके प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान

करने की रणनीति के द्वारा प्रदान किया जा सकेगा। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नवत् है:-

1. 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क अनिवार्य एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
2. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गांरटी केन्द्र, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत-प्रतिशत नामांकन।
3. वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा-5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
4. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा-8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।
5. गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
6. बालक/बालिकाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामंकन ठहराव व सम्प्राप्ति के अन्तर को समाप्त करना।
7. सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।
8. शिशु शिक्षा के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार 0 से 11 को बढ़ाकर 0 से 14 करना तथा बाल विकास परियोजना के प्रयास को समर्थन देना तथा जहां बाल विकास परियोजनाएं नही चल रही है वहां विशेष पूर्व विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण:

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण सैट एवं इण्डिया के आधार पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा।

4. विकास खण्ड स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण के फालोअप के लिए पाठ्य प्रस्तुतीकरण पर आधारित मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजि की जायेगी।

सारिणी- 9.4

1. **प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण:**

वर्ष	प्राइमरी	उच्च प्राथमिक	दर	अनुमानित व्यय
2002-03		615		
2003-04		774		
2004-05	1657	1065		
2005-06	4490	1065		
2006-07	4602	1065		

सारिणी- 9.5

2. **प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों के टी0एल0एम0 का प्रशिक्षण**

वर्ष	प्राइमरी	उच्च प्राथमिक	दर	अनुमानित व्यय
2002-03		720	500	360000.00
2003-04	162	1494	500	828000.00
2004-05	1657	2013	500	1835000.00
2005-06	5451	2013	500	3732000.00
2006-07	5566	2013	100	3784500.00

उपरोक्त कार्यक्रम वर्ष के पाँच महीनों में आयोजित होगा। जिसके लिये प्रशिक्षण का एजेंडा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखीकरण।

उपरोक्त कार्यक्रम वर्ष के पाँच महीनों में आयोजित होगा। जिसके लिये प्रशिक्षण का एजेंडा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखीकरण न्याय पंचायत संसाधान केंन्द्र समन्वयक द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों का अभिलेखीकरण ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित होने वाले प्रशिखण कार्यशालाओं गोष्ठियों का अनुश्रवण समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट के ब्लाक सेन्टर द्वारा किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र के प्रथम वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण के लिये रूपये 80.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से रूपया ..... अनुमानित व्यय होगा।

द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण में अध्यापकों की आवश्यकता पर आधारित मुख्यत: भाषा एवं गणित विषय की दक्षता को केन्द्रित कर दिया जायेगा। जिसमें सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिनों का प्रशिक्षण एक-एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

1. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर वर्ष के सात दिनों में मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।

2. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों से सम्बन्ध तीन दिवसीय प्रशिक्षण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए रूपये ..... अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तृतीय वर्ष में विज्ञान सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू विषय के विषय के शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण आठ दिवसीय होगा जिस पर रू0 80.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से रूपये ..... अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के चौथे वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण सामग्री निर्माण हेतु आठ दिवसीय प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयेजित किया जायेगा। जिसके तारतम्य में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर लघु प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

1. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक सामग्री विकसित करने हेतु दो दिवसीय कार्यशालाएं जिसमें न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए आयोजित की जायेगी।

2. डायट द्वारा तैयार किये गये एजेन्डे के अनुसार प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के सात महीनों में आयोजित की जायेगी। इन प्रशिक्षणों पर प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी रूपये 80.00 रूपये की दर से रूपये ..... अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के पांचवे वर्ष के प्रशिक्षण में उपरोक्त चार वर्षो के फालोअप में उभरी समस्याओं के निराकरण एवं शिक्षकों की आवश्यकताओं का आंकलन करके प्रशिक्षण दिया जायेगा। सह प्रशिक्षण दस दिवसीय होगा। जिसमें पांच दिवसीय प्रशिक्षण कक्षा शिक्षण पर आधारित होगा तथा शेष प्रशिक्षण में पूर्व में दिये गये प्रशिक्षणों की पुनरावृत्ति पर ध्यान दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण:

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्बन्धी के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए समस्त परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षण कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को शिक्षण प्रदान किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
कार्यशाला/सेमिनार प्राइमरी	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
अपर प्राइमरी	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
प्रशिक्षण प्राइमरी	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण 2. रोस्टर ट्रेनिंग 3. आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण माड्यूल	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक अनुश्रवण एंव मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एंव मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एंव मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एंव अनुश्रवण
अपर प्राइमरी	1. गणित अध्यापक प्रशिक्षण 2. विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, मूल्यांकन	अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण, मूल्यांकन	पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, मुल्यांकन	हिन्दी एवं व्यायाम स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण मूल्य आधारित प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, मूल्यांकन	पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एंव अनुश्रवण

क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण	एम0डी0आई0/ ए0वी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सम्बर्धन हेतु	एस0डी0आई0/ ए0वी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सम्वर्धन में अनुभूत समस्याओं पर	एम0डी0आई0/ ए0वी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सम्वर्धन में अनुभूत समस्याओं पर	वी0आर0पी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का श्रेणीकरण का प्रभाव का आंकलन	वी0आर0पी0/ एन0पी0आर0सी0 द्वारा मूल्यांकन
	वी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण (विद्यालयों के समस्याओं के आकलन पर)	वी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण छात्रों और अध्यापकों के समस्याओं के हल करने हेतु	वी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का श्रेणीकरण का प्रभाव का आकलन	वी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 द्वारा मूल्यांकन
	अनुदेशक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण
	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण
शोध	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. वी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 /एन0पी0आर0 सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. वी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 /एन0पी0आर0 सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. वी0आर0सी0 /एन0पी0आर0 सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर
जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं	जनपद स्तर पर 1. टी0एल0एम0 प्रतियोगिता का आयोजन 2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3. सुलेख प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. कला प्रतियोगिता 2. टी0एल0एम0 प्रतियोगिता 3. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी0एल0एम0 प्रतियोगिता 2. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. विज्ञान प्रतियोगिता 2. टी0एल0एम0 प्रतियोगिता

विशेष प्रशिक्षण:

1. कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धीन प्रशिक्षण।
2. लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण।
3. नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी।
4. स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।
5. सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण।
6. व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण।
7. समुदाय छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण।
8. शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण।
9. समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।

कम्प्यूटर के उपयोग हेतु प्रशिक्षण:

इस निमित्व दस उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चुने हुए शिक्षकों को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण डायट में प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु डायट के सदस्यों को एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के माड्यूल का विकास डायट तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ के सहयोग से किया जायेगा।

इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को कम्पूयटर उपयोग सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करेंगे।

लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण:

कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्याप्त भेद-भाव को दूर करने के लिए बी0आर0सी0 सतर पर तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण:

सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व क्षमता विकास समय प्रबन्धन एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण:

स्कूल प्रबन्धन ही शैक्षिक गुणवत्ता की आधारशिला है एक सुप्रसिद्ध स्कूल में गुणवत्ता के तीनों पक्षों यथा स्कूल का भौतिक परिवेश, शिक्षक एवं शिक्षण अधिगम सम्बन्धी प्रतिक्रियायें तथा छात्रों के मूल्यांकन सम्बन्धी क्रियाकलाप सुव्यवस्थित रूप से संचालित होते रहते हैं साथ ही उक्त प्रतिक्रियाओं के लिए समुदाय सहयोग आवश्यक है इन सभी वर्णित तथ्यों पर आधारित प्रशिक्षण जूनियर हाईस्कूल के समस्त अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा। इसकी अवधि चार दिवसीय होगी। इस प्रशिक्षण हेतु माड्यूल का विकास एवं मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट के सहयोग से सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण:

इस निमित्त तीन दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट पर सीमेट से पधारे संदर्भ दाताओं द्वारा किया जायेगा। माड्यूल का निर्माण भी सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण:

यह प्रशिक्षण समस्त जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को प्रदान किया जयेगा ताकि वे अपने छात्रों के भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके।

समुदाय, छात्र एव शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण:

इस प्रशिक्षण हेतु तीन सदस्यीय कमेटी प्रत्येक विद्यालय से जिसमें एक ग्राम प्रधान (यथा संभव महिला) एक अभिभावक परिषदीय जूनियर हाईस्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का और सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा। शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण जनपद में चयनित होने वाले शिक्षा मित्रों तथा विद्या केन्द्रो के आचार्य जी के लिए तीन दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त होगा।

समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण:

इस निमित्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण:

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से स्थापित शिशु शिक्षा केन्द्रो की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का निर्माण किया जायेगा।

बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण:

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत उक्त समन्वयकों द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयोंको शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज में 6-8 के शिक्षकों को

भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस निमित्त बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है, इस दृष्टि से बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी अकादमिक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य स्तर पर किया जायेगा। बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 के समन्वयकों की उक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त समय-समय पर शिक्षा मित्र, आचार्य जी0ई0सी0सी0ई0 के अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर विकसित किया जायेगा।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का प्रशिक्षण:

विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों का नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भूमिका है इस दृष्टि से इनका पाँच दिवसीय ओरिएटेशन प्रशिक्षण डायट स्तर पर सीमेट इलाहाबाद द्वारा तैयार किया गया प्रशिक्षण माड्यूल के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगा। क्षेत्रान्तर्गत स्थित विद्यालयों बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मकतब, मदरसों आदि के अकादमिक पर्यवेक्षण तथा समुदाय की सहभागिता हेतु कार्यक्रम का अनुश्रवण।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण:

विद्यालयों की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। इस प्रशिक्षण में ग्राम शिक्षा समिति के स्दस्यों के साथ-साथ युवक मण्डल दल के सदस्य माडल कलस्टर डेवलपमेन्ट एप्रोच की दृष्टि

से चयनित क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने की दृष्टि से वूमेन्स, मेन्स ग्रुप, मदर टीचर्स एसोसिएशन पैरेन्ट, टीचर्स एसोसिएशन को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

<u>प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सामुदायिक सहयोग:</u>

भारतीय संविधान की धारा-45 में शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसका तात्पर्य स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाये, या कम से कम साक्षर तो हो ही जाये शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखकर संशोधित पंचायती राज्य अधिनियम लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गयी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रतिपूर्ति की दृष्टि से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पंचायती राज्य व्यवस्था के अनुसार स्थापित ग्राम शिक्षा समिति का विधिवत गठन किया गया जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा। ग्राम शिक्षा समिति में उक्त के अतिरिक्त महिलाओं, अनुसूचित जाति/जन जाति के अभिभावकों, विकलांगों बच्चों के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों का भी प्रतिनिधित्व किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत निर्माण एवं अनुरक्षण विद्यालय की अन्य सुविधाओं के साथ-साथ विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यो का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के कार्यो के लिये प्रत्येक विकास खण्ड में नेहरू युवा केन्द्र के स्वयं सेवकों स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों, शिक्षकों, ग्राम सभा पर उत्साही युवकों जिनकी संख्या प्रति विकास खण्ड 25 से 30 होगी, का चयन कर ब्लाक संसाधन समूह (बी0आर0जी0) तथा जिला संसाधन समूह (डी0आर0जी0) का गठन किया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के तीन दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर का प्राविधान है। ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था छिबरामऊ, कन्नौज के नेतृत्व में ब्लाक संसाधन समूह (बी0आर0जी0) के सदस्यों का चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित ब्लाक संसाधन समूह (बी0आर0जी0) के सदस्यों ने राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन निशातगंज लखनऊ द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर जनपद की कुल 441 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रथम एवं द्वितीय चक्र में वर्ष 2000-01 तथा वर्ष 2001-02 में प्रशिक्षण आयोजित किया।

वर्तमान में सभी ग्राम शिक्षा समितियां प्रशिक्षित हो चुकी हैं अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर निम्न बिन्दुओं पर आधारित थे।

1. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण।
2. ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों का कौशल निर्माण।
3. प्रतिभागिता उपागम रोल प्ले केस स्टडी क्षेत्र भ्रमण एवं सम्प्रेषण अभ्यास।
4. समस्या समाधान एवं प्रतिभागिता परक विश्लेषण अभ्यास कार्य।
5. गांव के संर्वागीण शैक्षिक विकास हेतु सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक मानचित्रण ग्राम शिक्षा योजना निर्माण।
6. लिंग भेद एवं बालिकाओं के शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा विकलांग बच्चों की विशेष शिक्षा अभ्यास कार्य।

ग्राम शिक्षा समिति के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में प्रयुक्त माड्यूल (ग्राम शिक्षा समिति संकाय एवं प्रयास) के अनुसार विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले

बच्चों एवं उनके स्कूल न आने वाले कारणों की पहचान के लिये सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो प्लानिंग) तथा स्कूल मानचित्रण (स्कूल मैपिंग) का कार्य किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, विद्यालय विकास योजना तथा ग्राम शिक्षा योजना निर्माण से विद्यालयी क्रियाकलाप में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है। जिससे स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण में सुविधा तथा स्कूल न आने वाले बच्चे विशेष कर बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में आशातीत वृद्धि हुई है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये समुदाय की सहभागिता में और अधिक वृद्धि करने के लिये विद्यालय के शिक्षण कार्य को देखने के लिये विद्यालय में आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय पर्वो एवं वार्षिक कार्यक्रमों के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय से सेवित समुदाय के लोगों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा में परिवार एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक के जागरूक होने पर बच्चों के विद्यालय में नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता है साथ ही परिवार के सदस्यों भाई-बहन एवं माता-पिता के शिक्षित होने पर बच्चों को गृह कार्य करने में मदद मिली है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों के कम पढ़े लिखे या निरक्षर होने तथा शहरी क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में आने वाले अधिकांश बच्चे गरीब परिवार के होने के कारण बच्चों को शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में शिक्षा के लिये बच्चों को मात्र शिक्षकों का ही सहयोग मिल पाता है।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षणोपरान्त कराये गये सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि लगभग 50 प्रतिशत विद्यालयों में समुदाय का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण:

जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों एवं डायट के संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण सीमेट इलाहाबाद में परियोजना के प्रथम वर्ष में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण की विषयवस्तु सर्वशिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों एवं कार्य योजना की रणीनतियों पर आधारित होगी। आगामी वर्षो में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

अन्य हस्तक्षेपीय उपाय:

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अन्य हस्तक्षेपणीय उपायों में से एक विद्यालय में वास्तविक शिक्षण के समय में वृद्धि करना है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समय सारणी का अध्ययन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं एवं अन्य संकाय सदस्यों द्वारा विद्यालयों के शैक्षिक भ्रमण के दौरान किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

कुल कार्य दिवस जिनमें विद्यालय खुला : 220

शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध दिवसों की संख्या : 160

विवरण	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	160	200
परीक्षा	10 दिन	14 दिन
पल्स पोलियों चुनाव	30 दिन	30 दिन
ड्यूटी आर्थिक गणना		
ए0बी0एस0ए0 की बैठक		
खेल-कूद की रैली		
बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी		
समुदाय से सम्पर्क	7 दिन	7 दिन

स्कूल समय सारिणी के अनुसार जनपद कन्नौज में उपलब्ध शिक्षण समय

विवरण	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
	वादन x समय	वादन x समय
भाषा 1 हिन्दी	10 x 40	3 x 40
भाषा 2 अंग्रेजी	3 x 40	3 x 40
भाषा 3 संस्कृत	3 x 40	3 x 40
विज्ञान	6 x 40	3 x 40
गणित	10 x 40	3 x 40
सामाजिक विषय	5 x 40	3 x 40
बेसिक क्राफ्ट/कला	5 x 40	3 x 40
शारीरिक शिक्षा	3 x 40	3 x 40
कृषि	-	2 x 40

सारणी - 9.6

प्राथमिक स्तरीय समय सारिणी

कक्षा	प्रथम वादन	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	मध्य अवकाश	पंचम	षष्ठ	सप्तम्	अष्टम
1	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावर्णीय अध्ययन		हिन्दी	गणित	बुक क्राफ्ट शा0शि0	
2	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावर्णीय अध्ययन		हिन्दी	गणित	बुक क्राफ्ट शा0शि0	
3	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावर्णीय अध्ययन		हिन्दी/गणित	अंग्रेजी/संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम
4	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावर्णीय अध्ययन		हिन्दी/गणित	अंग्रेजी/संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम
5	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावर्णीय अध्ययन		हिन्दी/गणित	अंग्रेजी/संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम

सारणी - 9.7

उच्च प्राथमिक स्तरीय समय सारिणी

कक्षा	प्रथम वादन	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	मध्य अवकाश	पंचम	षष्ठ	सप्तम्	अष्टम
6	हिन्दी	विज्ञान	सा0 विज्ञान	गणित		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला/व्यायाम
7	हिन्दी	गणित	सा0 विज्ञान	विज्ञान		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला/व्यायाम
8	विज्ञान	विज्ञान	गणित	सा0 विज्ञान		अंग्रेजी	कृषि	संस्कृत	कला/व्यायाम

कार्यशलाओं/गोष्ठियों का आयोजन:

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर न्याय पंचायत समन्वयक के नेतृत्व में होने वाली बैठकों को और अधिक उपादेयी बनाने की दृष्टि से डायट स्तर पर एक वार्षिक कार्ययोजना भी बनायी जायेगी। इस वार्षिक कार्य योजना को बनाने में बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की सहायता भी ली जायेगी तथा तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना के आधार पर निम्नवत् कार्यशालाओं/गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।

1. बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र/छात्राओं की सम्प्राप्ति के मूल्यांकन टेस्ट आईटम का निर्माण।
5. समुदाय की सहभागिता विद्यालय प्रबन्धन में कैसे बढ़ायी जाये।
6. छात्र/छात्राओं के गणवेश में आने हेतु प्रेरित करने के लिए संगोष्ठी।
7. छात्र/छात्राओं के बुद्धिलब्धि के परीक्षण के लिए टैस्ट आईटम का निर्माण।
8. कक्षा/कक्षों के प्रशिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए गोष्ठी विचार।

क्रियात्मक अनुसंधान:

जनपद में विभिनन स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से पाँच दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। इन कार्यशालाओं के आयोजन के सीमेट इलाहाबाद तथा निदेशक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का सहयोग लिया जायेगा। बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 को इस दृष्टि से

सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदानों के लिए स्वयं अपनी कार्य योजना बनाये और समाधान ढूढ़ने में सफल हो सके। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है:-

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार सम्भव है।
2. बहु शिक्षण की स्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार किया जाये?
3. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में मानीटर का सहयोग कैसे?
4. कक्षा/कक्ष की प्रक्रिया (क्लास रूम प्रोसेस) में सहभागिता बढ़ाने के प्रयास।
5. शिक्षण/प्रशिक्षण की कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु संकेतकों (इन्डीकेटर्स का विकास)?
6. बच्चों की न्यून सम्प्राप्ति स्तर होने के कारणों की पहचान?
7. बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि बढ़ाने के प्रयास?
8. समुदाय को विद्यालय के करीब लाने हेतु प्रयास?
9. शिक्षकों एवं छात्रों के बीच अत: सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रयास?
10. अध्यापकों द्वारा सक्रिय अधिगम पद्धति को प्रयोग में न लाना?
11. धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सहायता देने की विधियाँ खोजना?
12. उद्देश्यपूर्ण शिक्षण करना।
13. बहुश्रेणी कक्षा शिक्षण।
14. प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का कम नामांकन होने की समस्या।

15. विद्यालय परिसर के दुरूपयोग की समस्या।

16. अल्पसंख्यक बालिकाओं के कम नामांकन की समस्या।

17. छात्रों का लेखन अच्छा न होने की समस्या।

18. मध्यावकाश के पश्चात् कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति कम होने सम्बन्धी समस्या।

19. अधिकांश छात्रों का विद्यालय गणवेश में न आने का अध्ययन व समाधान।

20. छात्रों की अनियमित उपस्थिति।

21. छात्रों को स्थानीय मान का ज्ञान न होने के कारण उसका समाधान।

22. गणित विषय की पुस्तक में कुछ कठिन शब्दों का समावेश होने से छात्रों को समझने में होने वाली कठिनाई का निवारण।

23. दण्डात्मक शिक्षण प्रणाली के कारण विद्यालय में अधिकतर छात्रों की अनुपस्थिति रहने की समस्या एवं समाधान।

शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली:

शैक्षिक नियोजन तथा प्रबन्धन को अधिकाधिक यथार्थ प्रासांगिक आवश्यकतापरक तथा प्रभावपूर्ण बनाने हेतु शैक्षिक आंकड़ों तथा सूचनाओं की सुलभता आवश्यक है। इसके लिए आधारभूत आंकड़ों तथा सूचनाओं के संकलन विश्लेषण तथा निष्कर्ष निर्धारण के सोपनों के माध्यम से शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली (डी0आई0एस0ई0) का विकास अपेक्षित होता है। विद्यालय न्याय पंचायत ब्लाक संसाधन केन्द्र जनपद राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं तथा आंकड़ों को तैयार करने ओर उनके उपभोग के अनेक अवसर

आयोजित की जायेगी। मूल्यांकन की व्यवस्था डायट में होगी तथा प्रश्नपत्र निर्माण डायट में ही होगा। साथ ही छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करने के लिए सतत् व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण माड्यूल निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा तैयार किया जा चुका है एवं जल्द ही अध्यापक का प्रशिक्षण (प्राथमिक स्तरीय) भी कराया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी अभिमुखीकरण भी कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान में एतद् विषयक प्रशिक्षण डायट/बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को भी प्रदान किया जायेगा ताकि वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित कर सके।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना:

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा जनपद विकास खण्ड, न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास शोध, एवं मूल्यांकन नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग सम्बन्धी बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री:

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार कर सके।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/प्रोत्साहन की व्यवस्था:

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जपद में विभिनन स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन में शिक्षकों ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों, न्याय पंचायत/ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तरीय अभिकर्मियों/डायट संकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रम का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित करने की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर कार्यरत् अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता के विकास में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास खण्ड स्तर पर दो ग्राम शिक्षा समितियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्रमशः 15,000.00 एवं 10,000.00 रूपये दिया जायेगा। ग्राम शिक्षा

समितियां इस धन का उपयोग विद्यालयों को समृद्ध करने में अपने निर्णयानुसार करेंगे। शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करने पटन-पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने के लिए प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चिन्हित कर प्रत्येक विकास खण्ड में एक एक अध्यापक को 5000.00 रूपये पुरस्कार दिया जायेगा। जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो बी0आर0सी0 को एवं प्रत्येक विकास खण्ड के एक एन0पी0आर0सी0 को 10,000.00 एवं 7,000.00 की दर से पुरस्कार दिया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डायट अभिकर्मियों को मानदेय दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा।

सारणी - 9.8

<u>डायट स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों की सारणी</u>

क्र0सं0	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	थ्वजिनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी0पी0ओ0 स्टाफ, ए0बी0 एस0ए0/एस0ई0आई0	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुये प्रशिक्षण	10 दिन
3.	शिक्षा मित्रों/आचार्यो का प्रशिक्षण 1. आधारभूत प्रशिक्षण 2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र, आचार्य	30 दिन 15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण 1. आधारभूत प्रशिक्षण 2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण	अनुदेशक	15 दिन 10 दिन

5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	03 दिन
6.	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं	07 दिन
7.	बी0आर0सी0एस0ए0यस0 का प्रशिक्षण	बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	07 दिन
8.	ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण	ए0बी0एस0ए0/समन्वयक	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी0आर0जी0 का प्रशिक्षण	बी0आर0जी0 के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ उच्च प्राथमिक विद्यालयां के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुये शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवीनयुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 के चुने हुये समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मैटीरियल मेला	चुने हुये शिक्षक	03 दिन

17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षक	बी0आर0सी0, एन0बी0आर0सी0 समन्वयक डायट स्टाफ, चुने हुये शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यनुभव प्रशिक्षण	बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 के चुने हुये समन्वयक तथा चयनित उच्च प्रा0 विद्यालय के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला (हिन्दी/स्थानीय बोली)	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाओं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षक हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज, के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षक हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज, के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य-दुश्य माध्यम से उपयोग सम्बन्धी कार्यशाला	बी0आर0सी0 समन्वयक चुने हुए विद्यालय के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्ज बर्निंग मैटीरियल का विकास सम्बन्धी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन

26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन
28.	बाल श्रमिकों हेतु संचालित वैकल्पिक शिक्षा-केन्द्रो हेतु शिक्षण सामग्री का विकास	डायट संकाय के सदस्य तथा शिक्षक	05 दिन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों का कौशल विकास:

डायट संकाय के सदस्यों को भी कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जने की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षणो आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यो के निष्पादन में सुविधा हो सके। डायट संकाय सदस्यों को निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है:-

1. समेकित शिक्षा कार्यशाला हेतु संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण।
3. लाइब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण।
4. शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने विषयक प्रशिक्षण।
5. मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों/टेस्ट प्रयोगों का प्रशिक्षण।
6. क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण।

सर्व शिक्षा अभियान का अकादमिक सुपर विजन:

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के शैक्षिक अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों ब्लाक स्तर पर सह समन्वयक एंव समन्वयक

ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट स्तर पर ब्लाक मेन्टर की भूमिका रही है। किन्तु कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण के लिये कुछ और अधिक परस्पर लिकेजेज की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों/ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा डायट के ब्लाक मेन्टर में परस्पर लिंकेजेज बनाया जायेगा। समन्वयक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपने अकादमिक अनुश्रवण का प्रतिवेदन अपने ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक को देगा तथा प्रतिवेदन का हर संभव समाधान ब्लाक संसाधन केन्द्र पर किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से प्राप्त होने वाले जिन प्रतिवेदनों का समाधान नही हो पायेगा उन्हें समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा डायट स्तर पर आयोजित मासिक बैठक कार्यशाला में प्रस्तुत किया जायेगा। शिक्षा के गुणवत्ता सम्बर्धन तथा शिक्षकों की शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि के लिए डायट स्तर पर गणित अकादमिक संसाधन समूह के सदस्यों की मासिक बैठक में बी0आर0सी0 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार किया जायेगा। डायट द्वारा जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। जिसके दिशा निर्देशन में बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयक कार्य करेंगे प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन भ्रमण कार्यो का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। चूंकि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाईस्कूल, इण्टर कालेज में कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले शिक्षकों को परिधि में लिये जाने का प्रस्ताव है। अतएव इन विद्यालय के शिक्षकों का भी अकादमिक पर्यवेक्षण किया जायेगा।

बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 में गुणवत्ता विकास तथा संस्थागत क्षमता सम्बर्धन की भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया

जायेगा। जिसमें इस बात पर विशेष बल होगा कि डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत चलायी गयी अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली की ओर अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनया जा सके। प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों ब्लाक संसाधन केन्द्रों को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरा मीटर (उद्देश्य परक मानक) के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उनकी आवश्यकता आधारित क्षमता विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा की एक महत्वाकांक्षी योजना है तथा कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं प्रत्येक स्तर पर परस्पर लिंकेजेज बनाये रखने के लिए वर्तमान में कार्यरत अभिकर्मी पर्याप्त नही है। अस्तु सृजित पदों के विपरीत अभिकर्मियों पदस्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदानः (T.L.M.)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आध्यापकों (शिक्षा मित्रों सहित) के प्रशिक्षण का प्राविधान है। जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री (टी0एल0एम0) निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास के लिये प्रत्येक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र को रूपये 500 की दर से प्रतिवर्ष टी0एल0एम0 अनुदान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों एवं अतिरिक्त शिक्षकों को वर्ष 2002-03 से यह अनुदान दिया जायेगा। किन्तु प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों/शिक्षा मित्रों नवीन विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षा मित्रों को वर्ष 2002-03 से टी0एल0एम0 अनुदान दिया जायेगा।

सारिणी संख्या - 9.9

वर्ष	टी0एल0एम0 अनुदान हेतु शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की संख्या	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2002-03		720
2003-04		1494
2004-05	1657	1065+3(238+78) = 2013
2005-06	4602+3x283 = 5451	1065+3(238+78) = 2013
2006-07	4617+849 = 5566	1065+3(238+78) = 2013
2007-08		
2008-09		
2009-10		

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण:

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, छिबरामऊ जनपद कन्नौज में भवन पर्याप्त स्थिति में उपलब्ध है। इस संस्थान में जिन उपकरणों की आवश्यकता है। उनका विवरण निम्नवत् है।

उपकरण/साज-सज्जा

1.	कम्प्यूटर प्रिंटर्स यू0पी0एस0	6.00
2.	फोटो कापियर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी, मेज	1.00
4.	जनरेटर, वाटर कूलर, डुप्लीकेटिंग मशीन, फैक्श मशीन	1.50
	योग-	10.00 लाख

अवर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध/अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालायें/सेमीनार	2.00
3.	प्रकाश एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटीजेन्सी	1.00
5.	वाहन रख-रखाव/पी0ओ0एल0	0.50
	योग-	10.00 लाख

संदर्भ, समूहों का सुदृढीकरण:

प्राथमिक स्तरीय शिक्षा से सम्बन्धित संदर्भ समूहों की भांति हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों के साथ चल रहे 6-8 की कक्षाओं में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों की क्षमता सम्बर्धन हेतु एस0सी0ई0 आर0टी0 के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट की क्षमता/दक्षता सम्बर्धन हेतु डायट से प्राप्त उपर्युक्त प्रस्ताव एवं अभियान के अन्तर्गत अनुमानित आवश्यकता का आकलन करते हुए निम्नलिखित प्राविधान किये जायेगे।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट की क्षमता/दक्षता सम्वर्धन हेतु डायट से प्राप्त उपर्युक्त प्रस्ताव एवं अभियान के अन्तर्गत अनुमानित आवश्यकता का आकलन करते हुए निम्नलिखित प्राविधान किये जायेंगे।

सारिणी - 9.10

क्र0सं0	मद का नाम	अनुमानित लागत (हजार में)	अन्य विवरण
1.	फर्नीचर	50	
2.	उपकरण (दृश्य-श्रव्य सामग्री सहित)	200	
3.	कम्प्यूटर वर्क स्टेशन	600	
4.	वाहन	-	
5.	किराये का वाहन	80	
6.	पी0ओ0एल0 एवं वाहन का रख-रखाव	400	
7.	सेमिनार	1600	
8.	शोध/क्रियात्मक शोध	1600	
9.	संकाय विकास	400	
10.	एक्सपोजर विजिट	400	
11.	पुस्तकालय	25	
12.	कम्प्यूटर आपरेटर का वेतन	56	
13.	ड्राइवर का वेतन	20	
14.	कंज्यूमेबिल/कम्प्यूटर स्टेशनरी	16	
15.	आनुषांगिक व्यय	800	
	योग-	**6247**	

अध्याय 10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्वशिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक ही होगी। इस अवधि में 6–14 आयु वर्ग से सभी बालक–बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धन उ0प्र0 में सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्ध कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबन्ध टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रबन्धन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होंगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही दिन प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबन्ध तंत्र सवेदनशील और लचीली प्रणाली :–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्ध प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों व

निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने वित्तीय निवेशों का अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0प्र0 सर्वशिक्षा अभियान में एक प्रबन्धतंत्र तैयार किया है जो निम्नवत दर्शाया जा सकता है।

निर्णयकर्ता समितिया	सर्वशिक्षा अभियान की प्रबन्ध पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यप्रणाली समिति यू0पी0ई0एफ0ए0पी0पी0	राज्य परियोजना कार्यालय	एस0सी0ई0आर0 टी0एस0आई0ई0 एस0आई0ई0टी00 एन0जी0ओ0
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन0जी0ओ0 आदि
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक अध्यापक	संकुल संसाधन केन्द्र

प्रशासनिक तंत्र

जिला परियोजना कार्यालय

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन तथा मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में बेसिक शिक्षा अधिकारी ही सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे :–

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी : पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी : (इ0जी0एस0 / ए0आई0ई0)
3. समन्वयक : 4
4. सलाहकार : 2 रू0 10,000 / – नियत वेतन प्रतिमाह
5. कम्प्यूटर ऑपरेटर : 1 रू0 7,000 / – नियम वेतन प्रतिमाह
6. सहायक लेखाधिकारी : 1
7. लिपिक : 1
8. परिचारक : 1

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्वेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे।

संगठनात्मक ढांचा – नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :–

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 तथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति गठन का प्रावधान किया गया है। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:–

समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

1.	ग्राम पंचायत का प्रधान	अध्यक्ष
2.	ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक और यदि वहां एक से अधिक विद्यालय हो तो उनके प्रधानाध्यापकों में ज्येष्ठतम् सदस्य	सचिव
3.	बेसिक स्कूलो के छात्रों के तीन संरक्षक जिनमें एक संरक्षक महिला होगी (सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे)	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :–

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेंगी।

(क) पंचायत क्षेत्र में स्थित बेसिक विद्यालयों के संचालन हेतु प्रशासन नियंत्रण तथा प्रबन्धन करना।

(ख) बेसिक विद्यालयों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचरियों के समय पालन ओर उपस्थित को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जाये।

(ड) बेसिक विद्यालयों उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघुदंड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाये।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रहती है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिसर में सुधार शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा, समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में जनता की सहभागिता प्राप्त करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादित किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा जिससे कि बुनियादी स्तर से प्रारंभिक शिक्षा का वांछित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन, मानदेय का भुगतान ग्राम शिखा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्ति का वितरण, पोषाहा वितरण का नियंत्रण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केद्र (एन0पी0आर0सी0) :–

इस जनपद में न्याय पंचायत केन्द्रों का निर्माण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इस सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ 84 संकुल

प्रभारियों की नियुचित कर इन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनका प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :–

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण करना।

2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठकें करना। उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार विमर्श एवं उनका निराकरण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार, परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।

4. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :–

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण, अनुश्रवण आदि के लिय उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है।

1. क्षेत्र पंचायत प्रमुख : अध्यक्ष

2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक : सदस्य– सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान : सदस्य

4. विकास खण्ड का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक : सदस्य

कार्य एवं दायित्व :–

1. ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

2. जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

3. क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

4. ग्राम शिक्षा समितिओं तथा जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच संपर्क का कार्य करना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/जे0जी0एस0वाई0 के लिए आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना ।

इस समिति की माह में एक बार बैठक अनिवार्य होगी ।

प्रशासनिक संगठन :–

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत (ब्लाक) स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक

संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका मुख्य दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार व सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालयों की गुणवत्ता बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगें। संक्षेप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे।

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्र कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना संकलित करना।

7. विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

8. पोषाहार वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित करना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक – छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल समय से प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा उन केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – III के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की गयी है। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल तथा रखरखाव हेतु नियत धनराशि 18000/– प्रति विकास खण्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

उन्हें ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य संपादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) :–

इस जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – III संचालित हो चुका है और 15 विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित हैं । कुल 13 विकास खण्डों में बी0आर0सी0 समन्वयक नियुक्त किये जा चुके है तथा कुल 18 बी0आर0सी0 सह समन्वयक नियुक्त किये जा चुके है जो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे है।

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु देखा जाता है कि समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर तथा एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकरण करने की योजना है इसके आवश्यक धन की व्यवस्था की जाय।

कार्य एवं दायित्व :–

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण शिक्षण प्रदान करना।

2. विद्यार्थियोंका अकादमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है।

3. विकास खण्डों की अकादमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना शैक्षणिक योजनाओं का सूक्ष्म नियोजन करना ।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक – छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल समय से प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा उन केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – III के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की गयी है। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल तथा रखरखाव हेतु नियत धनराशि 18000/– प्रति विकास खण्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

उन्हें ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य संपादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) :–

इस जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – III संचालित हो चुका है और 15 विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित हैं । कुल 13 विकास खण्डों में बी0आर0सी0 समन्वयक नियुक्त किये जा चुके है तथा कुल 18 बी0आर0सी0 सह समन्वयक नियुक्त किये जा चुके है जो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे है।

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु देखा जाता है कि समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर तथा एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकरण करने की योजना है इसके आवश्यक धन की व्यवस्था की जाय।

कार्य एवं दायित्व :–

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण शिक्षण प्रदान करना।

2. विद्यार्थियोंका अकादमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है।

3. विकास खण्डों की अकादमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना शैक्षणिक योजनाओं का सूक्ष्म नियोजन करना ।

4. ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।

5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला प्रशिक्षण संस्थान के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों में समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।

7. विकास खण्ड के अन्तर्गत विद्यालय से बाहर के बच्चों के सम्बन्ध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार विवरण तैयार करना।

8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एकत्रीकरण व सैम्पल चेकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम– III के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है। जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है। समिति का गठित निम्नवत् है –

1. जिलाधिकारी : अध्यक्ष

2. मुख्य विकास अधिकारी : उपाध्यक्ष

3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी : सदस्य–सचिव

4. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान : सदस्य

5. जिला श्रम अधिकारी : सदस्य

6. जिला समाज कल्याण अधिकारी : सदस्य

7. वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) : सदस्य

8. अधिशाषी अभियन्ता आर0ई0एस0 : सदस्य

9. जिला विद्यालय निरीक्षक : सदस्य

10. दो शिक्षाविद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय) : सदस्य

(जिलाधिकारी द्वारा नामित)

11. दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से : सदस्य

(एक वर्ष के लिये)

12. दो शिक्षक (राष्ट्री/राज्य पुरस्कार) : सदस्य

13. स्वैछिक संगठन के दो प्रतिनिधि : सदस्य

(जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :–

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति ह। जिले स्तर पर प्राथमिक शिक्षा कार्य कार्यक्रम– III द्वारा निर्धारितें सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियोंमें परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने तथा रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में इसकी निर्णायक भूमिका है।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :–

इस समिति की सदस्यता निम्न प्रकार है।

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हौ	पदेन सदस्य

और उनकी अनुपस्थित में विद्यालय उपनिरीक्षक

7.	तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।	पदेन	सदस्य
8.	विद्यालय उपनिरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।		सदस्य

कार्य एवं दायित्व :–

जिले में स्थित प्राथमिक विद्यालयों उच्च प्रा0 वि0 के प्रशासन का दायित्व, नवीन विद्यालयों की स्थापना तथा विद्यालयों के विकास के लिये योजनाएं तैयार करना।

निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण की व्यवस्था :–

निर्माणधीन विद्यालय भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डी0 पी0 ई0 पी0 की भांति की जायेगी। पर्यवेक्षण का कार्य R.E.S. के द्वारा कराया जायेगा। जिसके लिये उन्हे मानदेय भी दिया जायेगा। वर्तमान में प्रत्येक विद्यालय भवन के पर्यवेक्षण का मानदेय रूपया 1000.00, एन0पी0आर0सी0 भवन तथा अतिरिक्त कक्षा हेतु रूपया 500/– एवं शौचालय के लिये रूपया 200/– अनुमन्य है परन्तु ऐसे प्राथमिक विद्यालय जिनके भवन के साथ शौचालय सम्बद्ध है उनके अलग से शौचालय पर्यवेक्षण मानदेय नही दिया जायेगा। धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी महोदय की संतोषजनक आख्या प्राप्त होने पर जिला परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

एजूकेशनल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम (ई0एन0आई0एस0) :–

उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्ट वेयर की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा गारन्टी योजना वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण आंकड़े का संकलन विश्लेषण करने हेतु एक कम्प्यूटर की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इनके संचालन हेतु एक ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी तथा तीन कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यकीय सहायक रखे जायेंगे। ताकि शिक्षा डाटा की रिपोर्ट व विश्लेषण तात्परता से उपलब्ध हो सके। इस प्रकार जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक संस्थान के रूप में विकसित हो सकेगा।

ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :–

1. विद्यालय हेतु सांख्यकीय प्रपत्रों का मुद्रण वितरण कराना।
2. फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
3. अक्टूबर माह में विद्यालयों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन करना।
4. प्राप्त आंकड़ों की सैम्यिता चेकिंग करना।
5. दिसम्बर मास में डाटा इण्ट्री पूर्ण कराना तथा आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करना।
6. एन0 पी0 आर0 सी0 तथा बी0 आर0 सी0 स्तर पर ई0 एम0 आई0 एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार करके बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना।

7. सर्व शिक्षा अभियान के समी प्रकार के शैक्षिक सांख्यकीय के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

8. माइकरों प्लानिंग का कम्प्यूटरीकरण विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार करके सम्बन्धित को प्रेषित करना।

प्रशिक्षण :–

विद्यालय सांख्यकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, बी0 आर0 सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारीयों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। उन्हे ई0 एम0 आई0 एस0 प्रपत्रों का संकलन विश्लेषण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिए फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित किया जायेगा।

जिला स्तर पर ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण दो दिवसीय आयोजित होगा तथा इसमें जि0 परियोजना अधिकारी, समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर लेखा कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

ब्लाक स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण होगा इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0 डी0 आई0, बी0 आर0 सी0 समन्वयक तथा सह समन्वयक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण होगा इसमें एन0 पी0 आर0 सी समन्वयक/सहसमन्वयक तथा विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट स्तर पर एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में डी0पी0ओ0 तथा बी0आर0सी के कम्प्यूटर आपरेटर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह प्रशिक्षण सप्ताह भर चलेगा प्रथम तीन दिनों में प्रबंधन तथा दूसरे तीन दिनों में परियोजना प्रंबधन सूचना तन्त्र सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

आँकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जाँच

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा नई दिल्ली तैयार किया गया विद्यालय सांख्यकीय प्रथम उपलब्ध हो गया है। जिसपर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों के एकत्रित किया जयोगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा इण्ट्री के पश्चात ई0 एम0 आई0 एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुए प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट जिला परियोजना कार्यालया द्वारा विद्यालय को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप यह सूचना पुष्टि स्वरूप होगा। और यदि कोई त्रृटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आँकड़ों का उपयोगः–

ई0 एम0 आई0 एस0 आंकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे जी0 ई0 आर0, एन0 ई0 आर0 ड्राप आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र अध्यापक अनुपात कला–कक्ष अनुपात एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष होंगें। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माइक्रो प्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय तथा ई0 एम0आई0 एस0 एवं आई0 एस0 से प्राप्त आँकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित

कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0 एम0 आई0 एस0 एवं माइक्रों प्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगा।

1. नवीन विद्यालया हेतु असेबित बस्तियों की पहचान।

2. शिक्षा गारन्टी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।

3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्ष–कक्षों की आवश्यकता की पहचान।

4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।

5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।

6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।

7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लामार्थी समूहो की संख्या का आंकलन।

8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।

9. शिक्षकों का विवरण।

10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।

11. विकलांगता वार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

कोहार्ट स्टडी :–

छात्र–छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्रापआउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्षो मे एक बार कोहर्ट स्टडी कराई जायेगी। स्टडी बहु एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पृथक–पृथक से की जायेगी। एक स्टडी का अनुमानित लागत 2 लाख रखी गयी है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :–

गुणवत्ता में सुधार के लिये जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापाक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे।

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर टेनर/सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षण कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिए डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबन्धित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनकें परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतनुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेस लाइन सर्वे भराना।

10. शिक्षा के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आँकड़ों (ई0 एम0 आई0 एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12. शिक्षकों, समन्वयकों, ई0 सी0 सी0 ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

निधि का हस्ताँतरण (फलों आफ फण्ड) :–

प्रत्येक वर्ष कार्य योजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत किया जयोगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात जिले की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण अकादमिक पर्यवेक्षण संस्थान द्वारा बी0 आर0 सी0 एवं एन0 पी0 आर0 सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला कार्यालय द्वारा संबन्धित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं अध्यापकों आदि के सीधे के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग खाता खोला जायेगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति अवश्य है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू होगी। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी लेखाधिकारी /कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिचालक उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संसोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा अभियान को नियमों का तथा वित्त प्रबंधन प्रणाली ने प्रथम वर्षो में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय–समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे।

फण्ड फ्लोडायग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
1. बी0 आर0 सी0 एवं एन0 पी0 आर0 सी0	बी0 आर0 सी0 एवं एन0 पी0 आर0 सी0
2. ग्राम शिक्षा समिति	
3. अध्यापक	
4. स्वयं सेवी संस्था आदि	

सम्प्रेक्षण व्यवस्था :–

उ0प्र0 समी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के समी जनपदों में लेखें जोखे का स्वतन्त्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैडेन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण समी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेग/राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रति वर्ष किया जायेगा। राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य स्तरीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना :–

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक अधिकारी, जिला समन्वयकों सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों प्रति उप विद्यालयों निरीक्षकों, बी0 आर0 सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी। तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाइयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं की राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगी साथ ही समय–समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशलओं के माध्यम से भी येाजनाओं को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के घुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में 05 ..... प्राथमिक एवं 05 ..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	250	
2005-06	156	
2006-07	—	
योग	306	

कुल लक्ष्य 306 का है।

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Kannauj

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	ACCESS													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	40	10360	0	0	5	1280	0	0	45	11640
A2	New Upper Primary Schools	451	18	8118	67	18760	0	0	5	1400	0	0	90	28278
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	54	6300	54	6480	54	6480	54	6480	54	6480	270	32220
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	40	540	40	990	45	1113.75	45	1113.75	170	3757.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	40	2160	40	4320	45	4860	45	4860	170	16200
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	201	12060	201	24120	216	25920	216	25920	834	88020
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	40	400	0	0	5	50	0	0	45	450
A8.2	UPS	50	35	1750	67	3350	0	0	5	250	0	0	107	5350
A9	TLE UPS not covered OBB	50	56	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	56	2800
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	18968	0	54110	0	36110	0	41553.75	0	38573.75		189315.5
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.845	0	0	0	0	20	422.5	70	1478.75	70	1478.75	160	3380
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	AIE/ Primary-including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.845	0	0	0	0	20	422.5	56	1183	56	1183	132	2788.5
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	21	756	21	756	21	756	21	756	84	3024
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
A16	Bridge Course at NPRC level	0.845	0	0	67	2264.6	0	0	0	0	0	0	67	2264.6
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.35	0	0	0	0	0	0	14	214.9	14	214.9	28	429.8
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	18968.00	0	57310.60	0	38141.00	0	45616.40	0	42636.40	0	202672.40
R	RETENTION		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	20	3820	9	1719	0	0	29	5539
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	2	766	5	1915	5	1915	0	0	12	4596
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	300	21000	300	21000	63	4410	663	46410
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	13	910	7	490	100	7000	100	7000	31	2170	251	17570
R4.1	Toilets Upper Primary	10	12	120	0	0	15	150	15	150	0	0	42	420
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	250	2500	156	1560	0	0	406	4060
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	44	792	0	0	0	0	44	792
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	15	270	0	0	0	0	15	270
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	817	4085	817	4085	857	4285	862	4310	3353	16765
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	123	615	123	615	213	1065	213	1065	218	1090	890	4450
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	513	12696.75	1084	26829	1140	28215	2737	67740.75
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	829	79584	885	84960	943	90528	2657	255072
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	513	6925.5	571	14132.25	56	1386	57	1410.75	1197	23854.5
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	20	40	40	80	1145	2290	1145	2290	2350	4700
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	123	246	221	442	529	1058	534	1066	534	1068	1941	3882
R12	Promoting Girls Education		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	35	157.5	35	157.5	35	157.5	105	472.5
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	1	75	1	75	1	75	3	225
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	21	84	21	84	21	84	63	252
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	21	525	21	525	21	525	63	1575
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	15	75	15	75	0	0	30	150
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.375	0	0	0	0	15	56.25	100	375	100	375	215	806.25
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	15	22.5	100	150	100	150	215	322.5
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	15	1.05	15	1.05	0	0	30	2.1
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	4000	11200	4000	11200	2700	7560	10700	29960
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	575	276	575	276	575	276	1725	828
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	1500	0	0	7	466.9	7	466.9	7	466.9	21	2900.7
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog	60	1	1649	10	5000	10	600	10	600	10	600	41	8449
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1070	2675	1070	2675	1070	2675	3210	8025
	RETENTION Sub Total		0	5040	0	18363.5	0	166413.6	0	171938.85	0	148487.55	0	510243.5
Q	QUALITY IMPROVEMENT		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	20	42	1341	2816.1	61	128.1	57	119.7	1479	3105.9
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	105	220.5	0	0	829	1740.9	76	159.6	58	121.8	1068	2242.8
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	10	14	0	0	3394	4751.6	3450	4830	6854	9595.6
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	615	861	774	812.7	1065	1118.25	1080	1134	1080	1134	4614	5059.95
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	233	326.2	1579	2210.6	1635	2289	3447	4825.8
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	61	128.1	0	0	0	0	61	128.1
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	21	14.7	21	14.7	21	14.7	63	44.1
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	81	56.7	81	56.7	81	56.7	243	170.1
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	30	42	30	42	30	42	90	126
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	12	4.2	12	4.2	12	4.2	36	12.6
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	0	1392	1670.4	1455	1746	1641	1969.2	1777	2132.4	6265	7518
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	549	219.6	0	0	0	0	0	0	0	0	549	219.6
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	162	81	1015	507.5	1025	512.5	1025	512.5	3227	1613.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	720	360	1494	747	1508	754	1512	756	1525	762.5	6759	3379.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	315	15.75	176984	8849.2	177299	8864.95	181731	9086.55	536329	26816.45
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	9742	1461.3	17025	2553.75	70777	10616.55	73291	10993.65	75804	11370.6	246639	36995.85
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1070	160.5	1070	160.5	1070	160.5	3210	481.5
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	61	3.05	61	3.05	61	3.05	183	9.15
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	857	12855	857	12855	857	12855	2571	38565
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	213	1597.5	213	1597.5	213	1597.5	639	4792.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	3122.4	0	5936.6	0	43386.45	0	46263.85	0	47142.7		145852
C	CAPACITY BUILDiNG		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	12	576	12	576	12	576	36	1728
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	7	1008	7	1008	14	2016
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	14	924	14	924	28	1848
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	7	42	7	42	7	42	7	42	28	168
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	7	35	7	35	7	35	7	35	28	140
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0	0	7	87.5	7	87.5	7	87.5	7	87.5	28	350
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	7	25.2	7	25.2	7	25.2	21	75.6
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	0	0	7	35	7	35	14	70
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	81	11664	81	11664	162	23328
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	81	81	0	0	81	81	81	81	243	243
C3.4	Contingency	2.5	0	0	81	202.5	81	202.5	81	202.5	81	202.5	324	810
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	81	194.4	81	194.4	81	194.4	81	194.4	324	777.6
C4	District Project Office/Management		15	762	0	1460	0	0	0	0	0	0	15	2222
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	0	0	7	1260	7	1260	14	2520
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	12	216	12	216	12	216	36	648
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	12	120	12	120	12	120	36	360
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	7	840	7	840	7	840	21	2520
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	0	0	857	1199.8	857	1199.8	1714	2399.6
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	158	221.2	141	197.4	213	298.2	213	298.2	213	298.2	938	1313.2
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	983.2	0	2299.8	0	4041.8	0	20223.6	0	20223.6		47772
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	1	200
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	0	0	1	144	1	144	2	288
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	0	0	1	90	1	90	2	180
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	2	200
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	0	0	1	40	1	40	2	80
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAPACITY Sub Total		0	983.2	0	2499.8	0	4041.8	0	20722.6	0	20722.6	0	48970
	GRAND TOTAL		0	28113.6	0	84110.50	0	251982.85	0	284541.70	0	258989.25	0	907737.90

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention						Kannauj
	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	9148.0	30376.0	37447.0	36024.0	6580.0	119575.0
Management	221.2	197.4	1944.2	4973.0	4973.0	12508.8
Programme	18744.4	53537.1	212591.7	243544.7	247436.3	775654.1
Total	**28113.6**	**84110.5**	**251982.9**	**284541.7**	**258989.3**	**907737.9**
Percentage - Civil	**32.5**	**36.1**	**14.9**	**12.7**	**2.5**	**13.2**
Percentage - Management	**0.8**	**0.2**	**0.8**	**1.7**	**1.9**	**1.4**
Percentage - Programme	**66.7**	**63.7**	**84.4**	**85.6**	**95.5**	**85.4**
Percentage - Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**